खण्ड-428, अंक-6
बुधवार, 28 माघ, शक संवत् 1920
(17 फरवरी, 1999 ई0)

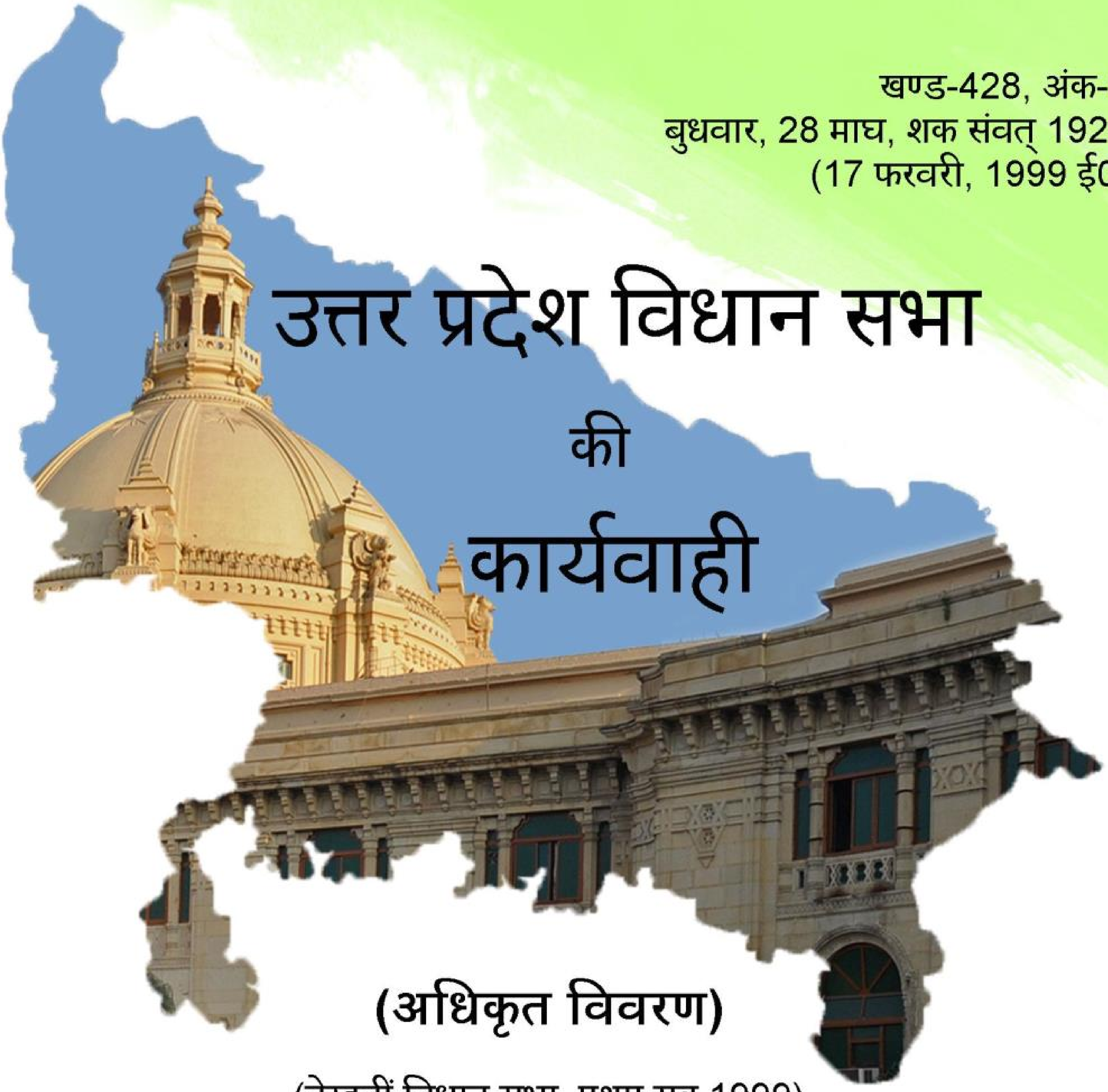

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 428 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग–घ
निलम्बित सदस्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	1–6
प्रश्नोत्तर	6–77
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	77
कुमायूं मण्डल में अघोषित विद्युत कटौती समाप्त कर निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत नान स्टेचुरी कमेटी बुढ़ाना गन्ना विभाग, के अवर अभियन्ता द्वारा सड़कों के निर्माण में की गयी कथित अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद बागपत में कृष्णा और हिण्डन नदियों में थोड़ी-थोड़ी दूर पर चैक डैम लगाकर जल स्तर ऊंचा करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों में शासन के प्रभावी आदेश के अन्तर्गत गठित अतिथि-संकाय में कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं का रिक्त पदों पर समायोजन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद बलरामपुर में तुलसीपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में विद्युत लाइन व ट्रान्सफार्मर ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79–80
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	80
निलम्बित सदस्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	80–82
निलम्बित सदस्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	82
श्री मानिक चन्द यादव, स० वि० स० के निलम्बन वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	82–83
श्री अम्बिका चौधरी द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाने का प्रयास ...	83–85
श्री अम्बिका चौधरी, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री कैलाश, श्री प्रभू नारायण सिंह यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री दीपक कुमार, श्री नन्द राम, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री उमाकान्त यादव, श्री बाबू खां, श्री शब्बीर अहमद, श्री हरदेव सिंह, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री रामेश्वर सिंह यादव, श्री मुश्ताक सोलंकी, श्री सरवर अली खां, श्री कमला प्रसाद रावत, श्री विश्वनाथ तथा श्री राम विशुन आजाद, स० वि० स० के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	85–87
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	88–89
श्री रामजग और श्री विनोद मणि, स० वि० स० के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	89–90
श्री सीताराम निषाद, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री राम पाल सिंह, श्री सत्य प्रकाश सोनकर तथा श्री राम स्वरूप सिंह, स० वि० स० के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	90–91
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	91
श्री रामवीर उपाध्याय स० वि० स० की सुरक्षा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	91–97
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	97–98
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित) ...	98

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	98–132
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	132
जनपद जालौन के थाना रामपुरा क्षेत्र से 10 किसानों का डकैतों द्वारा फिरौती वसूलने व हत्या के उद्देश्य से सामूहिक अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	133–135
जनपद महराजगंज के थाना बृजमनगंज एवं फरेन्दा की पुलिस द्वारा ग्राम-बंजरहा तथा श्री रामपुर ढोले में नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने तथा महराजगंज महाविद्यालय के छात्रों पर लाठीचार्ज एवं दर्जनों मुकदमें दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद मणि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	135–137
जनपद मथुरा के मांट ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम बहादीन में प्राइमरी पाठशाला के नवीन भवन का निर्माण चयनित स्थल पर न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	137–138
नत्थियां	139–143

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 17 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :---

अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्बरीष कुमार, श्री	हरिद्वार
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक बाजपेयी, डा०	हरदोई
आलमबदी, श्री	आजमगढ़
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कौशल किशोर, डा०	खीरी
गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर (एडवोकेट), श्री	लखनऊ
चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दीप लाल भारती, श्री	पडरौना
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
फतेह बहादुर, श्री	महाराजगंज
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बांके लाल सोनकर, श्री	जौनपुर
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भीम प्रसाद सोनकर, श्री	अम्बेडकर नगर
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनू बाबू, श्री	सीतापुर
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री	देवरिया
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रंग बहादुर पटेल, श्री	इलाहाबाद
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रमेश राही, श्री	सीतापुर
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्यारे सिंह, श्री	आजमगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
रेवती रमण सिंह उर्फ ''मणि'', कुंवर	इलाहाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय ''विन्नू'', श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सौलत अली, एडवोकेट	मुरादाबाद
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार दिनांक 17 फरवरी, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

निलम्बित सदस्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो सदन की कार्यवाही शुरू ही नहीं हुई ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन् कल सदन में कुछ सदस्यों के बारे में निलम्बन का प्रस्ताव आया और वह सदस्य निलम्बित कर दिये गये परन्तु मान्यवर, दो सदस्य ऐसे थे, यहां पर कैमरे लगे हुए हैं, सब चीजें उसमें दर्ज हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे इसकी सूचना मिल चुकी है । मैं इसको देख लूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्री राधेश्याम जायसवाल और श्री मानिक चन्द यादव जी अपने जनपद में बने हुए थे और वह सदस्य निलम्बित हो गये, जिसके कारण वह इस परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो उनका जो संवैधानिक अधिकार है, उनका हनन हुआ है । इस प्रकार संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव यहां पर लाया गया है, वह प्रस्ताव अवैधानिक हो गया है । अगर इसी तरह से घर से नाम लिखकर यहां पर लाये गये और अवैधानिक तरीके से निलम्बन हुआ है तो मेरा यह कहना है कि उस अवैधानिक प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जाय, उसके बाद ही सदन की कार्यवाही को चलाना उचित होगा । ऐसे सदस्य जो सदन में उपस्थित ही न हों और उनका निलम्बन हो जाय, और उनका निलम्बन निरस्त न हो तो इस सदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिये इस प्रश्न पर आप पहले व्यवस्था दे दें तभी सदन की कार्यवाही चलने दें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट है । मेरा प्रस्ताव था कि जो माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष द्वारा इंगित किये गये हैं, उनको सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय । अब जो भी इंगित हों, उसके बारे में मेरा प्रस्ताव था ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी माननीय उप नेता, समाजवादी पार्टी ने आपका ध्यान आकर्षित किया है । हो सकता है त्रुटि रह गई हो, तो उसका निराकरण कर देंगे, यह वह कह देते और यह सर्वथा उचित भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होता परन्तु संसदीय कार्यमंत्री जी ने खड़े होकर जिस तरह से पीठ के आचरण पर ऊंगली उठा दी, यह पीठ की गरिमा के लिये शोभा नहीं देता है । यह कह देना कि पीठ ने जिन्हें इंगित किया .....

श्री अध्यक्ष–

जरा नियम 299 को देखें । उसमें कहा गया है कि जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायेगा, सदन नेता या संसदीय कार्य मंत्री अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

पीठ को उन्होंने सरासर गलत ठहराया है और मान्यवर, चूंकि स्थिति स्पष्ट हो गयी है । दो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित ही नहीं थे निलम्बन में उनका नाम भी जोड़ दिया गया है इसलिये मान्यवर, जो सम्पूर्ण कार्यवाही हुई है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है । मान्यवर, मैं आगे 299 के 4 का हवाला देते हुए विनम्र आग्रह करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों का निलम्बन हुआ है कृपा करके उन्हें वापस सदन में बुला लें उन्हें आज से सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने दें । सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों का महत्व है । समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विरोधी दल है । इनको निष्कासित कर देने के कारण इनका काम तो आसान हो जायेगा । लेकिन होता यह रहा है कि इस सदन में जब भी सदस्यों का निलम्बन हुआ है तो फिर उसे वापस भी लिया गया है अनुरोध पर । इसलिये मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदस्यों का निलम्बन वापस लेकर उन्हें सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने दें । सदन की गरिमा और रक्षा के लिये उन्हें वापस बुला लें । संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया है उसके लिये मैं उनकी निन्दा करता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह जो व्यवस्था का प्रश्न है उससे संबंधित मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी विवाद के प्रकरण पर ले जाकर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मेरा निवेदन स्पष्ट है कि जो माननीय सदस्यों का अधिकार है इस सदन में आने का उनको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव के द्वारा कल निलम्बित कर दिया । उन सदस्यों के संवैधानिक अधिकार जिनको लेने का अधिकार यहां किसी को नहीं है उनको जबरदस्ती इस तरीके से ले लिया जाता है । वे सदस्य निलम्बन सूची में नाम आने के कारण परिसर में प्रवेश नहीं कर सके हैं । वे सदस्य यहां आते और कोई अनुपूरक प्रश्न पूछते, उनका सहयोग होता इस सदन में । उनको अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया । [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यहां पर मुझे आपत्ति है । यह लिखा नहीं जायेगा ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने व्यवस्था के लिये निवेदन किया । दो बिन्दु हैं । एक तो जो मैंने निवेदन किया सदस्यों के आने का अधिकार चला गया । निलम्बन के प्रस्ताव की वैधानिकता और तीसरा प्रश्न यह कि अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप लगाया गया है । अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप लगाने की परम्परा सदन में नहीं रही है । सारी परम्पराओं का हनन करने और मर्यादाओं को तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है । इसके बाद यह नया कीर्तिमान संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया है कि अध्यक्ष पीठ पर आरोप लगाने का कि अध्यक्ष ने जिनको इंगित किया यहां पर जिस तरह से काम यह कर रहे हैं वह सबको विदित है ।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट व श्री जगदम्बिका पाल के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं एक मिनट का समय लूंगा । जो आप व्यवस्था देने जा रहे हैं उसमें योगदान के लिये कुछ कहना है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल जब सदन में माननीय सदस्यों का निलम्बन हो गया था तो उसके बाद जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो हम सबने निलम्बन को वापस लेने के लिये आग्रह किया था ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग एक साथ बोल रहे हैं जिससे समझ में नहीं आ रहा है । मा० अम्बिका चौधरी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

श्रीमन्, आप उस पर जो निर्देश देंगे वो एक साथ हो जाय इसलिये मैं भी इससे संबंधित व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । मान्यवर, छोटे लाल सिंह नाम का आदमी यहां पर कोई सदस्य है ही नहीं । मैं यहां पर यह बात इसलिये कह रहा हूं कि जिस सिस्टम से संसदीय कार्य मंत्री जी ने निलम्बन का प्रस्ताव किया और आज आपकी पीठ पर आक्षेप भी लगाया । मान्यवर, इस नाम का कोई भी सदस्य इस सम्मानित सदन में है ही नहीं । यह कहां से जारी हो रहा है । यह विधि सम्मत बात हो ही नहीं रही है । आपका जो आदेश निर्देश जारी हो जाय हम उसका पालन कर लेंगे लेकिन आपके संज्ञान में नहीं लायेंगे तो यह बात रह जायेगी । संसदीय कार्य मंत्री जी की बात पर भरोसा करने वाला नहीं है । आप अपने विवेक से निर्णय लें । यह तो अक्षम सरकार के सिपहसलार हैं । बी० जे० पी० के लोग जैसा कहते हैं यह वैसा करते हैं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल यहां पर सदन में अधिष्ठाता महोदय ने माननीय सदस्यों के निलम्बन की कठोर कार्यवाही का निर्णय लिया । तमाम सदस्यों ने पुनर्विचार का आग्रह किया उस समय आप पीठ पर नहीं थे अधिष्ठाता महोदय ने कहा था कि निलम्बन की कार्यवाही हो जाने दीजिए उचित अवसर आने पर इस पर पुनर्विचार करेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

यह कहीं नहीं कहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे व्यवस्था देने दें । व्यवस्था के प्रश्न पर इस तरह चर्चा होगी तो फिर कैसे काम चलेगा ? एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस पर चार माननीय सदस्य बोलेंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप कृपा पूर्वक अनुमति देंगे तो बोलेंगे ऐसे नहीं बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मा० पाल जी आपकी बात आ गई है । आप तो अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री प्रभू नारायण सिंह यादव–

मान्यवर, कल हम लोगों को इंगित नहीं किया गया मार्शल के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया मान्यवर, नियमों से सदन चला है जो सदस्य उपस्थित नहीं थे उनको भी निकाल दिया गया । श्रीमन्, बगैर इंगित किए मा० सदस्यों को निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

इस तरह से काम नहीं चलेगा इस तरह से मान्यवर, लोगों को निकाला गया ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

* श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, यह सदन नियम कानून से चलता है आप वीडियो कैमरा दिखवा लें मुझे पकड़कर खींचा गया और निकाला गया । मुझे मार्शल द्वारा जबरदस्ती बाहर निकलवाया गया मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है । मुझे बगैर इंगित किए मार्शल द्वारा खींचकर बाहर निकाला गया ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

संसदीय कार्य मंत्री के इशारे पर माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है । जिनको पीठ से इंगित नहीं किया गया उनको भी निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 299 (3) (क) में यह कहा गया है कि जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायेगा, सदन नेता या संसदीय कार्य मंत्री अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय अगर माननीय अधिष्ठाता महोदय ने नाम लेकर किसी को इंगित कर दिया तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को उसका अनुपालन करना है । जिसको माननीय अधिष्ठाता ने इंगित किया होगा उसके बारे में प्रस्ताव वह कर सकते है । दूसरे के बारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में नहीं कर सकते । इन्होंने माननीय अधिष्ठाता के निर्देश का पालन किया । जिनका माननीय अधिष्ठाता महोदय ने नाम लिया होगा उनका इन्होंने प्रस्ताव किया होगा ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नियम 299 (4) को देख लें यह आपको अधिकार है मान्यवर, इसमें लिखा है–"सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह आदेश दे सकेगा कि उपर्युक्त उपनियम (3) के अधीन दिया गया निलम्बन का कोई दण्ड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाए ।" मान्यवर, इसको आप देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो मैं वहां तक पुहंचा ही नहीं अभी तो मैं 299 (3) पर ही हूं अभी तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप 299 (4) का संज्ञान ले सकते हैं आप जैसा उदार महामना व्यक्तित्व का आदमी यदि क्षमा नहीं करेगा तो कौन क्षमा करेगा ?

श्री अध्यक्ष–

मुझे व्यवस्था तो देने दीजिये । माननीय राम जग जी आप बैठ जायें मैं व्यवस्था दे रहा हूं । 299 (4) से कौन इन्कार कर रहा है । प्रश्न यह है कि उसकी व्यवस्था कब आयेगी ? कैसे आयेगी ? उसकी प्रक्रिया क्या होगी ?

श्री राम जग–

मान्यवर, जो सदस्य मौजूद नहीं थे उनके लिए भी प्रस्ताव किया गया । ऐसी स्थिति में संसदीय कार्य मंत्री जी की जितनी निन्दा की जाय वह कम है । आप 299 (4) का इस्तेमाल करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया था वह माननीय अधिष्ठाता महोदय के निर्देश पर किया था । यदि माननीय अधिष्ठाता महोदय से कोई त्रुटि हो गयी हो उसके लिए, उसके परिमार्जन के लिए नियमावली में प्राविधान है । हम सबको मालूम है यदि इस प्रकार के कोई प्रस्ताव आते हैं तो उसको वापस भी लिया जाता रहा है, उसका परिमार्जन होता है । आप लोगों ने जो बात उठायी है पूरे प्रस्ताव को वापस लेने के बारे में तो उसके लिए वातावरण का निर्माण कर लेंगे जिसमें यह हो सके और आपकी मन्शा भी पूरी हो जायेगी । आपसे अनुरोध है कि ऐसे वातावरण के निर्माण में सहयोग दें ।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जिनको इंगित भी नहीं किया गया उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबरदस्ती की गयी और उनको निकाला गया तो यह कौन सी व्यवस्था है ?

(मद संख्या–1 पुकारी गयी और उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा पढ़ जाने पर)

(विपक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें और अपना आसन ग्रहण करें ।

*श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है । उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो गयी है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है । यह सरकार गरीबों का खून चूस रही है । हम लोगों के अधिकारों का जान-बूझकर हनन कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों ने तय कर लिया है कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे तो बात अलग है । आप लोग कृपया शांत रहें और अपना आसन ग्रहण करें ।

मैं सदन को 12.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 12.00 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आग्नेयास्त्र लाइसेन्स सम्बन्धी लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी

**1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं अनापत्ति पुलिस विभाग द्वारा एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करने संबंधी वर्तमान सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश का अनुपालन किया जा रहा है ? क्या व्यापारी एवं जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेन्स देने हेतु सरकार ने कोई आदेश निर्गत किया है ? क्या आवेदकों को निश्चित रूप से जिलाधिकारी स्तर पर शस्त्र लाइसेन्स प्रदान करने हेतु पुलिस विभाग से अनापत्ति एवं संस्तुति देने के लिये सरकार कोई आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

प्रश्नगत शासनादेश का मूल उद्देश्य आग्नेयास्त्र लाइसेन्स सम्बन्धी लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण में गति लाना है । अत्यधिक बड़ी संख्या में विचाराधीन ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर यथासंभव शीघ्रता से निस्तारण का प्रयास किया जाता है ।

ऐसे लोगों के शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र विचार करने के आदेश दिये गये हैं, जिन्हें शस्त्र की वास्तविक आवश्यकता है ।

पुलिस विभाग की अनापत्ति/संस्तुति एवं जिलाधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेन्स निश्चित रूप से प्रदान करने के लिये शासन द्वारा आदेश निर्गत करने का न तो कोई औचित्य है और न ही ऐसे आदेश देना कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से उचित होगा ।

नोट :–उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ाने एवं उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने विषयक जानकारी

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या गन्ना किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिये जाने की योजना भी सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

(1) उत्तर प्रदेश चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना जातीय संतुलन न होने के कारण चीनी मिल परता प्रतिशत पूर्ववत् रहा था साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम रहा । गन्ना उत्पादन बढ़ाने तथा अधिक चीनी परता वाली प्रजातियों के विकास हेतु वर्ष 1998-99 से उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने की अनुपयुक्त प्रजातियों के बदलाव एवं उपयुक्त जातियों के सम्वर्धन की चार वर्षीय योजना भी प्रारम्भ की गई है ।

(2) सघन गन्ना विकास योजना, स्थलीय एवं हवाई विधि द्वारा कीट नियंत्रण की योजना, केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना पूर्व से कार्यान्वित की जा रही है ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार गन्ना मूल्य निर्धारण का विधिक अधिकार प्रदेश शासन में निहित नहीं है । उक्त आदेश के विरुद्ध प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुज्ञा याचिका मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

उक्त के उपरान्त भी प्रदेश के कृषकों के हितों की सुरक्षा हेतु राज्य चीनी निगम व सहकारी क्षेत्र की मिलों के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य से और अधिक लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये पेराई सत्र, 1998-99 हेतु शीघ्र पकने वाली जातियों का रु० 85/- व सामान्य प्रजातियों का रु० 80/- प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है । सहकारी व निगम क्षेत्र की मिलों की भांति निजी क्षेत्र की मिलें भी उक्तानुसार गन्ना मूल्य भुगतान कर रही हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शासन द्वारा प्रदेश में कुत्ता काटने से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए मांग के अनुरूप ए० आर० बी० इंजेक्शन की व्यवस्था की मांग

*1–श्री राम ललित चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कुत्ते के काटने से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए ए० आर० बी० इंजेक्शन का उत्पादन मरीजों की तुलना में कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार मांग के अनुसार ए० आर० बी० इंजेक्शन के उत्पादन की व्यवस्था करेगी ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जी हां ।

प्रदेश में ए० आर० बी० का उत्पादन 20 से 21 लाख एम० एल० प्रतिवर्ष होता है, जिससे प्रदेश में ए० आर० बी० इंजेक्शन की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है । वर्ष 1998 में उत्पादन के अतिरिक्त 5,50,320 एम० एल० ए० आर० बी० केन्द्रीय अनुसंधान कसौली हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय संस्थान

कोनूर (तमिलनाडु) से प्राप्त करके चिकित्सालयों में मांग के अनुरूप आपूर्ति की गयी । वर्तमान में राज्य रक्षालस संस्थान, पटवाडागर को उत्पादन में वृद्धि हेतु रु० 24.5 लाख की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया गया है ।

प्रदेश में विकलांगों को उच्च शिक्षा संस्थाओं, सामाजिक क्षेत्र व सरकारी सेवाओं में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिए अलग से कोचिंग सेण्टर खोलने विषयक जानकारी

*2–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या विकलांग कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि विकलांग जन एक्ट, 1995 के तहत विकलांगों को उच्च शिक्षा संस्थाओं, सामाजिक क्षेत्र व सरकारी सेवाओं में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिये उनकी तैयारी करने हेतु पूर्व प्रशिक्षण आदि के बारे में राज्य सरकार को व्यापक निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विकलांगों के लिये अलग से कोचिंग सेन्टर खोलने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'')–

जी नहीं ।

लागू नहीं ।

शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोचिंग केन्द्र पहले से ही चलाये जा रहे हैं । पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सामान्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के पूर्व प्रशिक्षण के लिए कोचिंग केन्द्र खोले जाने का प्रकरण विचाराधीन है । विकलांग व्यक्ति भी जातीय वर्गीकरण के आधार पर उपर्युक्त का लाभ उठा सकते हैं ।

*3–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु शासन की योजना की जानकारी

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के अनेक प्रकरण प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या उसे रोकने हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण मिलावट को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मुख्य खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षक की तैनाती की गयी है जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूनों का संग्रह कर उसकी जांच कराई जाती है । जिन मामलों में मिलावट की रिपोर्ट प्राप्त होती है उनके विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के प्राविधान के अनुसार कार्यवाही की जाती है । अपमिश्रण पाये गये नमूनों के आधार पर सम्बन्धित पक्ष के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*3–श्री अम्बरीष कुमार–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्रवार वर्ष 1995 से 1998 तक बाढ़ नियंत्रण कार्यों में व्यय किये गये धन का विवरण

*4–श्री राजधारी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बलिया जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन-कौन से हैं ? इन क्षेत्रों में क्षेत्रवार वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में कितना धन बाढ़ नियंत्रण कार्यों में व्यय किया गया ? क्या आवंटित धन चिन्हित क्षेत्रों में ही व्यय किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बलिया जनपद में बैरिया, बलिया, सिकन्दरपुर, बेल्थरा रोड, बांसडीह एवं रसड़ा तहसील बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ।

इन क्षेत्रों के तहसील वार तथा वर्षवार व्यय निम्नवत हैं :–

तहसील का नाम	वर्षवार व्यय (रु० लाख में)			योग
	1995-96	1996-97	1997-98	
बैरिया	103.41	71.38	83.43	258.22
बलिया	51.64	64.24	82.09	197.97
बैल्थरारोड	4.79	9.09	4.03	17.91
सिकन्दरपुर	27.13	11.18	25.76	64.07
बांसडीह	25.64	59.85	90.44	175.93
रसड़ा	13.15	8.54	16.88	38.57
योग:–	225.76	224.28	302.63	752.67

जी हां ।

*5–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बदायूं में वित्तीय वर्ष 1997-98 में खण्ड विकास अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा गबन की गयीं धनराशि की वसूली एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*6–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड अम्बियापुर जनपद बदायूं के खण्ड विकास अधिकारी जगमोहन यादव तथा विजय विक्रम सिंह एवं अन्य कर्मचारियों

द्वारा साजिश करके 4.32 हजार रुपये (चार लाख बत्तीस हजार रुपया) हड़प लिया है जिसकी प्राथमिकी थाना–बिलसी में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों से गबन की गयी धनराशि की वसूली के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

प्रकरण में कराई गई प्रारम्भिक जांच के अनुसार रु० 4,33,006.00/- का अधिक भुगतान किया गया है, जिसके लिए थाना-बिल्सी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ।

जांच हेतु गठित समिति द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई । जांच आख्या में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखा लिपिक तथा लेखा लिपिक को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । जांच आख्या के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में प्रतिबन्ध के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

*7–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में कितने ऐसे चिकित्साधिकारी हैं जो सरकारी सेवा में रहते हुये प्रतिबन्ध के बावजूद भी प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं ? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई के अधीन 10 चिकित्सा अधिकारी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहकर प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत दाइयों का वेतन एवं उनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने की मांग

*8–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रा० स्वा० केन्द्र पर कार्यरत दाइयों को कितना मासिक वेतन दिया जा रहा है ? क्या इस महंगाई को देखते हुये उन दाइयों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह)–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दाइयों के पद स्वीकृत नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*9– श्री रमेश राही–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के तौकलपुर ग्राम सभा में ईसाई मिशनरी द्वारा मेडिकल कालेज खोले जाने एवं किसानों की भूमि पर जबरदस्ती निर्माण कार्य कराये जाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

*10–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील के तौकलपुर ग्राम सभा में ईसाई मिशनरी को मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मिशन द्वारा अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति के गरीब किसानों की भूमि पर जबरदस्ती निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त)-

जनपद प्रतापगढ़ में ''डसवां आयुर्विज्ञान शोध समिति'' को मेडिकल कालेज खोलने हेतु शासन द्वारा केवल आवश्यकता/अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है । मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी जाती है जो अभी प्राप्त नहीं हुई ।

भूमि प्रबन्ध समिति, प्रतापगढ़ द्वारा डसवां आयुर्विज्ञान संस्थान शोध समिति को मदर टेरेसा मेमोरियल मेडिकल कालेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने हेतु ग्राम समाज की भूमि लगभग 14 हेक्टेयर का प्रस्ताव 7 फरवरी, 1998 को किया । संस्था द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण प्रारम्भ कराया जा रहा था, परन्तु कुछ किसानों द्वारा सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने पर प्रशासन द्वारा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य रोकवा दिया गया है ।

इसमें जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

जनपद गोरखपुर एवं वाराणसी में प्रारम्भ किये गये फाइलेरिया के उपचार की प्रक्रिया को अन्य जनपदों में भी लागू किये जाने की मांग

*11–श्री कौकब हमीद–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर तथा वाराणसी में प्रारम्भ किये गये एक दिवसीय उपचार की प्रक्रिया की भांति अन्य जनपदों में भी फाइलेरिया नियंत्रण केन्द्रों पर यही प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी तथा इसके उपचार केन्द्रों के स्थान व तिथि आदि की जानकारी प्रदेश में फाइलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों को देने हेतु विभिन्न संचार माध्यमों के जरिये प्रचार-प्रसार किया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

भारत सरकार द्वारा पूरे देश में चयनित 13 जनपदों में से उत्तर प्रदेश के 2 जनपदों वाराणसी एवं गोरखपुर में वर्ष 1997 से फाइलेरिया रोग के संचरण को कम करने हेतु एक दिवसीय उपचार प्रारम्भ किया गया है, जिसे वर्तमान में 5 वर्षों तक चलाये जाने की योजना है । यह एक पाइलेट परियोजना है । पांच वर्षों के पश्चात् भारत सरकार द्वारा योजना की सफलता के आधार पर अग्रेतर चलाये जाने हेतु तदनुसार कार्यक्रम बनाया जायेगा । सम्प्रति प्रदेश सरकार द्वारा फाइलेरिया रोगियों की खोजकर तत्काल उपचार किया जाता है तथा फाइलेरिया मच्छरों के विनाश हेतु कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में लघु पशु गृह का निर्माण एवं शोध हेतु पशुओं के रहने हेतु व्यय धन की स्वीकृति तथा पी० एच० डी० चिकित्सकों को शोध हेतु सी० डी० आर० आई० लखनऊ की भांति पी० जी० आई० में पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराने की जानकारी

*12–श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में लघु पशु गृह का निर्माण कितने वर्षों पूर्व में कराया गया था ? उस समय किस-किस प्रकार के पशुओं के रहने हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ था ? क्या वह निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? पी० एच० डी० चिकित्सकों को शोध करने हेतु सी० डी० आर० आई० लखनऊ में किस प्रकार के पशुओं व जानवरों पर शोध करने हेतु आना-जाना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त संस्थान में शोध हेतु पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

उक्त लघु पशु गृह का निर्माण कार्य वर्ष 1988-89 में कराया गया था ।

वर्ष 1988-89 में रैट्स, माइस, रेबिट्स, गोट्स एण्ड शीपे रखे गये । इन पर कुल रु० 6650.00 की धनराशि व्यय हुई थी ।

जी हां, अस्थाई लघु पशु गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

सी० डी० आर० आई० तथा पी० जी० आई० के वैज्ञानिकों में आपसी सामंजस्य है । सी० डी० आर० आई० में भी पी० जी० आई० के वैज्ञानिकों द्वारा लघु पशुओं, रैट्स, माइस, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पर शोध किया जाता है ।

एक सम्पूर्ण सुविधायुक्त एनमल हाउस के निर्माण हेतु प्रोजेक्ट बना लिया गया है । वित्तीय संसाधनों की स्थिति को देखते हुये इस वर्ष इस योजना को स्वीकृति नहीं दी जा सकी । आगामी वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में नये विकास खण्डों के सृजन की योजना की जानकारी

*13–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कुछ नये विकास खण्डों के सृजन की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 139 पर ।]

लखनऊ के के० जी० मेडिकल कालेज में कार्यरत नर्सेज का विलम्ब से मासिक वेतन तथा पुनरीक्षित वेतनमान, नकदीकरण व अन्य एरियर के भुगतान की जानकारी

*14–श्री अमित अग्रवाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में कार्यरत नर्सेज को पिछले छः माह से मासिक वेतन का भुगतान माह की 20 से 25 तारीख तक किया जा रहा है और वर्ष 1996 के पुनरीक्षित वेतनमान एवं माह जनवरी, 1998 से नकदीकरण व अन्य छोटे-छोटे एरियर के

भुगतान नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार वेतन का भुगतान माह की पहली तारीख को कराये जाने की नियमित व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में कार्यरत नर्सेज के वेतन का भुगतान कर्मचारियों की कमी तथा कार्य की अधिकता के कारण वर्ष 1998 में माह जनवरी, जून, अगस्त, तथा अक्टूबर, 1998 में वेतन का भुगतान 20 से 25 तारीख तक किया गया ।

वर्ष 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के देय एरियर का भुगतान कर्मचारियों की कमी एवं कार्य की अधिकता के कारण दिनांक 24-12-98 को किया गया । कतिपय छोटे-छोटे भुगतान अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाये हैं, जिन्हें शीघ्र भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

समय से वेतन भुगतान की व्यवस्था कर ली गई है ।

जनपद गोण्डा में दलित छात्रों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति पर आधारित इण्टरमीडियेट कालेज की स्थापना की मांग

*15–श्री राम विशुन आजाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आश्रम पद्धति, विद्यालय, गोण्डा में छात्रों को जू० हाई० स्कूल तक ही शिक्षा दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दलित छात्रों के भविष्य को देखते हुये इण्टरमीडियेट कालेज की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद गोण्डा में जूनियर हाईस्कूल स्तर का आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है ।

सामान्यतः इण्टरमीडियेट कालेज की स्थापना संबंधी कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है एवं शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान में जनपद गोण्डा में इण्टरमीडियेट विद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है न ही संसाधनों की विषम स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोण्डा के उच्चीकरण का प्रस्ताव है ।

वित्तीय संसाधनों की विषम स्थिति के कारण ।

•16–श्री अफजाल अहमद–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प के अनुरक्षण हेतु शासकीय व्यवस्था का विवरण

*17–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इन्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प के अनुरक्षण हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस मद में कितनी धनराशि की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प के अनुरक्षण हेतु दिशा निर्देश में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

1–विकास खण्ड स्तर पर हैण्डपम्प के रख-रखाव से संबंधित एक रजिस्टर उपलब्ध होगा जिसमें हैण्डपम्प के खराब होने की तिथि, खराबी का कारण आदि उपभोक्ता अथवा विकास खण्ड के अन्य फील्ड कर्मचारियों द्वारा अंकित किया जायेगा ।

2–पंजिका की नियमित जांच कार्यदायी संस्था के अवर अभियन्ता/मैकेनिक द्वारा की जायेगी एवं हैण्डपम्प की खराबी को अविलम्ब दूर किया जायेगा । पंजिका में खराबी दूर करने की तिथि संबंधित अभियन्ता/मैकेनिक द्वारा अंकित की जायेगी ।

3–ग्राम प्रधानों/जागरूक उपभोक्ताओं को (पोस्ट कार्ड जिन पर कार्यदायी संस्था की शाखा का पता छपा हो) उपलब्ध करा दिये जाये जिससे कि खराबी की सूचना अविलम्ब कार्यदायी संस्था को प्राप्त हो ।

4–कार्यदायी संस्था के स्थानीय मैकेनिक क्षेत्र का भ्रमण कर प्रिविन्टिव अनुरक्षण का कार्य प्राथमिकता पर करें ।

ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजना एवं त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित राशि का 10 प्रतिशत अनुरक्षण पर व्यय किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा कार्य कराकर सीधे मजदूरी भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*18–श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना की धनराशि से मानव दिवस सृजित करने व मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराने हेतु जनपद जालौन में कराये जा रहे कार्यों में ठेकेदारों से कार्य कराने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिना टेण्डर व बिना वर्क आर्डर हुये ठेकेदारों द्वारा कार्य कराने की प्रक्रिया पर रोक लगा कर सीधे विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य कराकर सीधे मजदूरी भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमांश के कार्य शासन द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी के आधार पर मजदूरों द्वारा कराये जाते हैं तथा सामग्री का क्रय विभिन्न विभागों द्वारा उनके विभागीय नियमानुसार किया जाता है । शासन के मार्ग निर्देशों के विपरीत निष्पादित कार्यों के संज्ञान में आने पर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ में सैंथेटिक (कृत्रिम) दूध के व्यापार पर रोक लगाये जाने की मांग

*19–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सैंथेटिक (कृत्रिम) दूध का व्यापार सिकन्दराराऊ, हाथरस में बड़े पैमाने पर हो रहा है जिससे वहां के नागरिकों का जीवन खतरे में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसे रोकने के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

दूध में मिलावट पाये जाने पर उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम–1954 के प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*20–श्री अब्दुल मन्नान–

[दि० 16-2-99 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1–द्वारा उत्तरित ।]

अतारांकित प्रश्न

1–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद भदोही के ज्ञानपुर में नहरों की सफाई एवं पुनर्निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि विवरण एवं नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जानकारी

2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में नहरों की सफाई एवं पुनर्निर्माण हेतु 1997-98 व 1998-99 में कितना धन शासन स्तर से अवमुक्त किया गया है और उससे क्या कार्य कराये गये ? क्या उक्त क्षेत्र में नहरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद भदोही (संत रविदास नगर) में ज्ञानपुर नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है जो कि अभी निर्माणाधीन है । अतः नहरों की सफाई एवं पुनर्निर्माण हेतु कोई धन आवंटित नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दो नहरों को छोड़कर, जिनमें गैप है क्षेत्र की बाकी 5 नहरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही के ज्ञानपुर में राजीव फाउण्डेशन द्वारा स्वीकृत हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन का पूर्ण कार्य

3–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में राजीव फाउण्डेशन द्वारा स्वीकृत हैण्ड पम्प जो 1997-98 में लगने थे, आज तक धन की कमी के कारण अधूरे पड़े हैं ? क्या सरकार उस योजना में अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद भदोही के ज्ञानपुर विकास खण्ड में वर्ष 1997-98 में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल 85 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराने का लक्ष्य था । इन हैण्ड पम्पों से सम्बन्ध कार्य तथा प्लेटफार्म, ड्रेनेज आदि भी पूर्ण हैं ।

4–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[2सरे मंगलवार में अता० प्र० सं०–181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद बदायूं में ग्रामीण निर्बल एवं असहायों को दी गयी धनराशि के संबंध में डी०आर०डी०ए० तथा विकास विभाग में करोड़ों रुपये घोटाले की जांच एवं लेखा अधिकारी डी०आर-डी०ए० के स्थानान्तरण विषयक जानकारी

5–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण निर्बल एवं असहायों को दी गयी धनराशि में जनपद बदायूं में डी०आर०डी०ए० तथा विकास विभाग में करोड़ों रुपये के घोटाला की सर्तकता जांच दिनांक 13-12-95 के द्वारा करायी गयी थी और सतर्कता जांच में तथ्य सही पाये गये ? क्या इसी आधार पर जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया था ? यदि हां, तो लेखा अधिकारी डी०आर०डी०ए० को स्थानान्तारित करने के उपरान्त भी वहीं पर रोके जाने का क्या कारण है ? क्या निष्पक्ष जांच को सम्पन्न कराने हेतु लेखाधिकारी को पूर्व में स्थानान्तरण आदेश को लागू कराने के निर्देश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत आरोपों का अन्वेषण सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किया जा रहा है ।

जी नहीं । अधिकारियों का स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया था ।

निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ द्वारा श्री एन०पी०एस० बघेल, लेखाधिकारी, बदायूं को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित कर वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, पौड़ी गढ़वाल के पद पर तैनात कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला टिहरी गढ़वाल में भारी वर्षा से हेवल एवं अगलाड़ घाटी में नदी के किनारे स्थित क्षेत्र में राहत कार्य एवं भविष्य में बाढ़ से सुरक्षा की मांग

6–श्री लाखीराम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिला टिहरी गढ़वाल में 16 व 17 अक्टूबर, 1998 को हुई भारी वर्षा से हेंवल घाटी एवं अगलाड़ घाटी में नदी के किनारे स्थित कृषि भूमि को भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्र में क्या-क्या राहत कार्य किए गये हैं ? भविष्य में बाढ़ सुरक्षा हेतु क्या कोई योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद टिहरी गढ़वाल में 16 व 17 अक्टूबर, 1998 को अगलाड़ घाटी में भारी वर्षा से हेवल घाटी एवं अगलाड़ घाटी में स्थित कृषि योग्य भूमि को क्षति का आंकलन एवं राहत कार्य जिला प्रशासन स्तर पर व्यवहृत होता है । वर्तमान में घाटी में बाढ़ सुरक्षा हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर में टी०ए०सी० द्वारा की गयी जांच की शिकायतों के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही की जानकारी

7–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे बुध के अता० प्रश्न सं०–40 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संदर्भित टी०ए०सी० में नामित सदस्य कौन-कौन थे तथा उनके द्वारा किस-किस स्थान पर कब-कब जांच की गयी ? जांच में कौन-कौन शिकायतें सत्य पायी गयी तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

टी०ए०सी० जांच में श्री पी०आर० राय, प्राविधिक परीक्षक–2, नामित सदस्य थे, तथा उनके द्वारा सम्पर्क मार्ग कैमा, हसुवा सरवन सम्पर्क मार्ग, इन्दरिया सम्पर्क मार्ग, बेचूगढ़ सम्पर्क मार्ग, सराय हेतम सम्पर्क मार्ग तथा दयालगिरी सम्पर्क मार्ग की जांच जनपद सुल्तानपुर के भ्रमण कार्यक्रम दिनांक 29-8-98 एवं 30-8-98 के दौरान की गयी ।

सम्पर्क मार्ग कैमा में 40–63 एम०एम० स्टोन बैलास्ट एवं 25–50 एम०एम० स्टोन बैलास्ट का ओवर साइज पाये जाने, मार्ग की क्रस्ट थिकनस कम पाये जाने, सम्पर्क मार्ग हसुवा सरवन में क्रस्ट थिकनस कम पाये जाने, बेचूगढ़ सम्पर्क मार्ग की क्रस्ट थिकनस कम पाये जाने, सराय हेतम मार्ग पर क्रस्ट थिकनस कम पाये जाने, दयालगिरी सम्पर्क मार्ग पर क्रस्ट थिकनस कम पाये जाने तथा इस मार्ग पर ब्रिक आन ऐज का कार्य सीधा न कर पाये जाने की शिकायतें जांच में सही पायी गयी । जांच में दोषी पाये गये श्री एस०पी० गुप्ता, सहायक अभियन्ता, श्री राम सनेही पाण्डे, अवर अभियन्ता तथा श्री जे० पी० सिंह अवर अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश नर्सिंग सेवा संवर्ग में कार्यरत उपचारिकाओं की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति विषयक जानकारी

8–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग में उपचारिकाओं की सन् 1977 से 1998 तक कितनी वरिष्ठता सूचियां बनाई गई हैं ? क्या 1977 के बैच की उपचारिकाओं को पदोन्नति का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो कितनों को ? यदि नहीं, तो कब तक पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

उत्तर प्रदेश नर्सिंग सेवा संवर्ग में कार्यरत कर्मियों की प्रथम वरिष्ठता सूची दिनांक 13-12-82 को जारी कर प्रत्यावेदन आमंत्रित किये गये थे । तदोपरान्त जनवरी, 97 में अनन्तिम वरिष्ठता सूची प्रख्यापित की गई है ।

1–पर्वतीय उप संवर्ग सेवा नियमावली, 1992 के अधीन विकल्प के आधार पर दिनांक 24-11-1981 तक नियुक्त 72 उपचारिकाओं की प्रोन्नति की गई है ।

2–उत्तर प्रदेश नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 में निहित प्राविधानों के अधीन जून, 1976 तक नियुक्त मैदानी क्षेत्र के सामान्य जाति की उपचारिकाओं एवं दिनांक 30-8-1989 तक नियुक्त 270 अनुसूचित जाति/जनजाति की उपचारिकाओं की प्रोन्नति सिस्टर के पद पर की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है ।

9–10–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद जालौन में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से उ० प्र० लघु उद्योग निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में आवंटित कार्य एवं धन के औचित्य की जानकारी

11–श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन की सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से उ० प्र० लघु उद्योग निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य कहां-कहां पर कराये गये हैं ? प्रत्येक कार्य के

लिए कितनी-कितनी धनराशि दी गई है ? जनपद में विभिन्न सरकारी कार्यदायी संस्थायें होने के उपरान्त भी उपरोक्त निगम को कार्य व धन आवंटित करने का औचित्य क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद तहसील–बारा, विकास खण्ड–जसरा, ग्राम मानपुर में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु समुचित सिंचन की व्यवस्था की जानकारी

12–श्री प्रदीप कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजस्व ग्राम–मानपुर, ब्लाक–जसरा, तहसील–बारा, जनपद इलाहाबाद की कुछ कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की व्यवस्था राजस्व ग्राम–ओझा पट्टी तथा भमऔर में स्थापित राजकीय नलकूप से किया गया था ? क्या यह भी सही है कि उक्त नलकूपों से राजस्व ग्राम–मानपुर की कृषि योग्य भूमि की सिंचाई संभव नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजस्व ग्राम की कृषि योग्य भूमि की समुचित सिंचन व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद इलाहाबाद की तहसील–बारा, विकास खण्ड–जसरा के ग्राम्य मानपुर की 72 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु ग्राम–ओझा पट्टी में स्थित राजकीय नलकूप संख्या–18 तथा ग्राम–बरहुला में स्थित राजकीय नलकूप संख्या–177 से व्यवस्था है ।

जी हां । ग्राम–मानपुर की आंशिक क्षेत्र की ही सिंचाई होने के कारण पूरी कृषि योग्य भूमि की सिंचाई व्यवस्था नहीं है ।

जी नहीं । ग्राम–मानपुर में कृषि योग्य क्षेत्र कम होने के कारण पृथक सिंचाई व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील-बारा विकास खण्ड–जसरा, ग्राम–मानपुर में कृषि योग्य भूमि के सिंचन हेतु पृथक राजकीय नलकूप की मांग

13–श्री प्रदीप कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजस्व ग्राम–मानपुर, ब्लाक–जसरा, तहसील–बारा, जनपद इलाहाबाद में राजकीय नलकूप न होने के कारण कृषकों को सिंचाई में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में एक राजकीय नलकूप की व्यवस्था करावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद–इलाहाबाद की तहसील–बारा, विकास खण्ड–जसरा के ग्राम मानपुर की समस्त कृषि योग्य भूमि हेतु पृथक राजकीय नलकूप नहीं हैं । अन्य दो नलकूपों के द्वारा ग्राम मानपुर की सिंचाई होती है । अवशेष कृषि योग्य क्षेत्र मानक से कम होने के कारण उक्त ग्राम में पृथक से राजकीय नलकूप की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद–मिर्जापुर में प्राइमरी पाठशाला व पंचायत भवन/किसान सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत घरवासपुर विकास खण्ड-नरायनपुर में हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

14–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर का पत्रांक 1531/2 लेखा/98-99 दिनांक 20-8-98, जो प्राइमरी पाठशाला व पंचायत भवन/किसान सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत घरवासपुर, विकास खण्ड–नरायनपुर, जनपद–मिर्जापुर पर एक-एक हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराने विषयक है, अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (वि०/या०), मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त हैण्ड पम्प अब तक अधिष्ठापित न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । संदर्भित पत्र में निम्न स्थानों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने का उल्लेख है :–

1–ग्राम सभा मितई विकास खण्ड मझवां में श्री विजय बहादुर के निर्देशन में ।

2–पंचायत भवन/किसान सेवा केन्द्र, घरवासपुर विकास खण्ड–नरायनपुर ।

3–प्राइमरी पाठशाला घरवासपुर ।

ग्राम मितई विकास खण्ड मझवा में श्री विजय बहादुर के घर के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापित किया जा चुका है ।

पंचायत भवन/किसान सेवा केन्द्र पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित किया जा रहा है ।

प्राइमरी पाठशाला घरवासपुर में हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

15–16–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

श्री लल्लन सिंह पुत्र श्री राम बहादुर सिंह, ग्राम–चन्दईपुर ब्लाक गौरीगंज सुल्तानपुर द्वारा प्राप्त ऋण के दुरुपयोग की जांच की मांग

17–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे बुध के अता० प्रश्न सं०–128 के उत्तर के संदर्भ में क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में बैंक के किसी अधिकारी ने भी जांच की है ? यदि हां, तो क्या बैंक अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता दोनों की जांच आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या यह सत्य है कि संदर्भित बाउचर बैंक में जमा कर देने के उपरान्त ही ऋण का अन्तिम भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो ऋणी का अन्तिम भुगतान करने के पश्चात् क्या आर०सी०जारी करना न्याय संगत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

जी हां, बैंक अधिकारी, सुल्तानपुर/सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई की जांच आख्या संलग्नक एक व दो के रूप में संलग्न है ।

जी हां । परन्तु शासकीय योजना (एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत नहीं ।

बैंक द्वारा नई परिसम्पत्ति स्थापित करने हेतु ऋण की धनराशि मु०–20,000.00 रुपया अग्रिम भुगतान किया गया, परन्तु श्री लल्लन सिंह लाभार्थी द्वारा स्थानीय व्यक्ति से पुराना डीजल इंजन क्रय किये जाने के फलस्वरूप तथा बिल/बाउचर निर्धारित अवधि में जमा न करने के फलस्वरूप बैंक द्वारा दी गई धनराशि का लाभार्थी द्वारा दुरुपयोग किया गया क्योंकि लाभार्थी द्वारा कोई नई परिसम्पत्ति सृजित नहीं की गई ।

आवश्यकता नहीं है ।

[देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 140–141 पर ।]

18–श्री श्याम देव राय चौधरी--

[2सरे सोमवार में अता० प्र० सं०–24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वरिष्ठ लिपिक आयुर्वेद यूनानी निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ के विरुद्ध मा० विधायक अफजाल अहमद के शिकायती-पत्र पर शासकीय जांच पर कार्यवाही का आश्वासन

19–श्री हरदेव सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेद यूनानी निदेशालय उ० प्र० लखनऊ में तैनात वरिष्ठ लिपिक श्री ओम प्रकाश तिवारी व अन्य के संबंध में एक शिकायती-पत्र जुलाई/अगस्त, 1998 में सचिव, चिकित्सा शिक्षा को मा० विधायक अफजाल अहमद द्वारा लिखा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

जी हां ।

जी हां । शिकायती-पत्र पर संयुक्त निदेशक (प्रशासन) से जांच करायी जा रही है । प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर ग्राम सभा तरछापार में जच्चा-बच्चा केन्द्र के भवन की मरम्मत, चौकीदार, मिडवाइफ की नियुक्ति तथा चिकित्साधिकारियों द्वारा देख-रेख की मांग

20–श्री हरदेव सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा तरछापार में स्थित जच्चा-बच्चा केन्द्र जो सरकार द्वारा लगभग 20 वर्ष पहले बनवाया गया था, जर्जर स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी सफाई एवं पुताई कराकर एक चौकीदार एवं एक मिडवाइफ की नियुक्ति करने एवं समय-समय पर स्थानीय चिकित्साधिकारियों द्वारा देख-रेख करने एवं सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर बैठने का आदेश देगी ? क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र को कोई दवा आदि नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इसके लिए सरकार क्या कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी हां ।

भवन मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है । उपकेन्द्र पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री तथा एक अंशकालिक दाई का पद सृजित है तथा केन्द्र पर महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री कार्यरत है । चौकीदार का पद सृजित नहीं है अतएव नियुक्ति का प्रश्न नहीं हैं । संबंधित प्रा० स्वा० केन्द्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपकेन्द्र के मात्र पर्यवेक्षण का प्राविधान है ।

उक्त केन्द्र पर मानकों के अनुसार दवाऐं उपलब्ध करायी जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

21–श्री शिव सिंह चक–

[2सरे गुरुवार में अता० प्र० सं०–70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

22–श्री अजय कुमार पोइया–

[2सरे गुरुवार में अता० प्र० सं०–71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बनारसी साड़ी उद्योग के लिए विदेशी रेशम आयात एवं बुनकरों की समस्या के निदान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा मा० प्रधान मंत्री व वाणिज्य मंत्री को लिखे गये पत्र पर केन्द्र सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

23–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या वस्त्र उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारसी साड़ी उद्योग के लिये विदेशी रेशम का आयात करने एवं बुनकरों की समस्या के निदान के लिये मा० प्रधान मंत्री व वाणिज्य मंत्री को उनके द्वारा कोई पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने की सरकार को जानकारी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 98 में आयातित रेशम को स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेन्स की श्रेणी में रख दिया गया है । स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेन्स के अधीन अब रेशम के आयात में कोई प्रतिबन्ध नहीं है और किसी भी व्यक्ति/निकाय द्वारा रेशम का आयात किया जा सकता है बशर्ते कि आयातित रेशम एक न्यूनतम श्रेणी (ग्रेड–II ए अथवा उसके ऊपर) का हो ।

जनपद सुल्तानपुर, गौरीपुर ड्रेन में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण किये जाने की जानकारी

24–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले बुधवार को उत्तरित अता० प्र० सं०–70 के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तत्संबंधी प्रकरण में पूरी कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गौरीपुर ड्रेन का भू-अर्जन प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सुल्तानपुर को दिनांक 22-4-82 को भेजा गया था जिसकी धारा 4 एवं 6 प्रकाशन हो चुका था, किन्तु धनाभाव के कारण प्रस्ताव कालातीत हो गया था । सम्प्रति भू-अर्जन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रकरण में समय सीमा का निर्धारण संभव नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ पट्टी के लिए होम्योपैथी तथा आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्वीकृति हेतु शासन द्वारा उच्चाधिकारियों को निर्देश

25–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये होम्योपैथी तथा आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र क–2 नं०–134379, दिनांक 8-11-97 एवं पत्र क–2 नं० 134393, दिनांक 3-12-97 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

जी हां ।

उक्त पत्रों पर कार्यवाही हेतु निदेशक होम्योपैथी द्वारा जनपद के प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को तथा निदेशक आयुर्वेद द्वारा कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, लघुडाल नहर प्रखण्ड, कार्यशाला द्वारा वर्ष 1998-99 में बैरिंग न क्रय किया जाना

26–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि लघुडाल नहर प्रखण्ड बांदा द्वारा कार्यशाला में प्रयोग हेतु वर्ष 1998-99 में कुल कितने नग बैरिंग क्रय किये गये हैं ? क्या खरीद से पूर्व क्रय समिति की सहमति ली गयी थी ? क्या यह सही है कि सस्ते व अनुपयोगी बैरिंग खरीद कर फर्जी बाउचर बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लघु डाल नहर खण्ड, बांदा में कोई खण्डीय कार्यशाला नहीं है । वर्ष 1998-99 में खण्ड द्वारा कार्यशाला में प्रयोग हेतु कोई बैरिंग क्रय नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

27–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद बांदा विकास खण्ड तिन्दवारी में खराब राजकीय नलकूप की मरम्मत पर व्यय धनराशि का वर्षवार विवरण

28–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं ? कुल नलकूपों में कितने चालित तथा कितने बन्द हैं ? बन्द नलकूपों में कितने अस्थाई तथा स्थाई खराब हैं ? खराब नलकूपों की मरम्मत हेतु वर्ष 1997-98 व 1998-99 में कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि मरम्मत कार्य न कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या उच्च तकनीकी से जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी में 1-10-98 को कुल 151 नलकूप हैं ।

4 नलकूप स्थाई रूप से बन्द हैं । इसके अतिरिक्त 5 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 2 नलकूप विद्युत दोष से तद्नुसार कुल 7 नलकूप अस्थाई रूप से खराब हैं ।

नलकूपों की मरम्मत पर वर्ष 1997-98 में तथा 98-99 में 12/98 तक क्रमशः 9.46 लाख एवं 3.15 लाख रु० की धनराशि व्यय की गयी ।

मरम्मत न कराकर सरकारी धन के दुरुपयोग का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, ब्लाक कोन, ग्राम मवैयां, जगदीशपुर एवं लखनपुर में नाले से हो रहे कटान को रोकने की मांग

29–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–मवैयां, विकास खण्ड–कोन, जिला–मिर्जापुर के विनाशकारी नाले पर कटान रोकने हेतु कोई सुरक्षात्मक उपाय न किये जाने से ग्राम–मवैयां, जगदीशपुर एवं लखनपुर गांव सभाएं उक्त नाले में विलीन हो जाने के कगार पर पहुंच गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तीनों गांव की सुरक्षा के लिये विनाशकारी नाले का कटान रोकने हेतु किसी तात्कालिक योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मिर्जापुर के कोन ब्लाक के ग्राम–मवैयां, जगदीशपुर एवं लखनपुर में नाले से कटान नहीं हो रहा है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

30–श्रीमती माया प्रसाद–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

जनपद लखीमपुर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत बन्द निर्माण कार्य पुनः आरम्भ किये जाने की मांग

31–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्तमान समय में कितने सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? क्या यह सही है कि

श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त योजना की सभी सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है, यदि हां, तो क्यों ? पुनः यह कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद लखीमपुर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्तमान में 247 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर विकास खण्ड फूलबेहड़ में लिलोदी मंदिर के पास सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रपटा पुल के निर्माण की मांग

32–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड फूलबेहड़ में लिलोदी मंदिर के पास सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रपटा पुल वर्ष 1997 में स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त रपटा पुल का निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक उसका निर्माण करा दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एन० सी० चतुर्वेदी मूक बधिर एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय ऐशबाग, लखनऊ में मूक बधिर असहायों के शोषण की शिकायतों का निराधार पाया जाना

33–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ जिसका परिवर्तित नाम एन० सी० चतुर्वेदी बधिर एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ है, एक स्वयं सेवी संस्था है ? यदि नहीं, तो उस पर बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सत्य है कि पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से मूक बधिर असहायों का शोषण किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां ।

मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ जिसका परिवर्तित नाम एन० सी० चतुर्वेदी मूक बधिर एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था है ।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए बनाया गया है तथा उसके प्राविधान केवल उन्हीं विद्यालयों पर ही लागू हैं ।

जी हां ।

शिकायतों के संबंध में निदेशक, विकलांग कल्याण से जांच करायी गयी । जांच आख्या के अनुसार शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

जनपद बांदा में गडरिया एवं रामपुर सम्पर्क मार्गों के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग

34–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, बांदा का पत्र सं०–89/आशु०/दिनांक 9-6-1998 को परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अधिकरण, बांदा को सम्बोधित है तथा जो गडरिया सम्पर्क मार्ग एवं रामपुर सम्पर्क मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच विषयक था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जांच कराई गयी । जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

अतः अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत मानसी गंगा जल प्रदूषण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

35–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में स्थित मानसी गंगा के जल प्रदूषण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक–क–2-021146, दिनांक 28-10-98 मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कथित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

36–श्री अजय कुमार पोइया–

[3सरे गुरुवार में अता० प्र० सं०–181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

37–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

जनपद प्रतापगढ़ में चिकित्सकों के स्थानान्तरण नीति के विषय में जानकारी

38–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में निर्धारित स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कितने चिकित्सक अब भी कार्यरत हैं ? विभिन्न श्रेणी के चिकित्सकों को एक ही जनपद में बनाये रखने की नीति क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्ष 1998 की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थानान्तरण नीति के विपरीत प्रतापगढ़ में चिकित्सक कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता । श्रेणी–2 के स्वीकृत पदों के विरुद्ध श्रेणी–2 के चिकित्सक और श्रेणी–1 के स्वीकृत पदों के विरुद्ध श्रेणी–1 के चिकित्सक तैनात किये गये हैं ।

जनपद बलरामपुर, चित्तौड़गढ़ बांध से मुख्य नहर गैंसिणी से सैपन तक मिट्टी निकालने एवं हल्लानी गिट्टी डालने के भुगतान में हुये धन का दुरुपयोग से संबंधित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

39–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के चित्तौड़गढ़ बांध से निकलने वाली मुख्य नहर गैंसिणी से सैपन का कार्य वर्ष 1996-97, 1997-98 में मिट्टी निकालने का कार्य कराया गया था ? क्या यह सही है कि मिट्टी निकालने का विभागीय रेट 17.40 (रुपये सत्रह तथा पैसे चालीस मात्र) पर कैरिज था किन्तु रुपये 40/- की दर से भुगतान दिखाकर सहायक अभियन्ता द्वारा बिना कार्य कराये ही भुगतान कर दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि निविदा की शर्तों के अनुसार हल्लानी गिट्टी पड़नी थी किन्तु कम रेट की जरवा गिट्टी डालकर कार्य पूर्ण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1996–97 में कोई कार्य नहीं कराया गया । वर्ष 1997–98 में मिट्टी निकालने का कार्य कराया गया है ।

पूरे प्रकरण की जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

–तदैव–

–तदैव–

प्रश्न नहीं उठता ।

40–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

41–42–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ।]

43–श्रीमती माया प्रसाद–

[दूसरे मंगलवार में अता० प्र० सं०–182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद बरेली की क्योलड़िया डैम से शाहजहांपुर जाने वाली शारदा नहर ब्रांच पर नहर पट्टी पर क्योलड़िया डैम से चुर्रा रसूला तक सड़क के निर्माण विषयक जानकारी

44–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की क्योलड़िया डैम से शाहजहांपुर जाने वाली शारदा नहर ब्रांच पर नहर पटरी पर क्योलड़िया डैम से चुर्रा रसूला तक कितनी सड़क का निर्माण किया जा चुका है और कितनी नहर पटरी का सड़क निर्माण होना शेष है ? क्या सरकार शेष नहर पट्टी पर शीघ्र ही सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्योलड़िया डैम से चुर्रा तक शाहजहांपुर शाखा के सर्विस [illegible] की लम्बाई [illegible] कि०मी० है जिसमें 09–6 कि०मी० लम्बाई में सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है , 10-8 कि०मी० लम्बाई का कार्य होना अवशेष है ।

इस अवशेष कार्य को इस वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एलोपैथिक डिस्पेंसरी सचिवालय लखनऊ में दवाओं की खरीद एवं अन्य मद में खर्च हेतु धनराशि एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कुछ [illegible] कार्यवाही का विवरण

45–श्री हरदेव सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एलोपैथिक डिस्पेंसरी [illegible] लखनऊ का वर्ष [illegible] 1998-99 में कितना धन दवाओं की खरीद एवं अन्य मद में खर्च करने हेतु दिया गया था ? क्या [illegible] धन का दुरुपयोग होने की शिकायतें मिली हैं ? क्या वर्तमान वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डा० [illegible] द्वारा उक्त दवाओं की एल० पी० में भारी धांधली की गयी ? यदि हां, तो इसकी माहवार उच्च स्तरीय शासन स्तर से जांच कराने एवं जांच के दौरान डा० गुप्ता को लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित करने का आदेश देंगे जिससे जांच निष्पक्ष हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेंसरी लखनऊ को दवाओं की खरीद एवं अन्य मद में खर्च करने हेतु वर्ष 1997-98 एवं वर्ष 1998-99 में वर्षवार निम्न धनराशि दी गयी थी :–

वर्ष	औषधि मद	अन्य मद
1997–98	रु० 28,12,000/-	रु० 1,48,000
1998–99	रु० 27,12,000/-	रु० 1,50,300

जी हां । जांचोपरान्त दोषी पाए गये तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डा० आर० एस० आर्या की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है ।

वतर्मान में उक्त डिस्पेन्सरी में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डा० जी० गुप्ता द्वारा दवाओं की एल० पी० में धांधली के संबंध में कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर को प्रश्नकर्ता के प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की मांग

*46–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–''मुन्ना''

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 448/98 दि० 1-7-97 अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि अधीक्षक सामु० स्वा० केन्द्र तिलहर ने अपने पत्रांक.अधी०/97/71 दि० 2-8-97 को प्रश्नकर्ता को अवगत कराया था कि उपरोक्त पत्र के 9 बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार प्रश्नकर्ता के उपरोक्त पत्र की जांच अपने स्तर से कराकर

उसमें पूर्ण रूप से दोषी चिकित्सा अधीक्षक, तिलहर के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

अधीक्षक सामुदायिक स्वा० केन्द्र तिलहर द्वारा शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच की गयी । अधीक्षक द्वारा जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयी ।

जी नहीं !

प्रश्न नहीं उठता ।

47–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर [illegible] सम्बन्धी की जांच एवं दोषी सी० एम० ओ० के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

48–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 103 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण पर क्या जांच कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ? सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी हां ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के मेडिकल कालेज में कार्यरत पूर्व वार्ड आया स्व० रामरती देवी की मृत्यु के उपरान्त श्री जीत बहादुर को नौकरी न दिये जाने विषयक जानकारी

49–श्री दीप लाल भारती–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कार्यरत पूर्व वार्ड आया स्व० रामरती देवी जिनकी मृत्यु 23-9-96 को हो गयी थी, के विवाद रहित वारिस श्री जीत बहादुर पुत्र रामरती देवी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-10-96 पर आज तक योग्यतानुसार नौकरी नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

स्व० श्रीमती रामरती देवी, वार्ड आया के पति श्री पवारू के द्वारा प्रस्तुत बयान हल्फी दिनांक 22-10-96 जिसमें उन्होंने अपने छोटे पुत्र श्री मनोज कुमार प्रभाकर को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति

प्रदान किये जाने का अनुरोध किया था, के आधार पर उनके पुत्र श्री मनोज कुमार को नौकरी दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के तीन जूनियर इंजीनियरों के द्वारा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में कराये गये कार्यों की प्राप्त जांच आख्या पर कृत कार्यवाही की जानकारी

50–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले बुधवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०–58 के उत्तर के संदर्भ में क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

जांच आख्या में उत्तरदायी अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है । स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

51–श्री अजय कुमार पोइया–

[दि० 10-2-99 को अता० प्रश्न संख्या–77 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा, अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशित पत्र का उल्लंघन किये जाने के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की मांग

52–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिनांक 28-6-1994 को समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को पत्र लिखकर यह निर्देशित किया गया था कि जिले के भण्डार का कार्य वरिष्ठ एवं स्वच्छ छवि वाले अवर अभियन्ता को दिया जाय ? यदि हां, तो क्या जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त आदेशों का उल्लंघन कर कनिष्ठ एवं विवादास्पद अवर अभियन्ता को दिनांक 18-11-97 को भण्डार का चार्ज दिया गया है ? क्या उक्त आदेश के उल्लंघन के लिये दोषी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 1998-99 में कनवारा पम्प नहर की मरम्मत व सफाई हेतु व्यय की गयी धनराशि का विवरण

53–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में कनवारा पम्प नहर की मरम्मत व नहर सफाई में लघु डाल नहर प्रखण्ड बांदा द्वारा वर्ष 1998-99 में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा व्यय धनराशि से कितने मीटर नहर सफाई का कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि मरम्मत व सफाई न होने के कारण नहर कई जगह से टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी तकनीकी जांच कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1998-99 में जनवरी, 1999 तक कनवारा पम्प नहर की मरम्मत व सफाई में कुल धनराशि रु० 17,033.85 मात्र व्यय की गयी है ।

रु० 2,400-00 की धनराशि से 150 मीटर नहर की सफाई का कार्य कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 1998-99 में त्रिवेणी पम्प नहर की मरम्मत व सफाई हेतु व्यय की गयी धनराशि का विवरण

54–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में त्रिवेणी पम्प नहर की मरम्मत व नहर की सफाई में लघु डाल नहर प्रखण्ड बांदा द्वारा वर्ष 1998-99 में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा व्यय धनराशि से कितने मीटर नहर सफाई का कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि मरम्मत व सफाई न होने के कारण नहर कई जगह से टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी तकनीकी जांच कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1998-99 में जनवरी तक त्रिवेणी पम्प नहर की मरम्मत व सफाई में कुल रु० 5,404.95 मात्र व्यय किया गया है । व्यय की गई धनराशि में से 700 मीटर नहर की सफाई का कार्य कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 1998-99 में मदनपुर पम्प नहर वितरण प्रणाली की मरम्मत हेतु व्यय हुई धनराशि का विवरण

55–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में मदनपुर पम्प नहर की मरम्मत व नहर सफाई में लघु डाल नहर प्रखण्ड बांदा द्वारा वर्ष 1998-99 में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा व्यय धनराशि से कितने मीटर नहर सफाई का कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि मरम्मत व सफाई न होने के कारण नहर कई जगह से टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी तकनीकी जांच करा कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1998-99 में जनवरी 99 तक मदनपुर पम्प नहर की वितरण प्रणाली की मरम्मत पर कुल रु० 6383=00 धनराशि व्यय की गयी तथा नहर की सफाई पर कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 1998-99 में अलौना पम्प नहर की मरम्मत व सफाई हेतु व्यय की गयी धनराशि का विवरण

56–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में अलौना पम्प नहर की मरम्मत व नहर की सफाई में लघु डाल नहर प्रखण्ड बांदा द्वारा वर्ष 1998-99 में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा व्यय धनराशि से कितने मीटर नहर सफाई का कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि मरम्मत व सफाई न होने के कारण नहर कई जगह से टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी तकनीकी जांच करा कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1998-99 में जनवरी 99 तक अलौना पम्प नहर की मरम्मत व सफाई में कुल धनराशि रु० 9,112=00 मात्र व्यय की गयी है । व्यय की गई धनराशि से नहर की सफाई का कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

57–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद गोण्डा को शासन द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1994-97 तक प्रदत्त ब्याज सहित धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण

58–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु उ० प्र० शासन द्वारा कितनी धनराशि वर्ष 1994-95 व 1995-96 तथा वर्ष 1996-97 में दी गयी थी ? उक्त वर्षों की धनराशि से प्राप्त ब्याज की राशि किन-किन मदों पर व्यय की गयी है ? क्या वर्षवार व मदवार इसकी जानकारी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद गोण्डा को सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक कुल रु० 463.30 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, वर्षवार बिवरण निम्न है :–

वर्ष	प्राप्त धनराशि (लाख रु० में)
1994-95	120.00
1995-96	180.00
1996-97	163.30
योग–	463.30

उपर्युक्त अवधि में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	अर्जित ब्याज	मद	व्यय धनराशि (लाख रु० में)
1994-95	—	—	—
1995-96	1.73	प्राथमिक शिक्षा के लिये बाल पोषाहार सहायता में परिवहन व्यय	1.73
1996-97	1.41	–तदैव–	1.41

जनपद–बलरामपुर, उतरौला गैडास बुजुर्ग, श्री दत्तगंज में निम्न स्तरीय विकास कार्यों की शिकायती जांच की मांग

59–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन जनपद गोण्डा वर्तमान जनपद बलरामपुर के क्षेत्र पंचायत उतरौला गैडास बुजुर्ग श्री दत्तगंज में कराये गये निम्न स्तरीय विकास कार्यों की जांच के लिये परियोजना निदेशक गोण्डा द्वारा अपने निर्देशित जांच पत्र सं०–2391/दिनांक 14-2-97 पत्र सं० 2260/सु०रो० शिकायत जांच दिनांक 14-2-97 तथा 2321/शिकायत जांच दिनांक 14-2-97 व 2258/शि० जांच दिनांक 4-2-97 एवं 1239/सु०रो०यो० शिकायत दिनांक 18-8-97 पत्र सं०–1118/शि० जांच/1-8-97 पत्र सं०–1240/सु०रो०यो० शिकायत 18-8-97 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्ति कर स्थलीय जांच पूर्ण करा ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या व कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

मा० विधायक महोदय के द्वारा शिकायत करने पर जांच प्रारम्भ की गई थी । जांच कार्य के दौरान मा० विधायक द्वारा कार्य संतोषजनक होने की पुष्टि की गई तथा जांच की आवश्यकता न होने का पत्र प्राप्त हुआ । अतः अग्रेत्तर जांच का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय के समक्ष कैन्ट रोड, लखनऊ के किनारे फुटपाथ पर ग्रिल–फैन्सिंग का औचित्य एवं व्यय हुई धनराशि का विवरण

60–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के समक्ष कैण्ट रोड, लखनऊ के किनारे फुटपाथ पर (नगर निगम की भूमि सीमा में) की गयी ग्रिल–फैन्सिंग किये जाने का औचित्य क्या है ? कितनी धनराशि व्यय करके उक्त बाढ़ स्थापित की गयी ? क्या यह सही है कि कार्यालय के गेट पर बाड़ लगाकर मार्ग संकरा कर दिया गया है ? इस संबंध में वर्ष 1995 में नगर निगम द्वारा बाड़ लगाने को अनुचित बताते हुए संबंधित अधिकारी को वर्ष 1995 में प्रेषित पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विभागीय भूमि पर अतिक्रमण रोकने एवं प्रमुख अभियन्ता कार्यालय की भव्यता की दृष्टि से प्रश्नगत स्थल पर फैन्सिंग का कार्य कराया गया है।

उक्त कार्य के मद में लगभग रु० 15,000.00 का व्यय किया गया है ।

जी नहीं ।

चूंकि उक्त निर्माण कार्य विभागीय भूमि की सीमा के अन्तर्गत कराया गया है । अतः नगर निगम की आपत्ति औचित्य पूर्ण नहीं है ।

पूर्व विधायक श्री लाखन सिंह के अनुरोध पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लखनऊ की कैनाल कालोनी स्थित वाहन कार्यशाला को आवासीय क्षेत्र से अन्यत्र हटाने विषयक आख्या की मांग

61–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 में पूर्व विधायक श्री लाखन सिंह के अनुरोध पर उनकी संस्तुति के अनुपालन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लखनऊ जनपद की कैनाल कालोनी स्थित वाहन कार्यशाला का निरीक्षण कर उसे रिहायशी क्षेत्र में स्थापित करने को अनुचित

बताया गया था ? क्या पुनः वर्ष 1995-96 में पूर्व अधीक्षण अभियन्ता (श्री रामशरण) द्वारा निर्गत निरीक्षण टिप्पणी में उक्त कार्यशाला (वर्कशाप) को आवासीय क्षेत्र से बाहर हटाने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त कार्यशाला कब तक हटा दी जायेगी ? प्रकरण पर शासन द्वारा मांगी गयी आख्या उपलब्ध न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लखनऊ जनपद के कैनाल कालोनी में स्थित वाहन कार्यशाला का निरीक्षण कर उसे रिहायशी क्षेत्र में स्थापित करने को अनुचित बताने सम्बन्धी कोई आदेश अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है ।

वर्ष 1995-96 में पूर्व अधीक्षण अभियन्ता (श्री राम शरण) द्वारा दिनांक 15-2-96 को कैनाल कालोनी का निरीक्षण कर पत्रांक–मु–574/सप्तम/निरीक्षण दिनांक 7-3-96 द्वारा जो निरीक्षण टिप्पणी निर्गत की गयी थी उसमें भी उक्त कार्यशाला के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

चूंकि प्रश्न में शासन के किसी संदर्भ विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है । अतः इसके प्रत्युत्तर के रूप में कोई अभिकथन किया जाना संभव नहीं है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान के सम्बन्ध में जानकारी

62–श्री धर्मराज निषाद तथा श्री राम चन्दर यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी भारत सरकार के नियंत्रणाधीन हैं अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के यह कर्मचारी शासकीय हैं अथवा अर्द्धशासकीय ? क्या उन्हें शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं 1-1-96 से पनुरीक्षित वेतनमान की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 की धारा–18 के अधीन पंजीकृत संस्था है । इनमें कार्यरत कार्मिक राज्य कर्मचारी/शासकीय श्रेणी में नहीं आते हैं ।

विगत वर्षों में समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान की सुविधा अभिकरण के कार्मिकों को प्रदान की गयी है । इसी उद्देश्य से दिनांक 1-1-96 से पनुरीक्षित वेतनमान की सुविधा स्वीकृत किये जाने का प्रकरण वेतन समिति के समक्ष विचाराधीन है ।

जनपद शाहजहांपुर में खण्ड विकास अधिकारी जैतीपुर द्वारा निःशुल्क बोरिंग में धन के दुरुपयोग की शिकायत

63–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि खण्ड विकास अधिकारी, जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर ने दिनांक 6-3-98 को निःशुल्क बोरिंग योजना के लिये 26 व्यक्तियों की सूची स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त किसी भी व्यक्ति के यहां निःशुल्क बोरिंग अभी तक नहीं हुई ? क्या उपरोक्त योजना में सरकारी धन का गबन तथा दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

जी नहीं, संदर्भित बोरिंग लघु सिंचाई विभाग द्वारा न कराकर समाज कल्याण विभाग द्वारा करायी गयी है और अपर जिला विकास अधिकारी, समाज कल्याण शाहजहांपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 21 बोरिंग पूर्ण की जा चुकी है । शेष 5 बोरिंगों पर कार्य प्रगति पर है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सामुदायिक स्वा० केन्द्र तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के चिकित्सा अधीक्षक डा० ओ० पी० गुप्ता के अवकाश का विवरण एवं उनके स्थान पर अन्य चिकित्साधिकारी की तैनाती की मांग

64–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० ओ० पी० गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वा० केन्द्र, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगस्त, 1998 तक कितने दिन छुट्टी पर कब-कब रहे ? क्या सरकार को जानकारी है कि डा० गुप्ता द्वारा ज्यादातर छुट्टी पर रहने से तिलहर चिकित्सालय की प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल ठप्प हो गयी है तथा मरीजों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार डा० गुप्ता के स्थान पर किसी अन्य चिकित्साधिकारी को उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

डा० ओ० पी० गुप्ता द्वारा दिनांक 6-6-97 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगस्त, 1998 तक कुल 99 दिन, क्रमशः दिनांक 7-8-97 से 28-8-97, 24-11-97 से 23-12-97, 16-3-98 से 16-4-98 व 17-8-98 से 31-8-98 तक अवकाश पर रहे ।

डा० गुप्ता की अवकाश अवधि में प्रश्नगत चिकित्सालय के प्रशासनिक तथा चिकित्सकीय कार्य को उनके निकटतम वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पद रिक्त नहीं हैं ।

सहायक अभियन्ता, लघु डाल नहर उपखण्ड शाहजहांपुर कार्यालय में वर्ष 1996 से अगस्त, 1998 तक शासन तथा जिला योजना से प्राप्त व्यय हुई धनराशि का विवरण एवं कृत कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग

65–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अभियन्ता, लघु डाल नहर उपखण्ड शाहजहांपुर कार्यालय में वर्ष 1996 से अगस्त, 1998 तक कुल कितना-कितना धन प्रत्येक वर्षों में शासन से तथा जिला योजना से प्राप्त हुआ ? किस-किस कार्यों में कहां-कहां वह धन व्यय किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उपरोक्त कार्यालय द्वारा नहरों पर कार्य न कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त उपखण्ड द्वारा उपरोक्त वर्षों मे कराये गये कार्यों की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1996 से अगस्त, 1998 तक सहायक अभियन्ता लघु डाल नहर उपखण्ड शाहजहांपुर कार्यालय में मदवार शासन से तथा जिला योजना से प्राप्त व व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	वर्ष	प्राप्त व व्यय की गई धनराशि लाख रु० में		
		नाबार्ड योजना	जिला योजना	अनुरक्षण एवं मरम्मत
1	95-96	1.32	शून्य	13.35
2	96-97	29.70	शून्य	14.84
3	97-98	27.03	शून्य	13.41
4	98-99 अगस्त, 98 तक ।	——	—	3.60

नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि पम्प नहरों के जीर्णोद्धार तथा यांत्रिक उपकरणों के नवीनीकरण हेतु एवं अनुरक्षण मद में प्राप्त धनराशि जल विवरण प्रणाली एवं प्रयुक्त उपकरणों के रख-रखाव तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन के लिए व्यय की गयी है ।

मा० विधायक द्वारा की गई शिकायत पर मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) ने जांच आदेशित कर दी है ।

प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों की संख्या की जानकारी तथा फीस को नियंत्रित कर निर्धन व मेधावी छात्रों को सुविधा दिये जाने की मांग

66–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी क्षेत्र के कितने मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल कालेजों को मान्यता प्रदान की गयी है ? क्या सरकार निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल कालेजों की फीस को नियंत्रित करके निर्धन तथा मेधावी छात्रों को सुविधा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० शिवाकान्त ओझा–

प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में मेडिकल एवं डेन्टल कालेज खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है । अब तक 22 डेन्टल कालेजों तथा 20 मेडिकल कालेज खोलने की अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जा चुका है । प्रदेश सरकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के पश्चात् भारत सरकार द्वारा इनकी मान्यता दी जाती है । अब तक 6 डेन्टल एवं 2 मेडिकल कालेजों को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी जा चुकी है ।

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों की फीस माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सितम्बर, 1997 में शासनादेश जारी कर तीन वर्ष हेतु नियंत्रित/निर्धारित की जा चुकी है किन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों द्वारा उक्त शासनादेश का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास परिषद गोण्डा के निर्माण कार्यों की जांच हेतु प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर जांच आख्या

67–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद् गोण्डा के निर्माण कार्यों की जांच हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर उ० प्र० शासन ने प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को विधायक प्रकोष्ठ पत्र सं०–एम–4/33-4/गोण्डा/97, दिनांक 27-1-97 के माध्यम से जांच का आदेश दिया गया है ? क्या जांच पूर्ण करा ली गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

जी हां ।

जांच आख्या की विस्तीर्णता के कारण अवगत कराना संभव नहीं है, मा० सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में इसका अवलोकन कर सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा, विकास खण्ड श्री दत्तगंज उतरौला गैडास बुजुर्ग में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कार्य मानक के अनुसार न कराये जाने की शिकायत की जांच

68–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा वर्ष 1995-96 तथा वर्ष 1996-97 में कराये गये मार्गों के निर्माण में विकास खण्ड श्री दत्तगंज उतरौला गैडास बुजुर्ग में मानक के अनुसार न कराये जाने विषयक पत्र संख्या–एम–4/78-10/गोण्डा/97, दिनांक 27-9-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

प्राप्त पत्र पर अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमण्डल फैजाबाद से जांच करायी गयी । जांच में दोषी पाये गये अधिशासी अभियन्ता श्री एस० डी० शर्मा को भर्त्सना प्रविष्टि, सहायक अभियन्ता श्री ए० के० माथुर एवं सूर्यपाल तथा अवर अभियन्ता श्री सुभाष दीक्षित, श्री नदीम अली एवं श्री गंगासागर को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है । इनके अतिरिक्त अर्न्तग्रस्त अन्य अभियन्ताओं तथा श्री सलाउद्दीन अंसारी, अधिशासी अभियन्ता, श्री आर० पी० त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता, श्री समी उल्लाह, अवर अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

69–श्री उबैदुर्रहमान–

[2सरे गुरुवार में अता० प्र० सं०–69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

70-71–श्री अजय भट्ट–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1985-90 तक नलकूप मण्डल–2 पुनर्नामांकित नलकूप मण्डल बस्ती में सहायक सर्वेयर से सर्वेयर पद पर आरक्षण कोटे के अन्तर्गत पात्र एवं ज्येष्ठतम सहायक को पदोन्नति दिये जाने की मांग

72–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 से 1990 तक नलकूप मण्डल–2 गोरखपुर/पुनर्नामांकित नलकूप मण्डल बस्ती में सहायक सर्वेयर से सर्वेयर पद पर कितनी पदोन्नतियां की गयीं ? इन पदोन्नति में श्रेष्ठता का मापदण्ड अपनाया गया या ज्येष्ठता का ? क्या इन पदोन्नतियों में आरक्षण नियमों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आरक्षण कोटे के अन्तर्गत आने वाले पात्र एवं ज्येष्ठतम सहायक सर्वेयर को पदोन्नति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कोई नहीं । नलकूप मण्डल–2 गोरखपुर जो अब पुनर्नामांकित होकर नलकूप मण्डल बस्ती के रूप में कार्यशील है, का सृजन दि० 1-8-98 से हुआ है । अतः वर्ष 1985 से 1990 तक सहायक सर्वेयर से सर्वेयर पद पर पदोन्नति करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग कार्यालय में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत वर्ग–1 अनुभाग के लिपिकों को वर्ग–2 अनुभाग में स्थानान्तरित किये जाने की मांग

73–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के लिपिकों हेतु ज्ञाप संख्या–11259/ई–4 का दिनांक 6-9-97 द्वारा कार्यालय के अनुभागों को दो वर्गों में वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक वर्ग में तीन से पांच वर्ष की अवधि के सेवाकाल के पश्चात् दूसरे वर्ग के अनुभागों में स्थानान्तरित करने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो कितने लिपिक ऐसे हैं जिनका वर्ग–1 के अनुभागों से निरन्तर सेवाकाल पांच वर्ष से अधिक है ? क्या इन लिपिकों को नीति के अनुसार वर्ग–2 के अनुभागों में स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

17 लिपिक ऐसे हैं जिनका वर्ग–1 के वर्तमान अनुभाग में सेवाकाल पांच वर्ष से अधिक है ।

जी हां । सामान्य स्थानान्तरण सत्र, 1999 में ।

जनपद बांदा विकास खण्ड, बड़ोखर खुर्द, में खराब राजकीय नलकूप मरम्मत, वर्षवार व्यय तथा संख्या का विवरण

74–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं ? कुल नलकूपों में कितने चालित तथा कितने बन्द पड़े हुए हैं ? बन्द नलकूपों में कितने अस्थाई तथा स्थाई खराब हैं ? नलकूपों की मरम्मत हेतु वर्ष 1997-98 व 1998-99 में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या यह सही है कि मरम्मत कार्य न कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच उच्च तकनीकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में कुल 47 राजकीय नलकूप है । जिनमें से 3 निर्माण उपरान्त सिंचाईरत किये जाने हैं ।

सिंचाईरत 44 नलकूपों में से 36 नलकूप चालित हैं तथा 8 नलकूप बन्द पड़े हैं जिनमें से एक नलकूप स्थाई रूप से बन्द है एवं 7 नलकूप अस्थाई रूप से बन्द हैं ।

नलकूपों की मरम्मत पर वर्ष 1997-98 में तथा 1998-99 में माह 12/98 तक क्रमशः रु० 2.82 लाख तथा रु० 0.79 लाख की धनराशि व्यय की गई ।

मरम्मत न कराकर सरकारी धन के दुरुपयोग का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा तिन्दवारी में हैण्डपम्पों के स्थापन सम्बन्धी जिला अधिकारी को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

75–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अधिकारी, बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-4-98 जो विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी (बांदा) में 25 हैण्डपम्पों को स्थापित किये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्राप्त सूची से कुल कितने हैण्डपम्पों को स्थापित किया जा चुका है तथा कितने शेष हैं ? शेष हैण्ड पम्पों के स्थापन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

पच्चीस हैण्डपम्पों में से 22 हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित किया जा चुका है तथा 3 हैण्डपम्प लगाने हेतु शेष हैं ।

अवशेष तीन हैण्ड पम्पों में से एक हैण्ड पम्प स्थल विवादित होने के कारण, एक हैण्डपम्प रास्ता संकरा होने तथा ग्राम के अन्दर रिग मशीन न पहुंच पाने के कारण तथा एक हैण्डपम्प माननीय विधायक द्वारा अग्रिम निर्देशों तक स्थगित करा दिये जाने के कारण अधिष्ठापित नहीं किया जा सका है ।

जनपद महोबा में राजकीय नलकूपों को लगाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

76–डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-8-98 जो 50 राजकीय नलकूपों को लगाये जाने के संबंध में था, को माननीय मंत्री जी ने जिलाधिकारी, महोबा को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

सर्वेक्षण एवं अन्वेषणात्मक छिद्रण से सम्बन्धित रिपोर्ट के अनुसार जनपद महोबा में उपलब्ध सम्भावित भूगर्भ जल की मात्रा राजकीय नलकूप हेतु निर्धारित मानक से काफी कम है, अतः राजकीय नलकूपों का निर्माण साध्य नहीं होने के कारण कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पाया ।

77–डा० अशोक बाजपेयी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

78-79-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ।]

जनपद बांदा, तिन्दवारी में राजकीय नलकूप लगाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल बांदा के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, झांसी को सम्बोधित अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, बांदा का पत्र संख्या-10035/सिं०कार्य०मं०बा/प-15, दिनांक 3-12-1997 जो विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी बांदा में राजकीय नलकूप लगाने में की जा रही शिकायत विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

शिकायत पर जांच की गई । आरोप निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में चिकित्साधिकारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति के आधार पर लाभ दिये जाने की मांग

81-श्री अजय भट्ट-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 8738/4-96-1644/1995, दिनांक 22-11-96 द्वारा निर्गत वरिष्ठता सूची में चिकित्साधिकारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ न देने का क्या कारण है ? इससे चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता स्पष्ट न होने के कारण होने वाली हानि का उत्तरदायित्व किस पर है ? पर्वतीय संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची अलग से बनाकर (अन्य विभागों की भांति) उन्हें सामान्य वरिष्ठता सूची से विलग करते हुए प्रोन्नतियां व अन्य सुविधायें कब तक प्रदान की जायेंगी ?

श्री रमापति शास्त्री-

दिनांक 22-11-96 को निर्गत चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची मा० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-9660-64/93-स्टेट आफ यू० पी० बनाम डा० आर० के० टण्डन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23-3-95 और सपठित निर्णय दिनांक 26-7-96 में दिये गये निर्देशानुसार तैयार की गयी है । चूंकि मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयों में चिकित्सकों की वरिष्ठता, उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से निर्धारित किये जाने के निर्देश नहीं थे, अतः चिकित्सकों की वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति की तिथि से निर्धारित नहीं की गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 22-11-96 की वरिष्ठता सूची से पर्वतीय संवर्ग के चिकित्सकों को पृथक करते हुए उनकी वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नतियां व अन्य सुविधायें प्रदान की जा चुकी हैं ।

जनपद शाहजहांपुर कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु डाल नहर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

82-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 36199 तथा 36227 जो कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु डाल नहर शाहजहांपुर को दि० 9-10-98 को दिये गये थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, और मा० प्रश्नकर्ता के पत्रों द्वारा अपेक्षित सूचनायें उन्हें अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, कानपुर द्वारा प्रेषित कर दी गई है ।

83-84–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ।]

जनपद बलरामपुर/गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड श्री दत्तगंज/उतरौला/गैण्डास बुजुर्ग में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

85–श्री उबैदुर्रहमान–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–34 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में अवमुक्त धनराशि के विपरीत कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? क्या यह सही है कि कार्य गुणवत्ता के अनुरूप नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये कार्य की जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत विकास खण्ड श्रीदत्त गंज, उतरौला एवं गैण्डास बुजुर्ग में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1997-98 में कुल 87 कार्यों हेतु विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को रु० 208.695 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके विपरीत 52 कार्य पूर्ण, 33 कार्य प्रगति पर तथा दो कार्य आरम्भ नहीं हुये हैं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुरूप है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान नीकी जामो के जवाहर रोजगार योजना के सह खातेदार ग्राम पंचायत अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद भी बी० डी० ओ० द्वारा खाता न परिवर्तन करने सम्बन्धी शिकायत की जांच एवं कार्यवाही की मांग

86–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित ग्राम प्रधान नीकी जामो, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र दि० 24-3-98 जिसमें ग्राम प्रधान के जवाहर रोजगार योजना के सहखातेदार संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद भी बी० डी० ओ० द्वारा खाता परिवर्तन न करने, खाता परिवर्तन हेतु सुविधा शुल्क की मांग करने तथा खाता सील करने की धमकी देने हेतु सुविधा शुल्क की मांग करने तथा खाता सील करने की धमकी देने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ? क्या संबंधित बी० डी० ओ० के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जिला विकास अधिकारी, सुल्तानपुर से जांच करायी गयी और जांच में शिकायतें सत्यापित नहीं पाई गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

87-88–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन ग्राम जतीपुर के नालों की सफाई एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के ग्राम जतीपुर के दोनों नालों की सफाई करने एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मा० मुख्य मंत्री के पत्रांक संख्या सी० एम० वि० को/एम०–3/11505/मथुरा/98, दिनांक 1-6-98 प्रमुख सचिव सिंचाई के यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित कोसी राजवाहा तथा नन्द गांव राजवाहा पर धन उपलब्धता के अनुसार सफाई कार्य कराये गये हैं तथा सींच हेतु रोस्टर के अनुसार जल उपलब्धता कराई गई है ।

जनपद बहराइच ग्राम उचवा पुरैनी, में सट्टे के अनुसार पर्ची न मिलने के कारण कृषकों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिलाये जाने की मांग

90–श्री दीपलाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1995-96 में अतिरिक्त सट्टे के बावजूद सप्लाई टिकट न मिलने के कारण श्री सन्तोष कुमार अग्रवाल आदि गन्ना कृषक ग्राम उचवा पुरैनी जनपद बहराइच का आठ एकड़ गन्ने की फसल चीनी मिल को सप्लाई न होने के कारण खेतों में सूख गई है ? क्या इस प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय के आदेश सं० 2909 (एम०बी०) दिनांक 25-9-96 का पालन किया गया ? क्या गन्ना कृषक को क्षतिपूर्ति नियमानुसार दिलाई जायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1995-96 में श्री संतोष कुमार अग्रवाल आदि गन्ना कृषकों का 8 एकड़ गन्ना सूखने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । किन्तु उक्त कृषकों को सट्टे के अनुसार पर्ची न मिलने के कारण कृषकों को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का मामला विचाराधीन है ।

जी हां ।

नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रकरण विचाराधीन है ।

यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के अधिशासी अभियन्ता गण्डक नहर, निर्माण खण्ड पंचम द्वारा की गयी अनियमितता के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

91–श्री दीपलाल भारती–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-10-98 जो अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर, निर्माण खण्ड पंचम देवरिया के गण्डक कालोनी-खड्डा (कुशीनगर) स्थित कार्यालय में छितौनी तटबन्ध पर फर्जी तरीके से कराये गये करोड़ों रुपये का घोटाले से संबंधित है, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शिकायतों की जांच टी० ए० सी० सिंचाई विभाग से कराई गई तथा टी० ए० सी० से प्राप्त प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड–5, देवरिया को आदेश दिनांक 8-1-99 द्वारा निलम्बित करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर शासनादेश के बावजूद दशहरा पर्व के पूर्व वेतन न देने वाले सिंचाई विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किये जाने की मांग

92–श्री दीपलाल भारती–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-10-98 जिलाधिकारी कुशीनगर को इस आशय का प्राप्त हुआ है जो शासनादेश के बावजूद दशहरा पर्व के पूर्व वेतन न देने वाले सिंचाई विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किये जाने से संबंधित है ? यदि हां, तो वेतन निकालकर अधिशासी अभियन्ता, गंडक नहर निर्माण खण्ड पंचम (सिंचाई विभाग) व सहायक अभियन्ता द्वारा बीस दिन बाद वितरित किये जाने का क्या कारण है ? दोषी के प्रति क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

मा० विधायक का पत्र दिनांक 8-10-98 जिला अधिकारी, कुशीनगर के माध्यम से विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन खण्ड विकास कदौरा, बेतवा नहर शाखा की पटरी को पक्का कराने में बरती गई अनियमितता के संबंध में उच्च स्तरीय जांच/कार्यवाही की मांग

93–श्री श्रीराम पाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा नहर पटरी को पक्का बनाये जाने की योजना के तहत जनपद जालौन के बेतवा नहर प्रथम खण्ड के कार्य क्षेत्र में खं० वि० कदौरा के अन्तर्गत बेतवा नहर शाखा की पटरी को पक्का कराने की प्रक्रिया में बीस लाख रुपये के फर्जी बांड कागजात लगाकर ठेकेदार द्वारा रुपया निकाल कर कार्य बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री निर्धारित मात्रा से मात्र चौथाई से कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । निविदाओं के साथ ठेकेदारों ने मात्र रु० 2.40 लाख की बचत पास बुकें प्रतिभूति के रूप में लगाकर जो अनुबन्ध कराये थे, वे बाद में फर्जी पायी गयी ।

जी नहीं ।

जी हां । जांचोपरान्त बांडों के रूप में अनुबन्धों के साथ संलग्न प्रतिभूति फर्जी पाये जाने पर रु० 2.40 लाख की धनराशि के बराबर धनराशि ठेकेदारों के चालू बीजकों से काटकर डिपाजिट में डाल दी गयी है तथा दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध धोखाधड़ी की प्राथमिकी पुलिस में दर्ज करायी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन, रबी की फसल की बुवाई के पूर्व बेतवा नहर प्रथम व द्वितीय के रजवाहा व माइनरों तथा नालों की सिल्ट सफाई व खुदाई व कार्य में व्यय हुई धनराशि के विवरण की जानकारी

94–श्री श्रीराम पाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में वर्तमान रबी की फसल की बुवाई के पूर्व बेतवा नहर प्रथम व द्वितीय के रजवाहा व माइनरों तथा नालों की सिल्ट सफाई व खुदाई का लक्ष्य रखा गया था ? यदि हां, तो प्रत्येक खण्डवार किन-किन रजवाहों/माइनरों व नालों की शिल्ट सफाई व खुदाई की गई तथा प्रत्येक पर कितना धन व्यय हुआ ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त खण्डों में सिल्ट सफाई व खुदाई का कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

बेतवा नहर प्रखण्ड–प्रथम एवं द्वितीय उरई के अन्तर्गत कुल 341.60 किमी० लम्बाई के रजवाहों, माइनरों व नालों में सिल्ट सफाई व खुदाई का कार्य कराया गया जिस पर कुल 33.87 लाख रुपये का व्यय हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कार्य मानक अनुसार कराया गया ।

जनपद जालौन के खण्ड विकास कदौरा, ग्राम बबीना में आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराये जाने की मांग

95–श्री श्रीराम पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के खं० वि० कदौरा के अन्तर्गत ग्राम बबीना में निर्मित कराये जा रहे आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन का निर्माण गत 6 माह से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या रोके गये कार्य को पुनः चालू कराकर एक निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उसे पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जी हां । लगभग 4 माह के लिए ।

इस वर्ष की भीषण बरसात के कारण निर्माण स्थल पर पानी भर गया था तथा स्थल तक लगभग 1 किमी० का पहुंच मार्ग कच्चा होने तथा उस पर भी जल भराव हो जाने के कारण निर्माण कार्य लगभग 4 माह तक के लिए रोकना पड़ा ।

जी हां ।

भरे हुए पानी के सूखने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है । जून, 99 तक विद्यालय भवन के निर्माण कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आयोजनेत्तर मद से वेतन दिये जाने की मांग

96–श्री श्रीराम पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सैनिक कल्याण एवं पनुर्वास के कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आयोजनागत तथा कुछ को आयोजनेत्तर मदों में वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या आयोजनागत मद से 5 और 6 माह बाद वेतन मिलने से कर्मचारीगणों को हो रही परेशानी को देखते हुए सभी कर्मचारियों को आयोजनेत्तर मद से वेतन दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जी हां ।

8 नवसृजित जनपदों जिनमें आयोजनागत मद से वेतन दिया जाता है, के लिए आवश्यकता के अनुरूप बजट प्राविधान न होने के कारण वांछित अतिरिक्त धनराशि आयोजनागत मद से स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव निदेशक, सैनिक कल्याण से प्राप्त हुआ था जिसके सापेक्ष देय वेतन व्यवस्था हेतु वित्त विभाग की सहमति से रुपये 10.02 लाख की अनुपूरक मांग का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जा चुका है तथा रुपये 1,00,000/–की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से दिसम्बर, 1998 में स्वीकृत हो चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बरेली, ग्राम बीजामऊ में कृषकों की सिंचाई हेतु नहर का खुदान सबापुर तक कराने की मांग

97–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज की विथरी बीजामऊ नहर (माइनर) की टेल से पानी का निकास अवरुद्ध हो गया है ? क्या इसके कारण ग्राम बीजामऊ के कृषकों की हजारों बीघा फसल सिंचाई के अभाव में बरबाद हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नहर का खुदान ग्राम सबापुर तक कराकर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नहर की टेल से नीचे 1.8 किमी० टेलगुल है जिसका रख-रखाव कृषकगण करते हैं । वर्तमान में कृषकों द्वारा टेलगुल खेतों में मिला ली है जिसके फलस्वरूप पानी का निकास अवरुद्ध हो गया है ।

जी नहीं ।

बीजापुर नहर की सिल्ट सफाई का कार्य कराया जा चुका है एवं कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है ।

जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज ग्राम सैदपुर एवं खामपुर उर्फ गंगापुर में नहर को सिंघइया नदी तक खुदान कराके कृषकों की फसलें सुरक्षित किये जाने की मांग

98–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज के ग्राम सैदपुर एवं खामपुर उर्फ गंगापुर में नहर की टेल के किनारे पट जाने के कारण नहर के पानी से ग्रामवासियों की सैकड़ों बीघा फसल बरबाद हो गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस नहर को सिंघइया नदी तक खुदान करवाकर ग्राम सैदपुर व खामपुर उर्फ गंगापुर के कृषकों की फसलें बरबाद होने से बचायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

इन ग्रामों के पास कल्याणपुर माइनर से, जिसकी टेलगुल को कृषकों द्वारा जोतकर अपने खेतों में मिला लिया गया है । नहर चलने पर टेल क्षेत्र के कृषक नहर को किमी० 4.8 पर काट देते हैं जिससे पानी सड़क के किनारे खन्तियों से होकर सिंघइया नदी में गिरता है इससे फसल को क्षति नहीं पहुंचती है ।

रबी फसल के उपरान्त आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व टेल-गूल साफ करा दी जायेगी ।

जनपद जौनपुर, तहसील मछलीशहर, मधुपुर, कुंवरपुर रजबहा से सरायबीफा करौदा माइनर बनाने हेतु कृषकों की अधिगृहीत जमीन का ब्याज सहित मुआवजा दिये जाने की मांग

99–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के तहसील मछलीशहर के अन्तर्गत मधुपुर कुंवरपुर रजबहा से सरायबीफा करौदा माइनर बनाने हेतु सैकड़ों कृषकों की जमीनें अधिग्रहीत की गई हैं ? यदि हां, तो क्या श्री किशोरी लाल तथा श्री राम अधार आदि कृषकों की जमीनों का मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो ब्याज सहित मुआवजे का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

दर निर्धारण समिति से दरों का अनुमोदन प्राप्त कर आपसी समझौते के आधार पर भू-प्रतिकर नियमानुसार वितरित किया जायेगा ।

अम्बेडकर नगर टाण्डा सिंचाई खण्ड सृजित रोजगार योजनान्तर्गत ट्रेक्टर से कराये गये कार्य से सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

100–श्री राजधारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा सिंचाई खण्ड अम्बेडकर नगर में वर्ष 96–97 तथा 97–98 में सिल्ट निकालने का कार्य सृजित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य ट्रैक्टर से कराया गया ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, बोनस व नकदीकरण के भुगतान की मांग

101–श्री हरदेव सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के रा० हो० चिकित्सालयों के किन-किन अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन दिसम्बर, 1997 जनवरी/फरवरी, 1998 बोनस 1997 नकदीकरण 1998 का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री शिवाकान्त–

जनपद मऊ में स्थित तीन राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के 7 अधिकारियों एवं कर्मचारियों क्रमशः डा० कन्हैया राम चिकित्साधिकारी, डा० एन० बी० श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी, डा० आर०बी० सिंह, चिकित्साधिकारी, श्री हरेन्द्र कुमार राय, भेषजिक, श्री राम सरीख, भेषजिक, श्री जवाहर सिंह यादव, भेषजिक, श्री राम जनम, वार्ड ब्वाय के दिसम्बर, 1997, जनवरी/फरवरी 1998 के वेतन का भुगतान व श्री हरेन्द्र कुमार राय, भेषजिक, श्री राम सरीख, भेषजिक, श्री जवाहर सिंह, भेषजिक, श्री राम जनम, वार्ड ब्वाय के वर्ष 1997, के बोनस का भुगतान तथा जनपद मऊ के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वर्ष 1998 के नकदीकरण का भुगतान बजट के अभाव में नहीं किया जा सका है।

इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। वांछित धनराशि स्वीकृत होते ही उक्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के समस्त देयों का भुगतान कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश चिकित्सालय नियमावली में किये गये संशोधन एवं उसका प्रारूप तैयार कर प्रकाशित किये जाने की मांग

102–श्री अजय भट्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश चिकित्सालय नियमावली में क्या कुछ संशोधन किये गये हैं तथा क्या उसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसको स्वीकृत कर प्रकाशित करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री रमापति शास्त्री–

उत्तर प्रदेश शासकीय सेवकों की नई चिकित्सा परिचर्या नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया था। इस बीच राजकीय कर्मचारियों की चिकित्सा एवं उनसे व्ययों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में हो रही तात्कालिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश सं०–2428/5-7-97-294/96 दिनांक 23-7-97 एवं संख्या–3975/5-6-97-294/96 दिनांक 1 जनवरी, 1998 निर्गत किये गये हैं।

उक्त शासनादेशों में किये गये प्राविधानों को नियमावली के प्रारूप में सम्मिलित करके संबंधित विभागों का अनुमोदन/विधीक्षण प्राप्त किये जाने के कारण विलम्ब हो रहा है।

जनपद बांदा, लघु डाल नहर प्रखण्ड कार्यशाला में उपयोगार्थ नट बोल्ट क्रय में बरती गई अनियमितता की जांच/कार्यवाही की मांग

103–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि लघु डाल नहर प्रखण्ड बांदा द्वारा वर्ष 1998–99 में कार्यशाला में प्रयोग हेतु कुल कितने कि० ग्रा० नट बोल्ट क्रय किये गये ? क्या खरीद से पूर्व क्रय समिति की सहमति ली गई थी। क्या यह सही है कि सस्ते व अनुपयोगी नट बोल्ट क्रय कर फर्जी वाउचर बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लघु डाल नहर प्रखण्ड, बांदा में खण्डीय कार्यशाला नहीं है। वर्ष 1998–99 में खण्ड द्वारा कार्यशाला में प्रयोग हेतु कोई नट-बोल्ट क्रय नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में राजकीय नलकूपों की मरम्मत पर खर्च धनराशि का विवरण

104–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं ? कुल नलकूपों में कितने चलित हैं तथा कितने बन्द हैं ? बन्द नलकूपों में कितने अस्थाई तथा स्थाई खराब हैं ? खराब नलकूपों की मरम्मत हेतु वर्ष 1997-98 व 1998-99 में कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि मरम्मत कार्य न कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या उच्च तकनीकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में 1-10-98 को कुल 109 नलकूप हैं, जिनमें से एक निर्माण उपरान्त सिंचाईरत किया जाना है ।

कार्यशील 108 नलकूपों में से 91 चलित हैं तथा 17 बन्द हैं जिनमें से 6 नलकूप स्थाई रूप से एवं 11 नलकूप अस्थाई रूप से खराब हैं ।

नलकूपों की मरम्मत पर वर्ष 1997-98 तथा 98-99 में 12/98 तक क्रमशः 6.70 लाख एवं 2.23 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई ।

मरमम्त न कराकर सरकारी धन के दुरुपयोग का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में बिना स्टार्टर वाले राजकीय नलकूपों में स्टार्टर लगाये जाने की मांग

105–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा में अधिकांश राजकीय नलकूप बिना स्टार्टर के चलाये जा रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि बिना स्टार्टर के नलकूप चलाने के कारण मोटर व ट्रांसफार्मर जलने से सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बिना स्टार्टर वाले राजकीय नलकूपों में स्टार्टर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । स्टार्टरों के अभाव में सिंचाई की मांग को दृष्टिगत रखते हुए टी० पी० स्विच में सही फ्यूज वायर बांधकर चलाया जा रहा है ।

राजकीय नलकूपों में स्टार्टर का लगवाया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

106–श्री तेजभान सिंह–

[दि० 10-2-99 को अता० प्र० सं०–11 द्वारा उत्तरित]

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सहायक लेखाकार/लेखाकार एवं सहायक अभियन्ता के मानक के आधार पर पदोन्नति की जानकारी

107–श्री राजधारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति समस्त सुविधायें प्राप्त हैं ? यदि हां, तो क्या सहायक लेखाकार/लेखाकार के 80 प्रतिशत 20 प्रतिशत मानक के आधार पर अन्य विभागों की भांति नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि

नहीं, तो क्यों ? क्या सहायक लेखाकार/लेखाकार एवं सहायक अभियन्ता की पदोन्नति का प्रकरण शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो इसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रदेश के समस्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सोसाइटीज आफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 18 के अन्तर्गत स्वशासी संस्था है । लेखा संवर्ग के संबंध में समता समिति 1989 की संस्तुतियां स्वशासी संस्थाओं पर लागू नहीं है । अतएव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को 80 प्रतिशत व 20 प्रतिशत मानक के आधार पर अन्य विभागों की भांति नियुक्ति किया जाना संभव नहीं है ।

जी नहीं ।

108–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री विजय बहादुर सिंह ग्राम पूरे बेलखरिया, पोस्ट दुलारी नगर स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर के कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध प्रेषित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

109–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1998 के प्रथम बुधवार के अता० प्र० सं०–3 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित जांच किस अधिकारी से कराई जा रही है ? क्या जांच कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जांच, अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से कराई गई है ।

जी हां । शासन को जांच आख्या दिनांक 10-2-1999 को प्राप्त हो गई है । जांच आख्या में सम्बन्धित कर्मचारी को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर में महरीपुर टाण्डा लिफ्ट कैनाल पर बने पुलों को तोड़कर पुनः बनाये जाने का औचित्य

110–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में महरीपुर टाण्डा लिफ्ट कैनाल पर बने पुलों को तोड़कर पुनः बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर कितना धन खर्च होगा ? उक्त पुलों को तोड़कर पुनः बनाने का औचित्य क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महरीपुर टाण्डा लिफ्ट कैनाल अम्बेडकर नगर की मशीनों का यांत्रिक कारणों से संचालन एवं रख-रखाव सिंचाई खण्ड टाण्डा द्वारा संभव न पाया जाना

111-श्री लालजी वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महरीपुर टाण्डा लिफ्ट कैनाल अम्बेडकर नगर के मशीनों का संचालन एवं मरम्मत कार्य सिंचाई खण्ड रायबरेली के द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या किसानों के हित में उक्त कार्य सिंचाई खण्ड टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं । महरीपुर टाण्डा लिफ्ट कैनाल अम्बेडकर नगर की मशीनों का संचालन एवं रख-रखाव शारदा सहायक खण्ड-6 रायबरेली जो यांत्रिक खण्ड है, द्वारा किया जाता है । उक्त कार्य यांत्रिक प्रवृत्ति का होने के कारण वर्तमान में सिंचाई खण्ड टाण्डा जो एक सिविल खण्ड है से नहीं कराया जा रहा है ।

जिलाधिकारी गोण्डा को सम्बोधित ग्राम पंचायत मुजेहना के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान बेलही ग्राम पंचायत अधिकारी बेलहरी तथा दुल्हापुर बनवर द्वारा इन्दिरा आवास का धन हड़पने वाले व्यक्तियों को दण्डित किये जाने की मांग

112-श्री रामपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी गोण्डा को सम्बोधित शिकायती-पत्र दिनांक 7-8-98 जो ग्राम पंचायत मुजेहना के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान बेलही ग्राम पंचायत अधिकारी बेलहरी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी दुल्हापुर बनवर द्वारा इन्दिरा आवास का धन हड़पने तथा कार्यवाही करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त के संबंध में क्या कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में अंकित कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां ।

जी नहीं । थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं कराई गई है, परन्तु प्रश्नगत मामले की जांच में उत्तरदायी/दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों में श्री देवेश चन्द्र, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, मुजहेना को आयुक्त ग्राम्य विकास, उ० प्र० लखनऊ द्वारा उन्हें भविष्य में सजग रहने हेतु सचेत किया गया है तथा कार्य पूर्ण होने की गलत रिपोर्ट देने के लिये दोषी श्री गिरिजा शंकर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है ।

चूंकि इन्दिरा आवास के निर्माण हेतु अवमुक्त की गई धनराशियों का भुगतान संबंधित लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किया गया है तथा धनराशि के दुरुपयोग/दुरुविनियोग का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है इसलिये किसी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा बाल विकास परियोजना बड़ोखर खुर्द में वैध/अवैध नियुक्ति पायी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं का विवरण

113–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में वर्ष 1997 में कुल कितनी आंगनबाड़ी व सहायिकाओं की नियुक्तियां की गयी ? कुल नियुक्तियों में से कितनी नियुक्तियां जांचोपरान्त अवैध पाई गयी ? क्या जांच में जिला कार्यक्रम अधिकारी को अवैध नियुक्तियों के लिये दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

वर्ष 1997 में बाल विकास परियोजना बड़ोखर खुर्द में कुल 114 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं 62 सहायिकाओं की नियुक्ति की गई ।

जांचोपरान्त मात्र एक अभ्यर्थिनी की नियुक्ति अवैध पाई गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में कार्यरत सहायक/अभियन्ता अवर अभियन्ता सिंचाई प्रखण्ड तृतीय की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

114–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद– .

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग को संबोधित तत्कालीन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण विभाग द्वारा श्री शिव चरन प्रजापति का पत्र संख्या–3648/एस०एम० 1997 दिनांक 4-9-1997 जो जनपद बांदा में कार्यरत सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता सिंचाई प्रखण्ड तृतीय की जांच विषयक उन्हें भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता को जांच हेतु निर्देशित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में अधिशासी अभियन्ता नलकूप द्वारा प्राप्त धनराशि एवं व्यय का वार्षिक विवरण तथा उसके रख-रखाव की जानकारी

115–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में अधिशासी अभियन्ता नलकूप को वर्ष 1995-96 से अगस्त, 1998 तक प्रत्येक वर्षों में कुल कितनी-कितनी धनराशि शासन से तथा जिला योजना से प्राप्त हुई तथा उपरोक्त धनराशि अब तक किन-किन मदों में कहां खर्च की गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के सात प्रतिशत नलकूप खराब चल रहे हैं ? यदि हां,

तो क्या सरकार खराब नलकूपों को चालू करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर को वर्ष 1995-96 से अगस्त, 1998 तक प्रत्येक वर्ष में शासन तथा जिला योजना से प्राप्त धनराशि तथा उसके व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	वर्ष	जनपद योजना व नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के लिए		नलकूप अनुरक्षण हेतु	
		प्राप्त धनराशि	व्यय की गई धनराशि	प्राप्त धनराशि	व्यय की गई धनराशि
1	95-96	39.00	40.34	29.58	29.86
2	96-97	107.15	117.22	30.92	32.89
3	97-98	56.32	52.66	30.61	29.95
4	4/98 से 8/98 तक	11.39	7.23	10.33	5.56

जनपद योजना तथा नाबार्ड द्वारा पोषित योजनाओं के अन्तर्गत नलकूपों का पुनःनिर्माण तथा उपकरण एवं जल वितरण प्रणाली के पुनरोद्धार कार्य कराये गये । अनुरक्षण मद में प्राप्त धनराशि में यांत्रिक उपकरणों जल वितरण प्रणाली का अनुरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य किया गया ।

जी नहीं । कुल 451 चलित राजकीय नलकूपों में से 14 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 44 नलकूप विद्युत दोष से बन्द थे जो 12.8 प्रतिशत थे । यांत्रिक दोष से बन्द नलकूप चालू हो चुके हैं तथा 14 विद्युत दोष से बन्द नलकूप भी चालू हो गये हैं । शेष विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को भी विद्युत अधिकारियों के माध्यम से ठीक कराया जा रहा है ।

जनपद जालौन बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा पर खण्ड विकास कदौरा क्षेत्र में नहर पट्टी को पक्का कराने हेतु मानक के विपरीत कुलावा/पाइप डाले जाने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

116–श्री श्रीराम पाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा पर खण्ड विकास कदौरा क्षेत्र में नहर पट्टी को पक्का कराने का कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या निर्मित पक्की सड़क की दूरी में निकासी हेतु कुलावा/पाइप डाले गये हैं ? यदि हां, तो क्या डाले गये कुलावे निर्धारित मानक के अनुसार हैं ? क्या यह भी सही है कि एक भी कुलावा न डाल कर मात्र कागजों में डाला जाना प्रदर्शित किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कुलावे निर्धारित मानक के अनुसार लगाये गये हैं ।

जनपद जालौन खण्ड हमीरपुर शाखा बेतवा नहर प्रथम में रजबहों व माइनरों की टूट फूट/कटिंग ठीक कराने में हुई वित्तीय अनियमितताओं की सतर्कता विभाग द्वारा जांच की मांग

117–श्री श्रीराम पाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के खण्ड हमीरपुर शाखा बेतवा नहर प्रथम में बरसात के बाद रजबहों व माइनरों की टूटफूट व कटिंग को ठीक कराये जाने की सींचपालों द्वारा रिपोर्ट तैयार करके नक्शे बनाकर दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सींचपाल की रिपोर्ट के मुताबिक कार्य न कराकर मनमाने ढंग से फर्जी कार्यों में धन आहरित करके वित्तीय अनियमिततायें की गयी हैं ? क्या मंत्री जी सतर्कता विभाग द्वारा उपरोक्त मामले की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं !

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

क्योंकि कोई भी वित्तीय अनियमिततायें नहीं हुई है ।

निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ० प्र० लखनऊ के अधीनस्थ विभिन्न जनपदों में की गयी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में सतर्कता जांच एवं विवरण की जानकारी

118–श्री हरदेव सिंह तथा श्री कौकब हमीद–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1996 में निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ०- प्र० लखनऊ के अधीनस्थ विभिन्न जनपदों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त 9 पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/गुणवत्ता के आधार पर एक चयन सूची बनायी गयी थी ? क्या उक्त चयन से संबंधित रोस्टर सूची के क्रमांक 1 से 7 तक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 27-6-96 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था ? क्या इसके बाद रोस्टर सूची के क्रमांक 8 से 10 पर अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां न करके क्रमांक की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? इन नियुक्तियों में उक्त अनियमितता के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या रोस्टर के क्रमांक–8 पर अंकित श्री गोविन्द प्रसाद की नियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 25-9-96, 2-1-97, 5-6-97, 7-8-97 एवं 11-2-98 एवं 11-2-98 निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ० प्र० लखनऊ तथा पत्र दिनांक 3-8-98, 28-8-98 तथा 11-8-98 मा० मंत्री

समाज कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री गोविन्द प्रसाद की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

वर्ष 1996 में निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीनस्थ विभिन्न जनपदों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/गुणवत्ता के आधार पर तीन चयन सूची बनायी गयी थी ? प्रथम सामान्य श्रेणी, वित्तीय अनुसूचित जाति, तृतीय पिछड़ी जाति की ।

जी हां । आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुये नियुक्ति पत्र जारी किया गया था । जिसमें सामान्य श्रेणी के तीन, अनुसूचित जाति के दो तथा पिछड़ी जाति के दो अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे ।

जी नहीं । सामान्य श्रेणी में क्रमांक 8, 9, 10 के अभ्यर्थी अनुपस्थित थे । क्रमांक 11 की नियुक्ति नहीं की गयी क्योंकि सामान्य श्रेणी की वरीयता क्रम में नहीं आते थे । सामान्य श्रेणी में क्रम सं०–15 के अभ्यर्थी भी अनुपस्थित थे ।

मामले में सतर्कता जांच संस्थित है ।

श्री गोविन्द प्रसाद की नियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 25-9-96, 2-1-97, 5-6-97, 7-8-97 एवं 11-2-98 निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त नहीं हुआ तथा समाज कल्याण मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 3-8-98, 28-8-98 तथा 11-8-98 प्राप्त हुये । श्री गोविन्द प्रसाद सामान्य श्रेणी के हैं परन्तु सामान्य श्रेणी की चयन सूची के क्रमांक 8 पर नहीं हैं ।

जी नहीं, जैसा कि उपरोक्त तथ्यों से भी स्पष्ट है कि श्री गोविन्द प्रसाद सामान्य श्रेणी के हैं, परन्तु सामान्य श्रेणी की चयन सूची के वरीयता क्रम में नहीं आते हैं और न ही सामान्य श्रेणी की सूची के क्रमांक 8 पर हैं ।

119–श्री राम सिंह सैनी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

वित्तीय वर्ष 1998-99 में प्रदेश में विकलांगों को प्रदत्त प्रमुख सुविधाओं एवं इस मद हेतु आवंटित राशि का विवरण

120–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगों को कौन-कौन सी सुविधायें दी जाती हैं ? वित्तीय वर्ष 98-99 में उसके लिये कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

प्रदेश में विकलांगों को निम्नांकित प्रमुख सुविधायें दी जाती हैं :–

1–विभिन्न श्रेणी के विकलांगों को 12 राजकीय विद्यालयों तथा 10 कर्मशालाओं/प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण ।

2–निराश्रित विकलांगों को पेंशन ।

3–विकलांग छात्रों तथा विकलांग अभिभावकों के छात्र बच्चों को छात्रवृत्ति ।

4–कृत्रिम अंग क्रय हेतु पात्र विकलांगों को अनुदान ।

5–उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पात्र विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा ।

6–विकलांगों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण तथा अनुदान ।

7–विकलांगों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार ।

8–विकलांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान ।

9–दक्ष विकलांगों को राज्य स्तरीय पुरस्कार ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में उपर्युक्त विविध सुविधाओं के लिये रु० 2336.35 लाख का आय-व्ययक प्राविधान है ।

आर० ए० एल० सी०, लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर द्वारा गैर अनुबन्धित फर्मों से कृत्रिम अवयव क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के प्रेषित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

121–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर० ए० एल० सी०, लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर द्वारा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के वित्तीय वर्षों में गैर अनुबन्धित फर्मों से कृत्रिम अवयव क्रय किये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्रांक क–2–035420 दिनांक 30 जून, 1998 एवं क–2–029233 माह जुलाई, 1998 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं पर ही शासन में पूर्व में शिकायतें प्राप्त हुई थी जिस पर विधिवत जांच कराये जाने के उपरान्त शासनादेश सं०–1808 सेक–1/पांच–1997, दिनांक 20-9-97 द्वारा निदेशक/प्रोफेसर आर० ए० एल० सी० को भर्त्सना प्रविष्टि देकर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है ।

चूंकि शिकायती बिन्दुओं पर जांच करायी जा चुकी है । अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जनपद बलिया शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण योजना एवं व्यय राशि की जानकारी

122–श्री राजधारी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत जनपद बलिया में नहर निर्माण की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कितना हुआ एवं उस पर कितना व्यय हुआ ? उक्त कमाण्ड एरिया को सिंचित करने के लिये नहर निर्माण का कार्य कब तक पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत जनपद बलिया में 174.07 कि०मी० नहरों का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें से 80.87 कि०मी० नहरों का निर्माण किया जा चुका है । इस पर 358.07 लाख रुपये व्यय हुआ है ?

अवशेष नहरों का निर्माण भूमि एवं धन उपलब्ध होने पर वर्ष 2002–2003 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

123–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद बरेली के ग्राम अमीर नगर गुलड़िया में बाढ़ से भदपुरा अमीर नगर की टूटी सड़क की मरम्मत कराने की मांग

124–श्री छोटे लाल गंगवार मास्टर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997 तथा 98 की बाढ़ के कारण ग्राम अमीर नगर गुलड़िया तहसील नवाबगंज, जिला बरेली की भदपुरा अमीर नगर सड़क कट जाने से सम्पर्क मार्ग टूट गया है और आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिये बांध बनवाकर एवं पत्थर की पिचिंग लगवाकर बाढ़ से सुरक्षा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

125–डा० अशोक बाजपेयी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद बलिया के बलिया–बैरिया बांध की सुरक्षा हेतु रुड़की के वैज्ञानिकों की प्रयोग रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की मांग

126–श्री भरत सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मझौवा के पास गंगा नदी की कटान से बलिया–बैरिया बांध की सुरक्षा हेतु रुड़की के वैज्ञानिकों का प्रयोग पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

माडल स्टडी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । बलिया-बैरिया बांध की सुरक्षा हेतु योजना तैयार की जा रही है जिसे धन प्राप्त होने की स्थिति में कार्यान्वित किया जा सकेगा ।

जनपद बलिया में बलिया-बैरिया बांध की सुरक्षा हेतु शासन से योजना की जानकारी की मांग

127–श्री भरत सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया से बलिया-बैरिया बांध को गंगा के कटान से खतरा उत्पन्न हो गया है तथा गंगा नदी की दूरी उक्त बांध से 100 मीटर से भी कम रह गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उक्त बांध की सुरक्षा हेतु सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

128–श्री भरत सिंह–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

भर (राजभर) जाति को प्रदेश की अनुसूचित जाति की श्रेणी में वर्गीकृत न किया जाना

129–श्री छोटेलाल राजभर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (भर) राजभर जाति को शासनादेश संख्या–899(ए) × × वी०आई०–600(5)/1969, 26 मार्च, 1962 के अनुसार अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि भर (राजभर) जाति को प्रदेश की अनुसूचित जाति की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में विमुक्त जातियों (डिनोटीफाइड ट्राइब्स) की सूची में आने वाले भर (राजभर) जाति को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी

130–श्री छोटेलाल राजभर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में (भर) राजभर जाति के लोग विमुक्त जातियों (डिनोटीफाइड ट्राइब्स) की सूची में आते हैं ? यदि हां, तो इन्हें शासन द्वारा कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

उत्तर प्रदेश में भर जाति विमुक्त जाति की सूची में अंकित है ।

विमुक्त जाति के छात्रों की शिक्षा हेतु प्रदेश में कतिपय विद्यालय संचालित है । विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । जो विमुक्त जातियां अनुसूचित जाति में हैं उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाली समस्त सुविधाएं एवं जो विमुक्त जातियां पिछड़ी जातियों में हैं उन्हें पिछड़ी जाति को मिलने वाली समस्त सुविधाएं प्राप्त हैं ।

जनपद प्रतापगढ़ में जिला नियोजन समिति द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना हेतु स्थलों का चयन करते हुए पट्टी एवं बीरपुर में खोले जाने विषयक जानकारी

131–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997-98 में जनपद प्रतापगढ़ की जिला नियोजन समिति द्वारा होम्योपैथी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना हेतु स्थलों के चयन में जन प्रतिनिधियों की सहमति ली गई थी ? क्या होम्योपैथी अस्पतालों की स्वीकृतियां जारी होने के बाद उसे निरस्त करते हुये एक ही विधान सभा क्षेत्र में 6 होम्योपैथी चिकित्सालय खोले गये ? यदि हां, तो

क्यों ? विधान सभा क्षेत्र पट्टी एवं वीरापुर में क्या बराबर-बराबर होम्योपैथी चिकित्सालय स्वीकृत किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त--

जी हां ।

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पुनरीक्षित प्रस्ताव के आधार पर विचारोपरान्त होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना के स्थान परिवर्तित किये गये थे ।

जी नहीं ।

माननीय विधान सभा सदस्य पट्टी ने दो राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव किया था किन्तु परिव्यय की स्थिति तथा क्षेत्र में पूर्व से कार्यरत चिकित्सालयों को दृष्टिगत रखते हुए एक चिकित्सालय सलाहपुर में खोले जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ था जो स्थापित कर दिया गया है ।

जनपद जालौन, बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा से कालपी रजबहा की खुदाई व शिल्ट सफाई में व्यय की गयी धनराशि की जांच की मांग

132-श्री श्रीराम पाल--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा से निकले कालपी रजबहा की खुदाई व शिल्ट सफाई में 8 लाख रुपये खर्च किये जाने का उल्लेख है, जबकि मात्र एक लाख रुपये का ही कार्य था ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कालपी रजबहा की खुदाई व सिल्ट सफाई के कार्य 0.99 लाख रुपये लागत के ही सम्पन्न कराये गये हैं ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में तदर्थ रूप से नियुक्ति कर्मचारियों को विनियमित किये जाने की मांग

133-श्री अजय भट्ट--

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र० लखनऊ में वर्ष 1988 में संगणक के पद पर कुछ कर्मचारियों की तदर्थ रूप में नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो क्या उनका विनियमितीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनका विनियमितीकरण कब तक किया जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

जी हां ।

जी नहीं ।

शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में संगणक के पद पर तदर्थ नियुक्त कार्मिक पात्रता श्रेणी में नहीं आते । अतः विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ के कैनाल कालोनी में किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने की मांग

134–श्री अजय भट्ट–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1988 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न–99 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ के वर्तमान प्रभारी द्वारा अब तक कैनाल कालोनी में कुल कितनी बार निरीक्षण किया गया तथा कितनी निरीक्षण टिप्पणियां निर्गत की गई हैं ? पूर्व में जिस स्थल पर अवैध निर्माण हटाया गया था, उसके सौ मीटर की परिधि (रेडियस) में अवैध निर्माणों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ के वर्तमान प्रभारी द्वारा कैनाल कालोनी, लखनऊ का प्रायः निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण के समय साथ में संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता भी होते हैं जिन्हें आवश्यक निर्देश मौके पर ही दे दिये जाते हैं ।

पुलिस बल साथ लेकर अतिक्रमण विरोधी संयुक्त समिति द्वारा जो 35 अदद् अवैध निर्माण हटाये गये थे उनके सौ मीटर परिधि में कोई निर्माण नहीं किया गया है ।

लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ में सेवानिवृत्त लोक सेवक के विरुद्ध वसूली का आदेश

135–श्री अजय भट्ट–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–22 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर के पत्रांक 55/आर-17, दिनांक 4-1-1992 को रुपये 30,690/–की वसूली को न तो रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया और न ही संबंधित लोक सेवक को हस्तगत कराया गया ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी सरकारी सेवक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार कथित वसूली सम्बन्धी पत्र एक रुपये का टिकट लगाकर साधारण डाक द्वारा प्रेषित किया गया था । इस कृत्य के लिए उत्तरदायी सरकारी सेवक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के निर्देश मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दे दिये गये हैं ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग द्वारा लेखा संबंधी कार्य हेतु निर्गत किये गये नीति विषयक शासन के अनुपालन की जानकारी

136–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग की नीति विषयक ज्ञापांक 5316/नीति, दिनांक 1-7-97 के अनुपालन में कितने प्रकरणों में शासनादेश संख्या एच–8097/दस–300(14)74, दिनांक 2-1-1975 के पैरा–13 में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया गया है ? अनुभाग परिवर्तन/स्थानान्तरण किये जाने विषयक प्रकरणों में निर्णयार्थ उक्त शासकीय आदेशों में

क्या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता (कार्मिक) को अवगत कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग में लेखा संबंधी कार्य के लिये कोई पृथक लेखा संवर्ग नहीं है । प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा निर्गत किए गए नीति विषयक ज्ञाप संख्या–5316/ई–4 क/नीति दिनांक 1-7-97 द्वारा नियंत्रित होने वाले सामान्य लिपिकीय कर्मचारियों में से ही आवश्यकतानुसार लेखा कार्य भी लिया जाता है । ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या–एच–8097/दस–300(14)/74, दिनांक 2-1-75 के पैरा–13 में निहित भावना सिंचाई विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है । इसलिए उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कैनाल कालोनी एवं हेवलक रोड लखनऊ स्थित सरकारी आवासों के लोक सेवकों को भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

137–श्री अजय भट्ट–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे बुधवार हेतु प्रश्नकर्ता के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–177 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "भवन निर्माण अग्रिम" लेकर लखनऊ जनपद में आवास निर्मित करने वाले सेवकों से अब तक सरकारी आवास रिक्त न करवाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त लोक सेवकों से अविलम्ब सरकारी आवास रिक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नियमों में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है, जिसके अन्तर्गत भवन निर्माण अग्रिम लेकर आवास निर्मित कराने वाले अधिकारियों से राजकीय आवास रिक्त कराने की बाध्यता हो । अतः आवास रिक्त न करवाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में राजकीय नलकूपों के चोरी चले गये स्टार्टरों के सम्बन्ध में जानकारी

138–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं तथा कुल राजकीय नलकूपों में से कितने में स्टार्टर नहीं हैं ? क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्टार्टर चोरी चले गये हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा उनमें कितने चोरी चले गये स्टार्टरों की एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बांदा में 1-10-1998 को 440 नलकूप सिंचाईरत थे उनमें से 247 नलकूपों पर स्टार्टर नहीं है ।

जी नहीं । अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्टार्टर चोरी नहीं हुए हैं ।

सामान्य चोरी के प्रकरणों में 25 स्टार्टर चोरी गये हैं जिनमें से 24 चोरी गये स्टार्टरों की एफ० आई० आर० दर्ज कराई गयी है ।

एक स्टार्टर के चोरी की एफ० आई० आर० नलकूप चालक की लापरवाही के कारण दर्ज नहीं कराई गई है । जिसके लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है ।

जनपद बलिया के द्वाबा में बन्द पड़े राजकीय नलकूपों की जानकारी

139–श्री भरत सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के द्वाबा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने नलकूप चालू स्थिति में है तथा कितने नलकूप बन्द पड़े हैं ? बन्द नलकूपों की सिंचाई एवं नाली निर्माण सहित कब तक चालू कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बलिया के द्वाबा विधान सभा क्षेत्र में 100 राजकीय नलकूप सिंचाई हेतु स्थापित हैं । दिनांक 28-1-1999 की स्थिति के अनुसार इनमें से 4 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 5 नलकूप विद्युत दोष से बन्द थे । यांत्रिक दोष से बन्द चारों नलकूपों तथा विद्युत दोष से बन्द चार नलकूपों को चालू करा दिया गया है विद्युत दोष से खराब शेष एक नलकूप को ठीक कराने की कार्यवाही उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा की जा रही है । छः नलकूपों की जल वितरण प्रणाली अपूर्ण थी, इसे भी ठीक करा दिया गया है ।

भविष्य निर्वाह निधि के खाते में विलुप्त धनराशियों के समायोजन हेतु निदेशक होम्योपैथिक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

140–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य निर्वाह निधि के खाते में विलुप्त धनराशियों के समायोजन हेतु निदेशक, होम्योपैथिक द्वारा पत्रांक नि० हो०/69/86/15412, दिनांक 3 नवम्बर, 1998 वरिष्ठ लेखाधिकारी (एमईडीयू इकाई) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शिवाकान्त–

जी हां ।

महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 30-11-98 द्वारा श्री कटियार के वर्ष 1988-89 से 1997-98 तक भविष्य निधि अभिदानों के माहवार विवरण हेतु पास बुक की अभिप्रमाणित छाया प्रति मांगी गयी थी, जो उन्हें निदेशक होम्योपैथिक के पत्र दिनांक 20-1-99 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है । महालेखाकार स्तर पर अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है ।

जनपद शाहजहांपुर में नलकूप कार्य में अनियमितता सम्बन्धी, प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच आदेश निर्गत

141–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 10-10-98 या इसके आस-पास जो जनपद शाहजहांपुर के नलकूपों की खराबी एवं निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के संबंध में था,

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उपरोक्त पत्र की जांच अपने स्तर से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । जनपद–शाहजहांपुर के नलकूपों की जांच सम्बन्धी मा० प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-10-98 प्राप्त हुआ था । प्रकरण में जांच करने के आदेश प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) को दे दिये गये हैं ।

142–144–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ।]

जनपद बलरामपुर के श्री दत्तगंज गैड़ास-बुजुर्ग, उतरौला में गन्ना विकास परिषद् द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच विषयक प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

145–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला विधान क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड श्री दत्तगंज गैड़ास बुजुर्ग, उतरौला में वर्ष 1995-96 तक 1996-97 में गन्ना विकास परिषद्, बलरामपुर द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच विषयक पत्र संख्या एम–4/84–10/गोण्डा/97, दिनांक 27-9-97 प्राप्त हुआ है ? क्या निर्माण स्थलों की जांच हेतु आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है ? क्या जांच कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

146–श्री तेजभान सिंह–

[दि० 22-7-98 को अता० प्र० सं०–24 द्वारा उत्तरित]

जनपद जालौन बेतवा नहर हमीरपुर शाखा एवं कुठौन्द शाखा में निर्माण कार्यों को मासिक प्रगति पुस्तिका में न दर्ज कर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच की मांग

147–श्री श्रीरामपाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में नहर विभाग (बेतवा) के निर्माण कार्यों की मासिक प्रगति पुस्तिका में दर्शित न कराये जाने के कारण क्या है ? क्या यह सच है कि बेतवा नहर हमीरपुर शाखा तथा कुठौन्द शाखा के उपखण्डों में मात्र कागजों पर कार्य दर्शित करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री ओम प्रकाश सिंह–

निर्माण कार्यों की प्रगति मासिक प्रगति पुस्तिका में प्रतिमाह दर्शाई जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कोई वित्तीय अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं हुई है ।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में नलकूपों पर व्यय धनराशि के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

148–श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने पत्र दि० 10-10-98 या इसके आसपास विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर में नलकूपों पर व्यय हुई धनराशि के संबंध में भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनके द्वारा दि० 16-10-98 को उपरोक्त पत्र प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) के पास आवश्यक निर्देश के साथ भेज दिया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर प्रमुख सचिव यांत्रिक ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) कार्यालय से उक्त पत्र अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल, बरेली को माननीय विधायक द्वारा मांगे गये कार्यों का विवरण उन्हें उपलब्ध कराने हेतु भेज दिया गया । अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर ने उक्त विवरण से मा० विधायक को अवगत करा दिया है ।

149-150–श्री सुधाकर सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा खण्डौरा तहसील फूलपुर में वर्ष 1996–99 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्यों में खर्च का विवरण

151–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा खण्डौरा तहसील–फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 व 1998 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि को किस-किस कार्य में खर्च किया गया ? क्या मौके पर कोई कार्य हुआ ही नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त तीन वर्षों के कार्यों की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम सभा खण्डौर तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 व 1998 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष निम्न कार्यों में खर्च किया गया :–

<u>वर्ष 1996-97</u>

(1) सम्पर्क मार्ग

(2) वृक्षारोपण

वर्ष 1997-98

(1) सम्पर्क मार्ग

(2) हैण्डपम्प

(3) वृक्षारोपण

वर्ष 1998-99

(1) सम्पर्क मार्ग

(2) वृक्षारोपण

(3) पुलिया निर्माण

मौके पर स्थलीय सत्यापन के अनुसार दर्शाये गये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

152–श्री अजय कुमार पोइया–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

महिला कल्याण एवं बाल विकास निदेशालय में सृजित प्रोवेशन अधिकारी पद के सम्बन्ध में जानकारी

153–श्री गजेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय स्तर पर 3 पद प्रोवेशन अधिकारी के सृजित हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पदों के विपरीत 5 जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर और उनका वेतन किस मद से निकाला जा रहा है ? क्या अतिरिक्त जिला प्रोवेशन अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद प्रतापगढ़ के सदर एवं मान्धाता विकास खण्ड के विकास अधिकारी श्री निवास मिश्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट

154–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के सदर एवं मान्धाता विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी पर वर्ष 1977 तक नियुक्त रहे श्री निवास मिश्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताओं एवं आर्थिक हेराफेरी के गम्भीर आरोप की जांच शासन द्वारा करायी गयी है ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । श्री निवास मिश्रा द्वारा की गई भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की प्रारम्भिक जांच संयुक्त निदेशक इवाकरा (कार्यालय–आयुक्त, ग्राम्य विकास) से कराई जा रही है ।

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद प्रतापगढ़ के मान्धाता एवं सदर ब्लाक, वर्ष 1997–99 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत सिंचाई कार्य हेतु आवंटित राशि कृत कार्यों का विवरण

155–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सिंचाई कार्य हेतु मान्धाता एवं सदर ब्लाक में वर्ष 1997-98 एवं वर्ष 1998-99 में किन-किन कार्यों पर कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? उससे कराये गये कार्यों का विवरण क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रतापगढ़ जनपद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सिंचाई कार्य हेतु वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड मान्धाता को धनराशि आवंटित नहीं की गयी तथा विकास खण्ड सदर को रु० 5.40 लाख की धनराशि आवंटित की गई है । वर्ष 1998-99 में विकास खण्ड मान्धाता को रु० 1.70 लाख एवं सदर को रु० 10.25 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है । उपरोक्त विकास खण्डों में आवंटित धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	विकास खण्ड	कराया गया कार्य	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1997-98	मान्धाता	शून्य	शून्य
	सदर	1–प्रतापगढ़ रजवहा के मि० मी० 022.0 से 31.6 कि० मी० तक सुदृढ़ीकरण का कार्य ।	5.40
1998-99	मान्धाता	1–गुड़रू में पक्की सिंचाई नाली निर्माण	0.70
		2–कटरा गुलाब सिंह में जल निकासी नाली	1.00
	सदर	1–बलीपुर में पक्की जल निकासी नाली	1.25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष	विकास खण्ड	कराया गया कार्य	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
		2–भंगवा चुंगी एल० आई० सी० कार्यालय से ग्रामीण क्षेत्र तक जल निकासी नाला	6.00
		3–आवास कालोनी से डा० ओ० बी० सिंह के घर तक नाली निर्माण	1.80
		4–शुकुलपुर में जल निकासी नाली का निर्माण	1.20

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में घटिया पी०बी०सी० पाइप खरीद में हुए घोटाले की जांच एवं दोषी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली की मांग

156–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में घटिया पी० बी० सी० पाइप खरीदने में करोड़ों के घोटाले की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ? क्या उसमें दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर इस प्रकरण में हुई क्षति की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जांच दो वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा की गई थी तथा समिति की संस्तुतियों के अनुसार प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प नियोजन) सिंचाई विभाग श्री एच० एस० एस० सिंघल द्वारा विभागीय कार्यवाही में जांच की गई थी ।

जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करा दी गई है तथा उपलब्ध जांच आख्या के अनुसार प्रकरण में एक अधिकारी के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है और प्रकरण उ० प्र० लोक सेवा आयोग को उनकी सहमति हेतु प्रेषित किया गया है । दूसरे अधिकारियों के बारे में चूंकि वृहत्त दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया था । अतः उपचारी अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया जो प्राप्त हो गया है तथा प्रकरण को आयोग को संदर्भित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । जहां तक वित्तीय क्षति का प्रश्न है, विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय क्षति के आरोप सिद्ध नहीं पाये गये हैं, किन्तु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता दोषी फर्मों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही की जा रही है । साथ ही भारत सरकार की निरीक्षणकर्ता एजेन्सियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु भी भारत सरकार को लिखा गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज एवं टीकरगढ़ रजवाहों का निर्माण कार्य एवं संलग्न माइनरों का प्रस्तावित निर्माण पूर्ण किये जाने की मांग

157. श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्दर शारदा सहायक खण्ड–23 में लालगंज रजवहा तथा टीकरगढ़ रजवहा व इन रजवहों से निकलने वाले माइनरों का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो उक्त दोनों रजवहों तथा उनसे निकलने वाले माइनरों से कुल कितने क्षेत्रफल भूमि की सिंचाई होती है तथा उक्त रजवहों तथा माइनरों के कारण कितने क्षेत्रफल भूमि में पानी फैल

जाने से खेती नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार उक्त माइनरों को पूर्ण तथा सुधार करके कृषि योग्य भूमि की बरबादी को रोकेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । लालगंज रजवहा व टीकरगढ़ रजवहा का निर्माण पूर्ण हो गया है परन्तु उसे निकलने वाली कुछ माइनरों का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है ।

उक्त दोनों रजवहों से कुल 18500 हे० क्षेत्रफल में भूमि की सिंचाई होती है पानी फैलने से खेती न हो पाने का कोई प्रकरण ज्ञान में नहीं आया है ।

जी हां । अपूर्ण माइनरों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

वर्ष 2001 तक प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड–23, बेली माइनर के निर्माण कार्य हेतु कृषकों से हस्तगत भूमि के मुआवजा का वितरण

158–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड–23, के बेली माइनर का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त बेली माइनर के निर्माण कार्य में किसानों से ली गई भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत माइनर के समरेखन में पड़ने वाले ग्राम नोनीपुर, खुम्भा देवरी एवं करनहीं की कुल 1.365 हेक्टेयर भूमि योजनान्तर्गत अधिग्रहीत की गयी थी । उक्त के सापेक्ष 0.201 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा वर्ष 1995 में वितरित कर दिया गया है । शेष 1.164 हेक्टेयर भूमि के प्रतिकर का भुगतान आपसी समझौते के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड–23 के सिधौना माइनर के निर्माण कार्य हेतु कृषकों से हस्तगत भूमि के मुआवजा वितरण की जानकारी

159–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड–23 के सिधौना माइनर का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सिधौना माइनर के निर्माण कार्य में किसानों की ली गयी भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत माइनर के समरेखन में पड़ने वाले ग्राम खोरी की अधिग्रहीत भूमि, क्षेत्रफल 0.454 हेक्टयर के सापेक्ष रु० 16863.60 का भुगतान वर्ष 1982-83 में किया जा चुका है । ग्राम सिधौना की अधिग्रहीत भूमि 0.91 हेक्टेयर के प्रतिकर का भुगतान आपसी समझौते के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रदेश में नहरों से औसतन सींच एवं नहरों, रजवहों के पानी के रिसाव से कृषि योग्य भूमि के संरक्षण हेतु शासकीय प्रयास की जानकारी

160–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में नहरों के कारण कितने क्षेत्रफल भूमि की सिंचाई होती है तथा प्रदेश का कितना क्षेत्रफल भूमि खण्ड नहरों तथा उनसे निकलने वाले रजवहों और माइनरों से पानी के रिसाव के कारण कृषि योग्य भूमि अनुपयुक्त हो गयी है ? क्या सरकार नहरों द्वारा हो रही कृषि योग्य भूमि की बरबादी रोकने का प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पूरे प्रदेश में नहरों से औसतन सींच लगभग 5049.66 हेक्टेयर होती है ।

लगभग 3717 हेक्टेयर ।

जी हां ।

कार्यों के लिये उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप यथासम्भव मुख्य नहरों की लाइनिंग कराकर तथा प्रभावी क्षेत्र में ड्रेनेज कार्यों के निर्माण से ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर में विकास खण्ड श्री दत्तगंज, उतरौला गैड़ास, बुजुर्ग वर्ष 1994-97 के मध्य निर्माण कार्य हेतु श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित दर से मजदूरी का भुगतान

161–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत आने वाल विकास खण्डों श्री दत्त गंज, उतरौला गैड़ास बुजुर्ग में वर्ष 1994-95 व 1995–96 तथा 1996-97 में कराये गये निर्माण कार्यों में विशेष सचिव ग्राम्य विकास उ० प्र० के पत्र संख्या 5015/38-4-96-77/96 दिनांक 8-11-96 एवं पत्र सं० 313/38-4-97-87/96 दिनांक 12 फरवरी, 1997 का पालन कर न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी जांच की जायेगी ? जांचोपरान्त दोषी पाये जाने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन द्वारा निर्धारित दर से ही मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को किया गया है । अतः जांच की आवश्यकता नहीं है ।

162–164–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद मिर्जापुर ब्लाक नरायणपुर में स्थित घरवासपुर बंगला मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने विषयक प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

165–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि राज्य मंत्री, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा , उ० प्र० शासन का पत्रांक 502/वी०आई०पी०/98 दिनांक 12-8-98, जिसमें मिर्जापुर जनपद के नरायणपुर ब्लाक में स्थित घरवासपुर–बंगला–मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिलाधिकारी मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत मार्ग वर्ष 1992-93 में ही लेपन कार्य हेतु डी०आर०ए० द्वारा स्वीकृत है और एतदर्थ धन भी अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो प्रश्नगत मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण अब तक पूर्ण न कराये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार प्रश्नगत अधूरे मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां

उक्त कार्य का प्राक्कलन, धन आवंटन हेतु, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मिर्जापुर को प्रेषित किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मिर्जापुर द्वारा धन अवमुक्त होने पर ही कार्य प्रारम्भ करके लेपन स्तर तक का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शैक्षणिक आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अति पिछड़े राजभर विमुक्ति जाति को अनुसूचित जाति में शामिल न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

166–श्री राजधारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि विमुक्त जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो (राजभर) विमुक्त जाति को अनुसूचित जाति में शामिल न करने का क्या औचित्य है ? क्या शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप के अति पिछड़े राजभर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जी हां, कतिपय जातियां विमुक्त जाति के साथ ही अनुसूचित जाति में भी वर्गीकृत हैं ।

विमुक्त जाति की सूची में भर जाति विमुक्त जाति में सम्मिलित है । भर/राजभर जाति पिछड़ी जाति में वर्गीकृत हैं । किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करना भारत सरकार की अधिकारिता क्षेत्र का विषय है । सम्प्रति राजभर जाति अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं है ।

यद्यपि इस आशय की अनुसंशा कि भर/राजभर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाये प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार को भेजी जा चुकी है, तथापि अनु० जाति में किसी जाति को शामिल

करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है। अनुसूचित जाति में किसी जाति को सम्मिलित करने का अधिकार प्रदेश शासन में निहित नहीं है।

तुरेहा एवं तुरहा जाति में अन्तर पाये जाने का स्थान, मुख्य पेशा तथा अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध न होने के सम्बन्ध में शासकीय विवरण

167–श्री राजधारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तुरेहा एवं तुरहा जाति में क्या अन्तर है ? क्या तुरहा जाति को अनुसूचित जाति की सुविधा से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? तुरेहा एवं तुरहा जातियां कहां-कहां पायी जाती है एवं इनका मुख्य पेशा (कार्य) क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

चूंकि तुरहा एवं तुरेहा जातियां सम्प्रति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में वर्गीकृत नहीं है, इन्हें उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 7-10-94 भेजा जा चुका है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने का अधिकार भारत सरकार में निहित है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों से प्राप्त कतिपय आख्याओं से विदित होता है कि उक्त जातियां मुख्यतः प्रदेश के पूर्वांचल में पायी जाती है। जिलाधिकारी बलिया ने अवगत कराया है कि तुरहा तथा तुरेहा एक ही जाति से सम्बन्धित है। इनका पैतृक पेशा–साग-सब्जी, फल, मछली बेचना है तथा ये सिंघाड़े का कार्य करते हैं। जिलाधिकारी देवरिया ने इंगित किया है कि जनपद में तुरहा जाति के लोग निवास करते हैं जो खटिक जाति की उपजाति है। जिलाधिकारी गोरखपुर की आख्या के अनुसार जनपद में तुरहा जाति के लोग पाये जाते हैं, जिनका मुख्य पेशा सब्जी, फल, सिंघाड़ा एवं मछली का व्यवसाय रहा है जब कि समय परिवर्तन के साथ-साथ ये लोग अन्य व्यवसाय भी करने लगे हैं। अन्य विवरण दिये जाने के क्रम में यह उल्लेखनीय होगा कि इस सम्बन्ध में कोई अधिकृत अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्ट शासन में उपलब्ध नहीं है।

जनपद पीलीभीत में शारदा सागर खण्ड, पूरनपुर में वर्ष 1996–98 के मध्य नहर बन्द कर कराये गये सिल्ट सफाई कार्य एवं भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

168–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर जनपद पीलीभीत में शारदा सागर खण्ड, पूरनपुर द्वारा वर्ष 1996 से 1998 तक कितनी बार नहरें बन्द करके सफाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सफाई कार्य न कराकर वर्ष 1997-98 में तत्संबंधी धनराशि आहरित कर ली गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1996 से वर्ष 1998 के मध्य प्रत्येक वर्ष नहरें बन्द करके सिल्ट सफाई का कार्य आवश्यकतानुसार उपलब्ध धन की सीमा तक कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1997–98 में जिन स्थलों पर वास्तविक कार्य कराया गया है उन्हीं के भुगतान किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के बाढ़ खण्ड में मिट्टी कार्य व अनियमितता की जांच एवं आरोपियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण

169–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र संख्या 4712यू०पी०/98 दिनांक 25-9-98 के अनुसार बाढ़ खण्ड आजमगढ़ के अन्तर्गत मिट्टी कार्य में अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अकार्यकारी पदों पर उक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण ही पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ और क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, प्रश्नगत अनियमितता की प्रारम्भिक जांच पूर्ण हो चुकी है ।

प्रारम्भिक जांच आख्या में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री के० बी० एल० श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता तथा श्री गुलाब चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री बब्बन प्रसाद सिंह, अवर अभियन्तागण के विरुद्ध विधिवत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा अनुशासनिक जांच पूरी होने तक उक्त अभियन्ताओं को सम्बद्ध पद पर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच आख्या के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में अपर कैनाल आगरा स्थित मील नं० 23 पर तकनीकी दृष्टि से, रेगुलेटर बनाया जाना

170–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित अपर कैनाल आगरा के मील नं०–23 पर रेगुलेटर बनाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम० वि० को०/एम०–3/10964/मथुरा/98, दिनांक 19-5-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अपर कैनाल आगरा के मील–23 (रा० कोसी केपील 23-0-0) पर पानी दिये जाने हेतु भरतपुर फीडर पर रेगुलेटर का निर्माण तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है ।

उत्तरांचल में जिला कार्यक्रम अधिकारियों के रिक्त पदों पर विभागीय सेवा नियमावली के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही

171–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल में जिला कार्यक्रम अधिकारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या बाल विकास परियोजना अधिकारियों की उक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में बाल

विकास परियोजना इकाई खोलने का प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त परियोजना कब से शुरू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

वर्तमान में उत्तरांचल में जिला कार्यक्रम अधिकारियों के कुल पांच पद रिक्त हैं ।

विभागीय सेवा नियमावली के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

यथा शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी में भवनहीन होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक अस्पतालों के भवन निर्माण को स्वीकृति कराकर बनवायें जाने की मांग

172–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्थित भवनहीन होम्योपैथी, आयुर्वेदिक अस्पतालों के भवन निर्माण, तत्काल स्वीकृत करके बनवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सालयों हेतु वर्ष 1998-99 में भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 02 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण का प्रस्ताव जिला योजना में सम्मिलित है ।

173–श्री अफजाल अहमद–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद कुशीनगर उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० इकाई–खड्डा में वर्ष 1995–97 तक कार्यरत प्रधान प्रबन्धक द्वारा किये गये वित्तीय घोटाले के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

174–श्री हरदेव सिंह–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० इकाई–खड्डा जनपद कुशीनगर में वर्ष 1995–97 तक कार्यरत प्रधान प्रबन्धक द्वारा किये गये करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 6-10-98 प्रमुख सचिव, चीनी

उद्योग को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

175–श्री रमेश राही–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

176–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

177–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

178–श्री रमेश राही–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद प्रतापगढ़ में मान्धाता एवं सदर विकास खण्ड में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1997–99 में मदवार व्यय राशि तथा कार्यों के चयन-प्रक्रिया की जानकारी

179–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 एवं वर्ष 1998-99 में प्रतापगढ़ जनपद के मान्धाता एवम् सदर विकास खण्ड में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितना धन, किन-किन मदों में व्यय किया गया है ? कार्यों के चयन में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में जनपद प्रतापगढ़ के मान्धाता एवं सदर विकास खण्ड में क्रमशः कुल 47.88 लाख रुपया तथा 65.09 लाख रुपया तथा वर्ष 1998-99 में क्रमशः 41.35 लाख रुपया तथा 50.03 लाख रुपया सम्पर्क मार्गों के निर्माण, खड़न्जा कार्य, वनीकरण एवं मृदा कार्य, पुलिया निर्माण, पक्की सिंचाई नाली निर्माण, जल निकास नाली निर्माण, बन्धा निर्माण, घाट निर्माण, साइकिल स्टैण्ड निर्माण आदि कार्यों पर व्यय किया गया है ।

योजनान्तर्गत कार्यों का चयन शासन से प्राप्त मार्ग निर्देशों के अनुसार एवं माननीय जनप्रतिनिधियों की संस्तुति के आधार पर निरीक्षण के पश्चात स्थलीय तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यकता अनुरूप किया गया है ।

भ्रष्टाचार एवं अधीनस्थ स्टाफ को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फुरसतगंज जनपद रायबरेली में तैनात प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० वीरेन्द्र सिंह तोमर को जांच आख्या के आधार पर दण्डित किये जाने की जानकारी

180–श्री दीप लाल भारती–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फुरसतगंज, जनपद रायबरेली में तैनात प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० वीरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अधीनस्थ स्टाफ को उत्पीड़न करने विषयक श्रीमती बीना श्रीवास्तव एवं श्री सन्तोष कुमार सिंह के शिकायती-पत्र के संदर्भ में तत्कालीन मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक जी०एम०/3843/लो-शि०–3/97, दिनांक 15–9–97, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वा० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई ? जांच का क्या परिणाम है तथा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, परन्तु प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 15–9–97 अनुभाग में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। श्रीमती प्रभावती तिवारी, बी०एच०डब्लू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुरसतगंज, रायबरेली का शिकायती-पत्र दिनांक 29-6-98 प्राप्त हुआ जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली से जांच कराई गई और सम्यक् विचारोपरान्त डा० वी०एस०तोमर, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फुरसतगंज को कार्यालय-ज्ञाप संख्या–5904/चि०–3–98–2233/98, दिनांक 21 सितम्बर, 1998 द्वारा उनकी चरित्र पंजिका में भर्त्सना प्रविष्टि अंकित की गई है।

ग्रामसभा कोहरौली, ब्लाक मार्टिनगंज जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1995–99 के मध्य जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त व कृत कार्यों में खर्च राशि का विवरण एवं जांच प्रचलित होने की जानकारी

181–श्री हरदेव सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा कोहरौली ब्लाक मार्टिनगंज जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1995 से अब तक जवाहर रोजगार योजना आदि अन्य मदों पर कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई तथा किन-किन कार्यों पर उक्त धनराशि व्यय की गई ? क्या मंत्री जी उक्त कार्यों की किसी सक्षम अधिकारी से जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। ग्राम सभा कोहरौली ब्लाक मार्टिनगंज जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1995–96 से वर्ष 1998–99 तक जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कुल रु० 1,19,645.70 की धनराशि प्राप्त हुई। उक्त धनराशि सम्पर्क मार्ग निर्माण, पुराने सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत, नाला खुदाई, हैण्ड पम्पों को लगवाने एवं स्टेशनरी, रजिस्टर के क्रय आदि कार्यों पर व्यय की गई।

प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त प्रस्तुत कार्य पूर्ति की जांच सेक्टर अधिकारी द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत कोहरौली के वर्ष 95–96 से अब तक के कार्यों की जांच खण्ड विकास अधिकारी, मार्टिनगंज से पुनः कराई जा रही है।

ग्राम प्रधान, जासू विकास क्षेत्र बेंहदर, जनपद हरदोई द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से खड़न्जा कार्य में की गई अनियमितता की जांच

182–श्री छोटे लाल गंगवार मास्टर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम जासू, विकास क्षेत्र बेंहदर, तहसील सण्डीला जनपद हरदोई के वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन से गांव के गलियारों में

खड़न्जा लगाने का जो कार्य कराया गया है, क्या उसमें घटिया ईंट का प्रयोग किया गया है और खड़ी ईंट के स्थान पर पट ईंट का प्रयोग किया गया है एवं किनारे नालियां भी नहीं बनाई गई हैं ? क्या इससे गलियारे और खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराकर प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त धन से खड़न्जा/पड़न्जा लगाने का कार्य कराया गया है । जांच कराने पर घटिया ईंटों का प्रयोग प्रमाणित नहीं हुआ है और स्थलीय आवश्यकतानुसार गांव के कुछ स्थानों पर खड़ी तथा कुछ स्थानों पर पट ईंट का प्रयोग किया गया है । पट ईंटों का प्रयोग केवल उन्हीं गलियारों में किया गया है, जिन पर सामान्यतया पैदल व साईकिल से आवागमन होता है । अभी नाली का निर्माण नहीं हुआ है ।

जी नहीं ।

लागू नहीं होता ।

स्थलीय जांच के अनुसार केवल एक गलियारे में नाली निर्माण की आवश्यकता पाई गई, जिसे ग्राम प्रधान द्वारा शीघ्र बनवा देने की सहमति दी गई है ।

ग्राम सभा जासू विकास क्षेत्र बेंहदर, जनपद हरदोई को वर्ष 1995–98 के मध्य जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्षवार प्राप्त धनराशि, कृत कार्य एवं सत्यापन/मूल्यांकन की जानकारी

183–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव सभा जासू विकास क्षेत्र बेंहदर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई को वर्ष 1995, 1996, 1997 तथा अक्टूबर, 1998 तक कब-कब और कितना धन जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है ? उक्त धन से गांव के क्या-क्या विकास के कार्य कराये गये ? कराये गये कार्यों का सत्यापन किस अधिकारी ने किया ? क्या मानक के अनुसार कार्य कराये गये ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

गांव सभा जासू विकास क्षेत्र बेंहदर तहसील सण्डीला जनपद हरदोई को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्षवार प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	दिनांक	प्राप्त धनराशि
1995–96	31–3–95	5,172.00
	16–8–95	18,157.00
	13–9–95	18,132.00
	11–3–96	42,249.00
	योग :	83,710.00
1996–97	23–8–96	53,563.00
	27–3–97	20,128.00
	योग :	73,691.00

1997–98	21–9–97	32,075.00
	11–2–98	31,716.00
	28–5–98	2,116.00
	योग :	65,907.00
1998–99	20–6–98	23,969.00
	10–9–98	22,748.00
	राज्यांश	5,435.00
	योग :	52,152.00

कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है ।

कराये गये कार्यों का सत्यापन/तकनीकी मूल्यांकन अवर अभियन्ता, विकास खण्ड कछौना तथा खण्ड विकास अधिकारी बेंहदर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है ।

जी नहीं । ग्राम सभा में कराये गये कार्यों का मूल्यांकन कराने पर वर्ष 1995–96 में रु० 11,109.00, वर्ष 96–97 में रु० 5,446.00, तथा वर्ष 97–98 में रु० 8,728.00 इस प्रकार कुल अंकन रु० 25,283/- के कार्य कम पाये गये ।

मूल्यांकन के आधार पर दुरुपयोग की गई धनराशि मु० 25,283.00 रु० की वसूली हेतु संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 142–143 पर]

ग्राम पंचायत पिपरी एवं श्रीनगर, तहसील भिन्गा, जनपद श्रावस्ती में वित्तीय वर्ष 1996 से 1997 के मध्य जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य मदों में प्रधान द्वारा कृत कार्यों में अनियमितता की जांच/कार्यवाही की मांग

184–श्री छोटे लाल गंगवार मास्टर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि नवसृजित जनपद श्रावस्ती के तहसील भिन्गा के ग्राम पंचायत पिपरी तथा श्रीनगर में वर्तमान प्रधान के द्वारा वर्ष 1996 से अब तक जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य मदों पर कराये गये कार्यों का विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान ने बिना सदस्यों के प्रस्ताव के ही विगत वर्ष 1996-97 में अपात्र व्यक्तियों को ग्राम सभा पिपरी में भवन निर्माण करा दिया है ? क्या दोनों ग्राम सभा पिपरी एवं श्रीनगर में कराये गये कार्यों का विवरण समान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

185-श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

186–श्री नवाब सिंह नागर–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

187–श्री मूल चन्द–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

188-189–डा० धर्मज्ञ मिश्र––

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये।]

लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की कालोनी में ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु क्षेत्रीय नागरिकों एवं संस्थाओं की ओर से प्राप्त प्रार्थना-पत्र/परिवाद-पत्र पर समस्या निवारण की जानकारी

190–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की कालोनी में ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु क्षेत्रीय नागरिकों एवं संस्थाओं की ओर से 1-6-1992 से अब तक कितने प्रार्थना-पत्र/परिवाद-पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को प्रस्तुत किये गये हैं ? उन पर समस्या निवारणार्थ क्या नीति बनायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु क्षेत्रीय नागरिकों एवं संस्थाओं की ओर से लगभग 12 अदद प्रार्थना-पत्र/परिवाद-पत्र प्राप्त हुए हैं।

ध्वनि प्रदूषण की समस्या के निवारणार्थ लाउडस्पीकर आदि के उपयोग को कालोनी के अन्दर प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(तदुपरान्त 12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इसके पूर्व जब सदन चल रहा था, दो सदस्यों के अधिकारों का हनन हुआ था, उनकी अनुपस्थिति में निलम्बित कर दिया गया तथा बिना इंगित किये हुए दो सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार हुआ श्री प्रभु नारायणजी, श्री शिशुपाल जी और अन्य सदस्यों के साथ.....

श्री अध्यक्ष–

आपने जो बात कही उसका मैंने संज्ञान ले लिया है मैं उसका परीक्षण कर रहा हूं।

श्री [illegible]–

मान्यवर, यह एक नयी परम्परा पड़ गयी है जब कोई बात नियमों के अन्तर्गत आप से कही जाए आपकी अनुमति से कही जाए उसमें भी सत्तारूढ़ दल के लोग बीच में फब्तियां कसते हैं यह एक नया तरीका यहां ईजाद हो रहा है। मान्यवर कृपा होगी आपकी ओर से [illegible]

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी ।

आज दिनांक 17 फरवरी, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

(श्री अध्यक्ष ने श्री अजय भट्ट, श्री राजपाल सिंह, श्री समरपाल सिंह, श्री बेचन राम, श्री विश्वनाथ सिंह, श्री कमलेश कुमार सिंह, डा० सरजीत सिंह डंग के नाम पुकारे । श्री बेचन राम व डा० सरजीत सिंह डंग अनुपस्थित थे, अनुपस्थित सदस्यों की सूचनाओं को छोड़कर शेष सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

(सभी स्वीकृत सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

कुमायूं मण्डल में अघोषित विद्युत कटौती समाप्त कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय भट्ट–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज समूचे कुमायूं मण्डल में अघोषित विद्युत कटौती के कारण वहां का सामान्य जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, उद्योग धन्धे चौपट हो गये हैं, शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य नहीं हो पा रहा है । सारा उद्योग जगत इस विद्युत कटौती के कारण आन्दोलित हैं । स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है । बिजली के अभाव में अस्पतालों में एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड व आपरेशन जैसे कार्य ठप्प पड़े हैं, तथा आटा चक्की, पी० सी० ओ० वेल्डिंग मशीनें जैसे विद्युत चालित लघु उद्योगों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है । विद्युत के अभाव में पेयजल की भारी समस्या पैदा हो गयी है । चारों ओर त्राहि त्राहि है । पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये वहां पर विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के आदेश पहले से ही विद्यमान है ।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहां विद्युत कटौती को समाप्त कर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी क[illegible] कष्ट करें ताकि जनता, उद्योग जगत स्वास्थ्य सेवायें तथा शिक्षण संस्थाओं को राहत मिल सके ।

जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत नान स्टेचुरी कमेटी बुढ़ाना गन्ना विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा सड़कों के निर्माण में की गयी कथित अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजपाल सिंह–

[मान्यवर, नान स्टेचुरी कमेटी बुढ़ाना गन्ना विभाग, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत है, के अवर अभियन्ता श्री राकेश कुमार सिंह के द्वारा कुरावा से लुसाना तक डेढ़ किलोमीटर, गढ़मल से रायपुर मटैरना तक एक किलोमीटर सड़कों को निर्मित कराया गया है जिसकी गुणवत्ता अत्यन्त ही खराब व उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है तथा सड़क स्टेशीफिकेशन के अनुरूप भी नहीं बनायी गयी हैं । अवर अभियन्ता द्वारा धनराशि का भुगतान दुरुपयोग करके काफी पैसा हड़प लिया गया है । अवर अभियन्ता के विरुद्ध धनराशि के दुरुपयोग के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता की तरफ आकर्षित करते हुये तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बागपत में कृष्णा और हिण्डन नदियों में थोड़ी-थोड़ी दूर पर चैक डैम लगाकर जल स्तर ऊंचा करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह–

[मान्यवर, बागपत जनपद में चौगामा क्षेत्र कृष्णा और हिण्डन नदियों के बीच स्थित है । दोनों नदियां अत्यधिक गहरे पर बह रही हैं इस कारण इस क्षेत्र का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है । यदि इस (चौगामा) क्षेत्र का जल स्तर इसी गति से गिरता चला गया, तो आगामी कुछ वर्षों में वहां रेगिस्तान जैसी स्थिति हो जायेगी । इस क्षेत्र का जल स्तर इतना नीचा होने के कारण यहां पर पेयजल और सिंचाई के लिये जल का भयंकर संकट पैदा हो गया है । इस क्षेत्र में दोंनो नदियों में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कुछ चैक डैम लगाकर जल स्तर ऊंचा करने का प्रस्ताव विगत कई वर्षों से शासन के विचाराधीन है । अनेक बार आग्रह करने के बावजूद इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की तरफ आकर्षित करते हुये तत्काल प्रभावी कदम उठाये जाने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों में शासन के प्रभावी आदेश के अन्तर्गत गठित अतिथि-संकाय में कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं का रिक्त पदों पर समायोजन के सम्बन्ध में नियम 301के अन्तर्गत सूचना

* श्री विश्वनाथ–

[मान्यवर, प्रदेश सरकार के नीति व प्रभावी शासनादेशों के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों में अतिथि संकाय के माध्यम से रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि प्रवक्ताओं की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू कर दी गयी हैं । अतिथि प्रवक्ता पूर्ण लगन, निष्ठा समर्पण से शिक्षण कार्य पर काबू पा चुके हैं । अतिथि प्रवक्ताओं के कार्य, आचरण व व्यवहार से छात्र-छात्रायें प्राचार्य व विभागीय अधिकारीगण पूर्णरूपेण सन्तुष्ट हैं । इनकी सेवायें उत्कृष्ट जनोपयोगी, संस्थाहित व जनहित में हैं । पूर्व में राज्य सरकार द्वारा ही प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत् अंशकालिक आयुर्वेद-यूनानी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को कार्यहित एवं जनहित में स्थायी रूप से नियोजित किया गया है । ठीक इसी प्रकार पठन-पाठन, कार्यहित-संस्थाहित व जनहित में अतिथि प्रवक्ताओं का भी रिक्त पदों पर समायोजित किया जाना अपरिहार्य है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुये प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों के अतिथि संकाय में कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं को रिक्त पदों पर समयोजित किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में विद्युत लाइन व ट्रांसफारमर ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कमलेश कुमार सिंह–

[मान्यवर, आपका ध्यान तुलसीपुर क्षेत्र के अति पिछड़े व ग्रामीण इलाकों में विद्युत ट्रान्सफारमर के जलने तथा जर्जर व कटी लाईन को पूरी तरह ठीक कराके पुनः चालू कराने हेतु आकर्षित करता हूं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

यहां विगत 20 वर्षों से खम्भे खड़े व पड़े भी हैं तार कटा है । ट्रान्सफारमर जला है तब भी लोगों को बिजली के बिल दिये जा रहे हैं लाइन ठीक न होने से ग्रामीणों पर यह बोझ बेवजह पड़ रहा है ।

कृपया जितने दिनों तक लाइन ठीक नहीं रही है उन दिनों का विद्युत बिल रद्द कराया जाये । पूरे क्षेत्र की लाइन ठीक करके विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये । कृपा होगी । यह ग्राम हैं–मथुरा, बलदेवनगर, शिवपुरा कन्दौला, गुलरिहा हिसामपुर, बरदहवा आदि । ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री बी० आर० वर्मा, श्री राम वीर उपाध्याय की है माननीय सदस्य अपनी सुरक्षा के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं । कल सम्भवतः कुछ बात आपने सदन के समक्ष प्रस्तुत की थी ।

निलम्बित सदस्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, नहीं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो मैंने बात रखी उस पर आपकी व्यवस्था आ जाए । माननीय सदस्य बाहर बैठें हुए हैं, परिसर के बाहर बैठें हैं । मान्यवर, अवैधानिक तरीके से निलम्बन का प्रस्ताव आया, मान्यवर, आप उसे निरस्त करके उनको आने की अनुमति का काम करेंगे । जो दुर्व्यवहार किया गया है उनको दंडित किये जाने का निर्णय देने की कृपा करेंगे । मान्यवर, आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि आपकी व्यवस्था आ जाए मान्यवर, सदन की कार्यवाही जैसे आप चाहेंगे, वैसी ही चले, आपके बाद ही कानून हैं इस सदन में । निवेदन है कि आपकी व्यवस्था पहले आ जाए ।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो बातें कहीं हैं उनको संज्ञान में ले लिया है, मैं उनका परीक्षण कर रहा हूं मैं अभिलेख भी देख सकता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, वह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिनके परीक्षण में समय लगे अगर कोई हलफ वाली बात है तो मैं शपथ पूर्वक यह बात कह रहा हूं । कैमरे का रिप्ले आप देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, वह सदस्य उपस्थित नहीं थे उनको बिना बुलाए, कार्यवाही को आगे चलाना, उनके अधिकारों का हनन है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आपकी व्यवस्था पहले आ जाए हम आपका संरक्षण चाहते हैं । इस पीठ पर मान्यवर, आप कल उपस्थित नहीं थे, हम लोगों के साथ अन्याय हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

पीठ पर आक्षेप न करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पीठ पर कोई आक्षेप नही है वह करने का काम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के हिस्से में है।

श्री अध्यक्ष–

आपने वीडियो रिकार्डिंग देखने की बात कही है उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। मैंने पहले से निर्देश दे दिये हैं। सूचनाओं का निस्तारण करने के बाद जब मैं कक्ष में जाऊंगा तो अभिलेखों को देख लूंगा। जो आपने बात कही है मैं उसका परीक्षण कर रहा हूं। थोड़ा अवसर दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन् मेरी आपसे बहुत छोटी प्रार्थना है। एक घन्टे तक सदन स्थगित रहा है, यह एक घन्टे का समय कम है या ज्यादा है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आप जो चाहे प्रक्रिया तय कर लें, किन्तु आप इस संबंध में अवश्य देख लें और उन सदस्यों का निलम्बन नहीं होना चाहिये जो यहां पर मौजूद ही नही थे।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज ही व्यवस्था दे दूंगा। (सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन् आप पहले व्यवस्था दे दें, उसके बाद सदन को चलायें। जो उधर के अनुभवी सदस्य हैं, जो भारी अधिकार रखने वाले सदस्य बोल रहे हैं। उनकी राय भी आप ले लें, प्रतिभावान हैं, तभी मंत्री बनाये गये होंगें और जो मंत्री होकर [×××] काम करके नई परम्परायें मर्यादायें डाल रहे हैं, उनके अनुभव, विद्वता का लाभ भी आप ले लें।

श्री अध्यक्ष–

मुझे परीक्षण तो करने दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

(सत्ता पक्ष की ओर से कुछ सदस्यों के बोलने पर समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 1.00 बजे तक के लिये स्थगित कर रहा हूं।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(तत्पश्चात् व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजे तक लिए स्थगित कर दी । 1 बजे डिप्टी मार्शल–ने सदन को सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक और बढ़ा दिया है । 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

निलम्बित सदस्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी .....

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था दे दूं । मैंने कहा था कि मैं परीक्षण कर रहा हूं । मैं निर्णय अभी, तुरन्त दे रहा हूं ।

माननीय अम्बिका चौधरी जी ने आज के उपवेशन के प्रारम्भ में यह आपत्ति उठायी थी कि इस सदन के दो माननीय सदस्य श्री राधेश्याम जायसवाल और माननीय श्री मानिक चन्द यादव कल अपने निर्वाचन क्षेत्रों में थे परन्तु उन्हें इस सदन में इंगित करके उनका निलम्बन कर दिया गया है । एक अन्य माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की थी कि माननीय छोटे लाल सिंह यादव नाम का कोई व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है । इसलिये जो सूची में नाम प्रकाशित हुआ है वह गलत है । मैंने अभिलेखों का निरीक्षण किया और कल की कार्यवाही का भी निरीक्षण किया और उससे यह स्पष्ट होता है कि कल जिन माननीय सदस्यों को इंगित किया गया था और जिनके निलम्बन का प्रस्ताव हुआ था वह हैं श्री राधेश्याम सिंह । जो विधान सभा सचिवालय द्वारा सूची जारी की गयी है उसमें मुद्रण की त्रुटि से राधेश्याम सिंह की जगह राधेश्याम जायसवाल छप गया है । इसी प्रकार से जिस अन्य सदस्य को निलम्बित किया गया है वह हैं श्री छोटे सिंह यादव और अभिलेखों में इंगित करने के प्रस्ताव और निलम्बित करने के प्रस्ताव में श्री छोटे सिंह यादव है । सूची में मुद्रण की त्रुटि के कारण श्री छोटे लाल सिंह यादव का उल्लेख हो गया है । यह मुद्रण की त्रुटि हो गयी है । मैं सचिव को निर्देश दिये देता हूं कि वह मुद्रण की त्रुटि में सुधार करें । जहां तक श्री मानिक चन्द यादव जी का प्रश्न है, मैंने कक्ष में वीडियो कैसेट देखा । लगता है कि कुछ भ्रम है । कुछ माननीय सदस्यों के चेहरे नहीं दिखायी पड़ रहे हैं, पीठ दिखायी पड़ रही है इसलिये मैं संदेह का लाभ देता हूं । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहता हूं कि वह प्रस्ताव ले आयें कि श्री मानिक चन्द यादव का निलम्बन वापस किया जाय ।

श्री मानिक चन्द यादव स०वि०स० के निलम्बन वापसी का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य श्री मानिक चन्द यादव के निलम्बन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसको वापस लिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने श्री मानिक चन्द यादव के निलम्बन को वापस लेने के बारे में किया है उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

श्री मानिक चन्द यादव के निलम्बन का प्रस्ताव वापस लिया जाता है । शेष के बारे में मैंने सचिवालय को निर्देश दे दिया है । जो मुद्रण की त्रुटि हुई है उसमें सुधार करके दूसरी सूची जारी कर दी जायेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने यह प्रार्थना नहीं की थी कि इनका निलम्बन वापस किया जाये । मेरा निवेदन यह था कि दो का निलम्बन तो मात्र उदाहरण है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा लाया गया प्रस्ताव ही अवैध है ।

श्री अध्यक्ष

माननीय अधिष्ठाता महोदय ने जिन-जिन लोगों का नाम लेकर के इंगित किया था उन्हीं के बारे में प्रस्ताव आया इसलिए आप तो एक प्रकार से माननीय अधिष्ठाता महोदय के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं । जो त्रुटि सामने आ गयी उसका निराकरण कर दिया गया । अब इसके बारे में किसी तरह का भ्रम न तो आपको है और न अन्य माननीय सदस्यों को है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यदि आप कह दें कि वैध था तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने अपनी व्यवस्था दे दी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था कि आपकी व्यवस्था आ जाये तो अकारण इस सदन का समय जाया न हो ।

श्री अध्यक्ष–

हम आपके आभारी हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाने का प्रयास

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर व्यवधान/शोर)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय अम्बिका चौधरी जी ने कहा है वह लिखा नहीं जायेगा ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

नोट– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नियम 110 में यह बिल्कुल सुनिश्चित प्राविधान है कि हम भर्त्सना करने की, निन्दा करने का प्रस्ताव ला सकते हैं और मेरा यह कहना है कि...

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसको पढ़ लिया है ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति जी के दिये गये निर्णय के संदर्भ में यह हाऊस किसी भी स्थिति में चर्चा नहीं कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये मैंने आपको इस प्रस्ताव को लाने की अनुज्ञा नहीं दी है । आप नियमों से वाकिफ है । अगर अनुज्ञा नहीं दी गयी है तो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है । मैंने अनुज्ञा नहीं दी इसलिए इस प्रस्ताव के लाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा ।

कृपया आप लोग अपना स्थान लीजिए । मैं सभी समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए । सदन की कार्यवाही शांति पूर्वक चलने दीजिए । प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत प्रस्ताव आमतौर पर आम सहमति से एवं अध्यक्ष की अनुज्ञा से लाए जाते हैं ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे ।)

श्री अध्यक्ष–

यह नारे भी लिखे नहीं जाएंगें । आप सदन के कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं । कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से जो खड़े हैं, अनुरोध है कृपया अपना आसन ग्रहण करें और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने दें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नही जा रहा है । कृपया सदन की कार्यवाही चलाने में अपना सहयोग दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्देश दे रहा हूं कि 1.30 के बाद जो कार्यवाही हुई है वह प्रेस में भी प्रकाशित नहीं की जायेगी।

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आज सदन की कार्यवाही देर तक चलेगी।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यगण एक साथ बोलते रहे और नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। सदन के बाहर आप लोग चाहे जो करें लेकिन सदन के अन्दर मैं आपको इस तरह व्यवधान उत्पन्न करने की अनुमति नहीं देता हूं। आप लोग कृपया बैठ जायें।

(सदस्यगण अपने-अपने स्थान से नारे लगाते रहे जिससे व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

मेरे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद आप लोग नहीं बैठ रहे हैं और व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए मैं जिन-जिन माननीय सदस्यों को इंगित कर रहा हूं उनके नामों में यदि कोई त्रुटि हो जाय तो उन्हें सुधार लिया जायेगा–सर्वश्री अम्बिका चौधरी, ज्वाला प्रसाद यादव, रामतेज यादव एडवोकेट, कैलाश, प्रभु नारायण सिंह यादव, शिशु पाल सिंह यादव, दीपक कुमार, नन्दराम, वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, उमाकान्त यादव, बाबू खां, शब्बीर अहमद, हरदेव सिंह, श्री राधेश्याम जायसवाल, रामेश्वर सिंह यादव, मुश्ताक सोलंकी, सरवर अली खां, कमला प्रसाद रावत, विश्वनाथ, राम विशुन आजाद मैं इन सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली–1958 के नियम–299 के उपनियम (1) के अन्तर्गत सदन का त्याग कर दें। जिन माननीय सदस्यों का मैंने नाम लिया है वे कृपया सदन का त्याग कर दें। (घोर व्यधान और कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से व्यवधान) मेरा अनुरोध है कि आप लोग सदन का त्याग कर दें। जिन माननीय सदस्यों का मैंने नाम लिया है वे कृपया सदन का त्याग कर दें। (सदस्यों के सदन का त्याग न करने पर) मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों का मैंने नाम लिया है और वे सदन का त्याग नहीं कर रहे हैं तथा जान-बूझकर सदन के कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए इनके विरुद्ध अब कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है)

(घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री कैलाश, श्री प्रभू नारायण सिंह यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री दीपक कुमार, श्री नन्द राम, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री उमाकान्त यादव, श्री बाबू खां, श्री शब्बीर अहमद, श्री हरदेव सिंह, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री रामेश्वर सिंह यादव, श्री मुश्ताक सोलंकी, श्री सरवर अली खां, श्री कमला प्रसाद रावत, श्री बिश्वनाथ तथा श्री राम बिशुन आजाद स०वि०स० के निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मैं इंगित कर रहा हूं। श्री अम्बिका चौधरी, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री कैलाश, श्री प्रभू नारायण सिंह यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री दीपक कुमार, श्री नन्द राम, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री उमाकान्त यादव, श्री बाबू खां, श्री शब्बीर अहमद, श्री हरदेव सिंह, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री रामेश्वर सिंह यादव, श्री मुश्ताक सोलंकी, श्री सरवर अली खां,

श्री कमला प्रसाद रावत, श्री विश्वनाथ तथा श्री राम विशुन आजाद । ऐसा मुझे लग रहा है, जैसा कि कल नेता विपक्ष ने कहा था कि जब तक उनके दल का एक भी सदस्य सदन के बाहर रहेगा, वह कार्यवाही नहीं चलने देंगे । इसका यह अर्थ हुआ कि एक सुनियोजित तरीके से इस सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने का निर्णय हुआ है । जिन माननीय सदस्यों को इंगित किया गया है, उनके संबंध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी नियम 299 के उप नियम 3 (क) (ख) के अन्दर प्रस्ताव लायें ।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 299 के उप नियम 3 के उपबंधों के अनुसार, जिन माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष द्वारा इंगित किया गया है, उन्हें सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिन इंगित सदस्यों के संदर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जो माननीय सदस्य निलम्बित किये गये हैं, वह इस सदन की सेवा से नियम 299 के उप नियम 3 (क) और (ख) के अनुसार निलम्बित समझे जायेंगे ।

मैं 2.15 बजे अपराह्न तक सदन की कार्यवाही को स्थगित करता हूं और डिप्टी मार्शल को निर्देश देता हूं कि निलम्बित सदस्य अगर सदन से बाहर नहीं जाते हैं तो वह इसके बारे में मुझे सूचना दें, तब अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

(श्री अध्यक्ष ने निलम्बित सदस्यों को सदन छोड़ने का निदेश देते हुए 1 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों के विरुद्ध सदन की सेवा से निलम्बित होने का प्रस्ताव पारित हुआ है मेरा अनुरोध है कि वे सब सदन त्याग दें । मैंने आपको इसके लिये 15 मिनट से अधिक का मौका दे दिया । प्रक्रिया नियमावली के नियम–299–3(ग) की प्रक्रिया के पूर्व मैं चाहता हूं आप सदन का त्याग कर दें तो अच्छा रहेगा । मेरा अनुरोध है कि प्रस्ताव के अनुपालन में कृपा करके सदन का त्याग कर दें ।

(नारे लगाये जाते रहे)

यह नारे भी नहीं लिखे जायेंगे ।

(व्यवधान)

मेरा अनुरोध है कि कृपया सदन का त्याग कर दें जो प्रस्ताव इस सदन ने पारित किया है उसका अनुपालन करें ।

(सदस्य नारे लगाते रहे)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कृपया इससे पूर्व कि मैं नियम–299–3(ग) की प्रक्रिया लागू करूं मेरा अनुरोध है कि वे माननीय सदस्य जो सदन की सेवा से निलम्बित किये गये हैं वे कृपया स्वेच्छा से सदन का त्याग कर दें ।

(नारे लगाये जाते रहे)

मैं माननीय निलम्बित सदस्यों का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम–299–3(ग) की ओर आकृष्ट कर रहा हूं–सदन द्वारा निलम्बित सदस्य बाध्य होंगे कि वे सदन के परिसर का तुरन्त परित्याग करें । किन्तु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, निलम्बित सदस्य, बिना किसी अग्रेतर प्रस्ताव के सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित हो जायेंगे । मैं आपसे अन्तिम बार अनुरोध कर रहा हूं कि आपको सदन की सेवा से निलम्बित करने का जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके अनुपालन में सदन का त्याग कर दें ।

(नारे लगाये जाते रहे)

कृपया सदन का त्याग कर दीजिये।

(व्यवधान)

कृपया सदन का त्याग कर दें । मैं इसके पहले कि सदन का ध्यान आकृष्ट करूं कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है । एक बार पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया सदन का त्याग कर दीजिये । चूंकि सदन द्वारा आज के प्रस्ताव के द्वारा जो माननीय सदस्य निलम्बित हुए हैं वे बार-बार अनुरोध करने के पश्चात् भी सदन का त्याग नहीं कर रहे हैं और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि चूंकि वो सदन का त्याग नहीं कर रहे हैं, स्वेच्छा से त्याग करेंगे भी नहीं, अतः मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं कि उनको सदन से बाहर करने के लिये बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है । मार्शल कृपया माननीय सदस्यों को सदन के बाहर कर दें ।

(घोर व्यवधान)

कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार कर लें ।

(निलम्बित सदस्य डिप्टी मार्शल एवं सुरक्षा गार्डों द्वारा बलपूर्वक बाहर निकाले जाने लगे ।)

(सपा के सदस्य नारे लगा रहे थे)

(निलम्बित सदस्यों के बाहर निकाले जाने के बाद)

श्री विनोद मणि–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जा रहा है । बगैर अनुमति के बोल रहे हैं ।

श्री रामजग–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

अनुमति नहीं दी है इसलिए लिखा नहीं जाएगा ।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री विनोद मणि एवं श्री राम जग दोनों सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास नियम–300 के अन्तर्गत आज जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं वह पांच सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की है दूसरी सूचना श्री बी०आर० वर्मा की है और तीसरी सूचना श्री रामवीर उपाध्याय जी की है।

(श्री राम जग के खड़े होकर निरन्तर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

राम जग जी आप बैठ जाएं।

श्री सीताराम निषाद–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुमति नहीं दी है यह लिखा नहीं जाएगा।

(श्री राम जग, श्री विनोद मणि एवं श्री सीताराम निषाद द्वारा एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

यह लिखा नहीं जा रहा है आप जो बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जा रहा है। माननीय श्री रामवीर उपाध्याय जी आप बोलें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सीताराम निषाद–

[× × ×]

श्री राम जग–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा। कृपया शांति से सदन की कार्यवाही चलने दीजिये। बिना मेरी अनुमति के कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप लोग बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं। माननीय विनोद मणि जी मैं सबके साथ समान व्यवहार करूंगा आप कृपया बैठ जायें और सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री राम जग–

[× × ×]

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम जग जी और माननीय विनोद मणि जी आप कृपया सदन का त्याग करें क्योंकि मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी आप बोलते जा रहे हैं। मैंने आपको अनुज्ञा नहीं दी है फिर भी आप बोल रहे हैं। आप लोग तो अनुशासित सदस्य हैं लेकिन आप नहीं मान रहे हैं।

(श्री राम जग और श्री विनोद मणि अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे)

श्री राम जग और श्री विनोद मणि स०वि०स० के निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

यह जो आप कह रहे हैं यह न तो छपेगा और न ही प्रकाशित होगा। आप लोग बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं इसलिए मैं आपको इंगित करता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप प्रस्ताव लायें। मुझे कड़ाई से कार्यवाही करनी होगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राम जग जी और श्री विनोद मणि जी दोनों माननीय सदस्यों को सदन की सेवा से तीन दिन के लिए निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय श्री राम जग जी और श्री विनोद मणि जी को इस सदन की सेवा से तीन दिन के लिए निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री राम स्वरूप सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

डिप्टी मार्शल, कृपया दोनों माननीय सदस्यों को सादर सदन के बाहर ले जायें।

(डिप्टी मार्शल दोनों उक्त सदस्यों को सदन से बाहर ले गये)

(व्यवधान के मध्य श्री सत्य प्रकाश सोनकर, श्री सीताराम निषाद, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री रामपाल सिंह, सदन के वेल में आकर बैठ गये। श्री राम स्वरूप भी सदन के वेल से खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे।)

कृपया आप लोग अपने स्थान पर वापस जायें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल से नारे लगाने लगे)

ये लिखा नहीं जा रहा है। आप लोग अपना स्थान कृपया ग्रहण करें। माननीय रामवीर उपाध्याय जी की नियम–300 में सूचना है। माननीय बी०आर० वर्मा जी आपका भी नाम है। आज कहना चाहेंगे या कल कहेंगे।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस पर माननीय मौर्य जी कह देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मेरा सुझाव है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का आज अन्तिम दिन है तो चाहें तो इसे कल ले लें।

(व्यवधान)

(सदन के वेल में खड़े सदस्य मांग करने लगे कि श्री सीताराम निषाद जी के द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे निन्दा के प्रस्ताव पर चर्चा करा लें।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें या कृपया सदन का त्याग कर दीजिए। कोई प्रस्ताव बिना मेरी अनुज्ञा के रखा ही नहीं जा सकता।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य बिहार में नियम 356 के कथित दुरुपयोग पर चर्चा की मांग करने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

वह सदन के बाहर कहें, अखबार में कहें वह राजनैतिक विषय हैं माननीय रामपाल सिंह जी, माननीय सीताराम निषाद जी, मा० सत्य प्रकाश सोनकर जी और मा० अरिमर्दन सिंह जी, और मा० राम स्वरूप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर वापस जायें या सदन का त्याग कर दें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सदन त्याग करें।

श्री राम पाल सिंह (वेल से)–

मान्यवर, दोनों पक्ष चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इंगित करने से पहले सदन त्याग कर दें तो अच्छा रहेगा नहीं तो मुझे मजबूरन इंगित करना पड़ेगा।

श्री राम पाल सिंह (वेल से)–

मान्यवर, माननीय निषाद जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर विचार कर चर्चा करा लें।

श्री सीताराम निषाद, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री रामपाल सिंह, श्री सत्य प्रकाश सोनकर, तथा श्री राम स्वरूप सिंह स० वि० स० के निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय रामस्वरूप जी आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने अनुज्ञा नहीं दी है, सदन के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घोर व्यवधान)

माननीय अरिमर्दन सिंह, माननीय राम पाल सिंह, माननीय सीताराम निषाद और माननीय सत्य प्रकाश सोनकर सदन का त्याग कर दें।

माननीय राम स्वरूप जी, आप भी सदन का त्याग कर दें। सदन कुछ नियमों से चलेगा, काफी शिथिलता हो गयी है। कृपया सदन त्याग कर दीजिए।

(व्यवधान)

मैं इंगित कर रहा हूं–माननीय राम पाल सिंह, माननीय अरिमर्दन सिंह, माननीय सीताराम निषाद, माननीय सत्य प्रकाश सोनकर और माननीय राम स्वरूप जी को मैं इंगित कर रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री कृपया प्रस्ताव रखें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री राम पाल सिंह, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री सीताराम निषाद, श्री सत्य प्रकाश सोनकर एवं श्री राम स्वरूप जी को सदन सेवा से 3 दिन के लिए निलम्बित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राम पाल सिंह, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री सीताराम निषाद, श्री सत्य प्रकाश सोनकर एवं श्री राम स्वरूप जी को 3 दिन तक सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब मेरा यह अनुरोध है कि कृपया सदन का त्याग कर दें। आप लोग सदन की सेवा से 3 दिन के लिए निलम्बित हो गये हैं।

श्री राम पाल सिंह (वेल से)–

मान्यवर, इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सदन त्याग कर दीजिए, कृपया सदन त्याग कर दीजिए। डिप्टी मार्शल, माननीय सदस्य सदन त्याग नहीं कर रहे हैं कृपया ससम्मान उनको सदन से बाहर ले जाय।

(निलम्बित सदस्यों को सदन के बाहर ले जाया गया)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री बी० आर० वर्मा तथा श्री राम वीर उपाध्याय जी की है। वैसे नियम 300 में कैसी सूचना दी जाती है आपको पता है लेकिन सदस्य के नाते, आपका व्यक्तिगत मामला है, आप बतायें।

श्री रामवीर उपाध्याय स० वि० स० की सुरक्षा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री रामवीर उपाध्याय–

श्रीमन् बड़े दुखी मन से मैं आज दुबारा, इस पूरे सदन से विनती करते हुये आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, 16-7-98 को नियम 300 के अन्तर्गत मैंने अपनी सुरक्षा की गुहार की थी। मान्यवर, मुझे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश संख्या 23769/95 के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई थी। मेरे ऊपर 27-11-94 को, जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, तब मेरे ऊपर आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण भाजपा के पूर्व विधायक श्री राजवीर सिंह पहलवान द्वारा हुआ था, उस समय मेरी सुरक्षा में एक सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबिल थे,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें गोपाल शर्मा की मृत्यु हो गई थी । उसके बाद अक्टूबर, 98 में मेरे ऊपर फिर आक्रमण हुआ जिसकी सूचना हाथरस थाने में दर्ज है । उस घटना में मेरे सुरक्षाकर्मियों ने भी गोलियां चलाई, मैं नीचे झुककर बाल-बाल बच गया ।

इसी प्रकार जब मैं कैबिनेट मंत्री था तो 21-4-98 को मुझे सूचना मिली कि भूपेन्द्र सिंह और प्रताप सिंह नाम के पेशेवर हत्यारे 3 दिन से मेरे कमरे के नीचे रुके हैं । जब मेरे सुरक्षाकर्मियों को इसका पता चला तो उन्होंने मुझे जानकारी दी । उसके बाद भी उन लोगों को अरेस्ट नहीं करने दिया गया । बाद में तत्कालीन मुख्य मंत्री मायावती जी से मैंने विनती की, उन्होंने कलराज मिश्र जी से बात की और उसके बाद निर्णय लिया गया कि पेशेवर हत्यारों को पकड़ा जाय और बड़ी मुश्किल से रात को एस०एस०पी० के दखल से उनको पकड़ा गया और एन०एस०ए० में जेल भेजा गया । क्षेत्र के जिन लोगों को मैंने लाइसेंस दिलवाये थे तथा जो सुरक्षाकर्मी मेरे साथ लगे हैं, वही सब मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, यह बात मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको बताई थी । दिनांक 2-11-98 को डी०एल० सी० 3075 से रात पौने 7 बजे कुछ बदमाश मेरे घर पर अंधेरे में आये । जब मेरे सुरक्षाकर्मियों ने ललकारा तो 3–4 इधर को, 3–4 उधर को भाग गये, वह जिप्सी बाद में बहुत दिन तक हाथरस थाने में खड़ी रही, वह जिप्सी दिल्ली से चुराई गई थी । मैंने आपसे विनती की, आपने निर्देश दिये थे कि आई०बी० के रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाय । मैं 6 जून, 98 को तत्कालीन एस०एस०पी० से मिला । उन्होंने भी कहा कि रिपोर्ट मंगाकर आपको सुरक्षा प्रदान कर देंगे ।

आई०बी० वाले मुझे पूछताछ करने के लिये मेरे पास आये भी थे, उन्होंने कहा मैंने रिपोर्ट भेज दी है । उसके बाद मैं आपसे मिला, मैंने विनती की, मैं आपका ऋणी हूं कि आपने मेरी बात को सुना और मेरे सामने ही गृह सचिव को बुलाकर 11 तारीख को निर्देशित किया, मुझे दो सिपाहियों की तत्काल व्यवस्था कर दी गई । उसके बाद गृह सचिव मुख्य मंत्री के पास गये और मुझे दो सिपाहियों की व्यवस्था की गई थी, वह वापस कर लिये गये । मान्यवर, मेरी हत्या कराने के लिये मेरे राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों ने 25 लाख रुपये दिये हैं, उसके पहले 7 लाख रुपये दिये थे । मेरे लिये हाईकोर्ट ने निर्देश दिये, लेकिन मेरी सुरक्षा वापस कर ली । यह सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को नहीं मानती है, विधायिका की बात नहीं मानती । मेरे पीछे बदमाश लगे हैं, मैं और मुख्य मंत्री जी एक ही जनपद के रहने वाले हैं, मैंने हाथरस को जिला बनवाया, बी०एस०पी० छोड़कर भाजपा में नहीं गया, पैसे और पद की लालच में नहीं बिका [×××] चूंकि मैं [×××] हूं, और मुख्य मंत्री जी [x x x] इसलिये भी मुझे सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, मुझे न्यायपालिका, विधायिका के आदेश के बावजूद सुरक्षा नहीं दी जा रही है । मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जब मेरी हत्या हो जाय तो मेरी शोक संवेदना इस सदन में न की जाय आपके आदेशों की अवहेलना की जा रही है, तो मैं नहीं समझता कि मेरी सुरक्षा किस प्रकार से की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । उपाध्याय जी, आप की सारी बातें आ गयी हैं, कृपया समाप्त करें ।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

इन्होंने [xxx] शब्द का प्रयोग किया है, इस शब्द को कृपा कर कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा।

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले ही कह दिया है कि सभी के साथ समान व्यवहार करुंगा। जब पीठ से अध्यक्ष या अधिष्ठाता खड़ा हो जाता है तो सभी माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये। अगर आप लोग अनुपालन नहीं करेंगे, तो सदन का त्याग कर दें, अन्यथा निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी, चाहे वह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्य हों।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, केवल दो बातें और कहना चाहता हूं। माननीय कल्याण सिंह और [×××]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है, उसका नाम-सदन में नहीं लेना चाहिये।

श्री रामवीर उपाध्याय–

नेता सदन यहां पर उपस्थित हैं, मेरी हत्या का प्रयास हो रहा है, मैं अपने इसी मामले के सम्बन्ध में तत्कालीन गृह मंत्री, श्री इन्द्रजीत गुप्ता से मिला था और माननीय काशी राम से मिला था, उन्होंने मेरे मामले में सी०बी०आई० के लिये आर्डर कर दिया था और सी०बी०आई० के श्री ए०के०झा० मेरे पास जांच के लिये आये थे उन्होंने कहा था कि जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हो सकती है, तो रामवीर उपाध्याय [×××]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने औचित्य के प्रश्न के रूप में अपनी निजी सुरक्षा का मामला उठाया है और उस प्रश्न के आवरण में न जाने कितने आरोपों का उल्लेख किया है उस संबंध में मैं सिर्फ एक या दो बातें ही कहना चाहता हूं। मान्यवर, सुरक्षा देने की एक प्रक्रिया होती है, एक शासनादेश है। जो भी माननीय सदस्य चुनकर आये हैं। उनके लिये सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। अगर किसी को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। आपको पहले एक गनर दिया

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

ाया । आपने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की आपको एक गनर और दे दिया गया । फिर आपने कहा कि ौर सुरक्षा की आवश्यकता है । इस संबंध में शासन स्तर पर एक समिति बनी है जिसमें प्रदेश सरकार ी नहीं, आई०बी० के अधिकारी भी होते हैं जो केन्द्र सरकार की तरफ से आते हैं । इस समिति में देश सरकार के प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं । आपकी मांग के संबंध में सारे रीक्षण किये गये, आपके क्षेत्र की जानकारी की गयी, आपके साथ कौन कौन से लोग उठते बैठते हैं ? वह किस प्रकार के लोग हैं ? यह सब जानकारी प्राप्त करने के बाद उनका निष्कर्ष यह था कि जो सुरक्षा इनको दी गयी है वह पर्याप्त है ।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं इतनी सूचना आपको है कि गृह सचिव आपके कक्ष से उठकर कहां जाते हैं ? क्या बात कहते हैं ? आपको इसकी सूचना भी है कि 25 लाख रुपये दिये गये हैं कि इनकी हत्या कर दी जाय । आपकी यह आशंका हो सकती है कि मेरे विरोधी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं लेकिन आपको इतनी सारी स्पेस्पिक जानकारी कांसपिरेसी के बारे में है कि कितना पैसा हत्या के लिये दिया गया ? किसने दिया, मेरे ख्याल से प्रदेश में इतना अच्छा सूचना तंत्र किसी और के पास नहीं है ? अगर किसी और के पास होगा तो वह सामान्य व्यक्ति तो होगा नहीं ? आपने 25 लाख रुपये की बात कही और फिर 7 लाख रुपये की बात आयी । माननीय उपाध्याय जी आप मंत्री भी रह चुके हैं और पहली बार चुनकर आये हैं । आपने पूरी कोशिश की टिकट लेने की और जब आप उपयुक्त नहीं पाये गये तो बी०जे०पी० ने टिकट नहीं दिया । जो कार्य कलाप आपके हैं उसके बावजूद भी आप उम्मीद करते हैं कि बी० जे०पी० में आपका समायोजन हो जायगा । आपके संबंध में उच्चतम स्तर से परीक्षण हुआ है और परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जो सुरक्षा आपको दी गयी है वह पर्याप्त है । बार बार सुरक्षा के बारे में कहना सदन का समय बरबाद करना है । मान्यवर, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने लगातार आपको अवगत कराया है मेरे पास सबूत हैं । मेरी हत्या कराने की साजिश की जा रही है । सरकार के आर्डर हैं, हाईकोर्ट का आर्डर है । जहां तक टिकट की बात कह रहे हैं मुझे बी०जे०पी० के टिकट की आवश्यकता नहीं है मैं बी०जे०पी० में जाने के बजाये निर्दलीय चुनाव लड़ लूंगा । जहां तक 25 लाख रुपये की बात कह रहे हैं ....

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दे दिया है इसलिए मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है । केवल एक बिन्दु पर खड़ा हुआ हूं । माननीय रामवीर उपाध्याय जी ने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया है कि मैं [xxx] हूं । श्रीमन्, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, सभी मेरे अपने हैं और मैं भी सबका हूं । मुझे सबका विश्वास प्राप्त है और मैं भी सभी को विश्वास में लेकर चलता हूं । यह स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं हूं लेकिन हर गुण्डे का बहुत विरोधी हूं, हर बदमाश का बहुत विरोधी हूं । श्रीमन् मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं किसी भी जाति विशेष का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं, हर गुण्डे का बहुत जोरदार विरोध करता हूं, हर बदमाश का विरोधी हूं । गुण्डे, बदमाश, माफिया, चोर इनकी कोई जाति-पांति, मत, मजहब नहीं होता, कोई वर्ग नहीं होता, कोई सम्प्रदाय नहीं होता । जो आरोप लगाया गया कि मैं [x x x] हूं इसलिए कुछ कहने पर मजबूर होना पड़ा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय उपाध्याय जी ने अपनी बात कह दी है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का उत्तर भी आ गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस बिन्दु पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । रामवीर उपाध्याय जी इस माननीय सदन के सदस्य हैं और निरन्तर पिछली घटनाओं में इन पर जो भी जानलेवा हमला होता रहा है और पिछले सत्र में भी मान्यवर, आपके समक्ष इस बात की चर्चा हो चुकी थी । माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल चर्चा, भाषणों से सदन नहीं चलना है, गुण्डे और माफिया का मैं विरोधी हूं यह कहकर इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी [xxx] गुण्डे थे वह आज मंत्रि-मण्डल में हैं । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रामवीर उपाध्याय जी जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं उनकी सुरक्षा को यह कहकर नजरंदाज कर दिया जाये कि गुण्डे का विरोधी हूं जो गुण्डे हैं उनको आपने अपनी बगल में बैठा रखा है, माफिया हैं उनको आपने बगल में बैठा रखा है, जब अगर आपका इतने विरोधी होते पहले आप इनको बाहर करते । इस बात को केवल हंसी मजाक, चर्चा और परिचर्चा में नहीं टाला जा सकता । माननीय सदस्य के सुरक्षा के बावत बात हो रही है । तीन बार इन पर प्राणलेवा हमला हो चुका है । रामवीर उपाध्याय जी ने जो सूचना प्रस्तुत की है मैं चाहता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न पर आप व्यवस्था दें जिससे सदन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके । जब सदन के सदस्य ही सुरक्षित नहीं होंगे तो यहां पर सदन में अपनी समस्या कौन रखेगा ? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप श्री रामवीर उपाध्याय की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश सरकार को दें ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि बिना दुखी हुए कोई यह सब नहीं कह सकता है । सदन जो सर्वोच्च है उससे अनुरोध किया जा रहा है कि मेरी हत्या करा दी जाएगी और हत्या होने के बाद यहां सदन शोक संवेदना व्यक्त करेगा अगर कोई इतना व्यथित न होता उसको इतनी पीड़ा न होती तो यह सब नहीं कहता । इस सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर आप विराजमान हैं । यह किसी जाति, धर्म मजहब का सवाल नहीं है एक पीड़ा है । इतने सारे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है सरकारी कोष से इतना पैसा खर्च हो रहा है । अगर राम वीर उपाध्याय जी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा । इनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में आप कोई निर्देश दें । क्योंकि यह सरकार निष्ठुर और संवेदनहीन सरकार है यह बदले की भावना से काम कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, शासन समय-समय पर जिन लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति आशंका होती है, जो शासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में समीक्षा करता रहता है । श्री राम वीर उपाध्याय की सुरक्षा के सम्बन्ध में एक बार समीक्षा हो चुकी है और यह सूचित किया गया कि समीक्षा करने वाली जो समिति है, उच्च स्तरीय है । उसने इन्हें जो सुरक्षा दी गई है उसे पर्याप्त माना

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । उस समीक्षा के बाद की कुछ घटनाओं का यहां उल्लेख किया गया है । उसकी तिथि मुझे नहीं मालूम लेकिन लगता है कि सुरक्षा देने के बाद की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है । आप एक बार पुनः समीक्षा करा लें समीक्षा कराने के बाद जो उच्च स्तरीय समिति है उसकी भी जानकारी प्राप्त कर लें ।

श्री हुकुम सिंह–

जैसा आपका निर्देश हो शिरोधार्य है । वैसे 23-1-99 को लेटेस्ट समीक्षा की गई ।

श्री अध्यक्ष–

आपके बताए हुए तथ्यों का भी संज्ञान कर लें । उसका भी आकलन कर लें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

1993 से हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध थी । उस समय भी समिति थी । उस समय अगर आवश्यकता नहीं महसूस की गई तो क्यों सुरक्षा मिली ?

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री वर्मा जी इस सदन के पूर्व अध्यक्ष हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

1993 से 1998 तक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध थी । यह सुरक्षा व्यवस्था हाई कोर्ट ने महसूस की । उस समय जो समितियां राज्य स्तर और केन्द्र स्तर की थीं उनकी संस्तुतियों के आधार पर ही सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी । ऐसी क्या बात हो गई कि 1998 के बाद सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई ? मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं अगर वह इशारा कर लें तो तुरन्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी । हर माननीय सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है । मान्यवर, श्री रामवीर उपाध्याय जी इस सदन के और सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं । मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम माफिया और गुण्डों के विरोधी हैं, तो ठीक हैं, यदि श्री उपाध्याय जी इस कैटागरी में आते हैं तो उन्हें सुरक्षा न दी जाय, लेकिन यदि इस कैटागरी में नहीं आते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह यहीं सदन में घोषणा करें कि श्री रामवीर उपाध्याय जी को जैसी पूर्व में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध थी वैसी उन्हें सुरक्षा प्रदान की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दे दिया है कि जो तथ्य अभी सदन के समक्ष लाये गये हैं उस परिपेक्ष्य में समीक्षा कर लें और जो व्यवस्था ठीक हो वह कर देंगे ।

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने से व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके आदेशों और उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद यह सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर रही है । (व्यवधान) मैं जानना चाहूंता हूं कि आपके और उच्च न्यायालय के आदेशों का यह सरकार पालन क्यों नहीं कर रही है ? अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि यदि उनकी सुरक्षा की भावना इनकी है तो सदन के समक्ष मुख्य मंत्री जी माननीय सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी निर्देश दे दिया है कि समीक्षा कर लें, और जो यथोचित कार्यवाही हो वह की जाय ।

(व्यवधान कई सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री रामवीर उपाध्याय–

(सदन के वेल में आकर) मान्यवर, यदि हमारी सुरक्षा नहीं कराई गई तो हमें [x x x] इसलिए मैं यहीं धरने पर बैठ रहा हूं ।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें ।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ वेल में बैठने तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा । आप अपना स्थान ग्रहण करें । यह लिखा नहीं जा रहा है ।

मैं सदन की कार्यवाही को 3.30 बजे अपरान्ह तक स्थगित करता हूं ।

(श्री अध्यक्ष ने 3 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 3 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 45 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 3 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता–

नियम–300 के अन्तर्गत जो शेष सूचनायें हैं क्रम संख्या–दो पर श्री अनीस खां की सूचना है तीसरे नम्बर पर श्री बी०आर० वर्मा एवं मुराद लारी जी की सूचना है चौथे नम्बर पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की सूचना है पांचवें नम्बर पर श्री श्रीरामपाल जी की सूचना है छठे नम्बर पर श्री प्रमोद कुमार एवं जगदम्बिका पाल जी की सूचना है यह सभी सूचनायें कल ले ली जाएंगी ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री श्रीरामपाल–

मान्यवर, दो–दो मिनट सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 17-2-99 को नियम–311 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई और समस्त सूचनायें अस्वीकार की गयीं । पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद, श्री जगदम्बिका पाल, श्री बी० आर० वर्मा, श्री मुराद लारी, श्री मतेश चन्द्र सोनकर तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की है तीसरी सूचना श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री परवेज हलीम, श्री बनारसी दास चांदना, श्री राजपाल सिंह की है चौथी सूचना श्री श्रीराम पाल, श्री श्याम प्रकाश, श्री जगदीश कुमार की है, इन सब सूचनाओं को अस्वीकार किया गया । आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने की इस सदन की इच्छा है इसलिए अगर कोई माननीय सदस्य सूचना देना चाहते हैं तो कल सुसंगत नियमों के अन्तर्गत दे दें उस पर विचार कर लिया जाएगा ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री कौकब हमीद–

इसी को मान लें ।

श्री अधिष्ठाता–

311 में आपने दिया है कल नियम–56 में भी दे सकते हैं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

इसी को कल नियम–56 में परिवर्तित कर दीजिएगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–3,4,5,6 में कुछ नहीं है ।

मद संख्या–7 लेते हैं ।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बारे में मैंने विधिवत् पढ़ा है और पढ़ने के बाद हमें ज्ञात हुआ है कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण एक ढपोरशंखी अभिभाषण है जो बदामि च ददामि के सिद्धान्त पर वादा तो लम्बा-लम्बा करती है लेकिन व्यावहारिक रूप में करने के लिए कुछ भी नहीं है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है इसलिए अच्छा होता कि सदन में नेता सदन मौजूद होते लेकिन इसके बावजूद हम इस परिपेक्ष्य में अपनी बात रखते हुए यह कहना चाहेंगे कि महामहिम राज्यपाल जी का यह अभिभाषण ख्याली पुलाव है इसमें कुछ भी ऐसी बात कहीं पर भी नहीं कही गयी है जहां पर उत्तर प्रदेश के विकास की बात होती, उत्तर प्रदेश में आज जो जंगल राज कायम है, उसको नियंत्रित कर कानून राज बनाने की बात होती, उत्तर प्रदेश में, जो आज पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है, गुन्डों और माफियाओं का बोलबाला है उस पर अंकुश लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गयी और उसी का परिणाम है कोई भी कारगर कठोर कार्यवाही की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गयी और आज उत्तर प्रदेश

नोटः–† दिनांक 24-2-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

† श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव पर दि० 10-2-99 को चर्चा आरम्भ ।

में दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर जुल्म और ज्यादती हो रही है और कानून को हव्वा बताते हुए आज कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। जैसे हाथरस जिले में एक थानाध्यक्ष द्वारा एक दलित युवती के साथ बलात्कार किया गया यह उसी कानून के उपहास को प्रतिबिंबित करता है।

आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों, अल्पसंख्यकों को भयाक्रांत किया जा रहा है उनके उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है। कहीं पर फर्जी मुठभेड़ के नाते मारा जा रहा है, कहीं पर उनकी हत्या की जा रही हैं, कहीं पर आगजनी की जा रही हो, कहीं पर बलात्कार किया जा रहा है कहीं पर सामूहिक रूप से उनके घर गिराये जा रहे हैं और शोरे पुख्तों को कब्जा दिया जा रहा है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रतिशोध की भावना से पूरे उत्तर प्रदेश में कहर बरपा किया जा रहा है। कहने के लिए यह भयमुक्त समाज की बात कही जाती हैं लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में [illegible] लोग [illegible] हैं और जो गुण्डे और माफिया लोग हैं वह भयमुक्त हैं और यही कारण हैं कि गुण्डे और माफिया खुला अपराध कर रहे हैं। उन पर किसी प्रकार के नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गयी है और यही नहीं मान्यवर, पहले तो भुक्तभोगियों को सुना ही नहीं जाता है, उनके दुख दर्द को सुना ही नहीं जाता है लेकिन मजबूरी में जब सुनने की बात आती है तो एफ० आई० आर० लिखें जाने के बाद कार्यवाही नहीं होती है.....

जैसा कि आपके संज्ञान में दृष्टान्त के रूप में लाना चाहूंगा प्रतापगढ़ के पहाड़पुर गांव में एक दलित अलगू राम चौधरी की दिन दहाड़े हत्या होती है हत्यारा हिस्ट्रीशीटर अपराधी है टाप, टेन लिस्ट में है 15 हत्याओं का अभियुक्त है। साक्ष्यों को मिटाने के लिए गवाहों की हत्या करने की धमकी दे रहा है। शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने पर गिरफ्तारी नहीं हुई है जब हत्यायें करने वाले हत्यारे निर्बाध रूप से घूमते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में भय का वातावरण होगा। हम धन्यवाद देते महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर यदि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी होती। लेकिन खेद है कि सुरक्षा की बात को जाने दीजिए जुल्म-ज्यादती के शिकार लोगों के उनके दुख दर्द को सुना भी नहीं जाता लिखा नहीं जाता यदि लिखा भी गया तो कार्यवाही नहीं की जाती। अच्छा होता कि आज समूचे प्रदेश में जो कोहराम मचा हुआ है जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है जो पूरे प्रदेश में पिछड़ों पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर जातिगत राजनीतिक भावना से कहर बरपा किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाने की सुनिश्चित व्यवस्था बनाई गई होती। और अन्यथा अत्याचार बलात्कार या हत्या करने वाले दोषी लोगों को तत्काल सजा की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी होती जिससे कि भयमुक्त समाज की कल्पना सकारात्मक दिशा की और बढ़ सकती लेकिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का अभाव है।

मान्यवर, प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए किसी भी प्रभावी कदम को नहीं उठाया गया है। उठाया भी कैसे जाता ? जब भ्रष्टाचार करने वाले लोग खुद सत्तासीन होते हैं तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात थोथी ही साबित होती है आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि हर जगह पर यहां तक कि सरकार के बड़े मंत्री लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता की गाढ़ी कमाई के धन का खुला दुरुपयोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में उससे शर्मनाक घटना क्या होगी कि कुछ विभाग के लोग जिसमें लघु सिंचाई विभाग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अपने माननीय मंत्री जी की मुरादों को पूरा करने के लिए प्रदेश के जनपद मुख्यालयों पर भीख मांगकर उनकी इच्छा को पूरा करने का काम करें, यह बात किसी से छिपी भी नहीं रह गई है।

अच्छा होता कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस तरह के निरंकुश भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करने की बात सुनिश्चित होती । लेकिन इसका पूर्णतया अभाव इसमें है अन्यथा हम अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते ।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की जर्जर आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस सरकार ने आर्थिक स्रोतों को बढ़ाने का कोई कारगर कदम नहीं उठाया है और कहने के लिए अपना दोष दूसरों पर मढ़ना चाहती है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया । अच्छा होता कि यह सरकार अपने दामन में झांककर देखती, अच्छा होता अपनी असफलताओं की समीक्षा करती, अच्छा होता यह सरकार अपने किये कराये कार्यों को पुनरीक्षित करती और कमियों को दूर करने का प्रयास करती लेकिन इस तरह का कारगर कदम महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं उठाया गया है और आर्थिक तंगी की दुहाई देकर के आज पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को गति देने के लिए बसपा-भाजपा गठबन्धन सरकार की तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश में अनेक जनपदों की घोषणा की थी उन घोषणाओं में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के विकास के विकेन्द्रीकरण की बात कही गयी थी वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के पुरोधा, भारतीय संस्कृति के उन महापुरूषों विद्वानों जिनके नाम से भारत की पहचान विश्व में स्थापित हुई है उनको गौरन्वन्वित करने का काम किया था, अच्छा होता यह सरकार जो उस समय सहयोगी दल के रूप में थी, गठबन्धन की सरकार की एक जिम्मेदारी होती है इस बात को अमलीजामा देने के लिए उसका कार्यान्वयन करती लेकिन ।

मान्यवर, दुहाई देते हैं जर्जर आर्थिक तंगीहाली का । यह बात अच्छी लगती, हम भी स्वीकार करते कि आर्थिक स्थिति जर्जर है जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उस बात की व्यवस्था की गयी होती । जम्बोजेट जैसा मंत्रिमण्डल, भारी भरकम मंत्रिमण्डल एक माह में एक करोड़ से लेकर डेढ़ करोड़ रुपये के बीच में इस मंत्रिमण्डल पर खर्च हो रहा है । अगर इनको चिन्ता होती आर्थिक तंगीहाली से निपटने की तो इसमें कमी करने का काम करते, मंत्रिमण्डल में कटौती करते । मान्यवर, एक ओर तो प्रदेश में विकास की गति को रोकने का कुप्रयास किया जा रहा है, आर्थिक तंगी की दुहाई देकर महापुरूषों के नाम पर रखे हुए जिलों के नाम चाहे वह गौतम बुद्ध नगर जिला रहा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे ज्योतिबा फुले नगर जिला हो...

चाहे कुशी नगर हो, चाहे कौशाम्बी या श्रावस्ती हो, चाहे रविदास नगर हो और चाहे संत कबीर नगर हो । यह सभी ऐसे जनपद जो एक ओर विकास को सुनिश्चित करते हैं, वहीं दूसरी ओर महापुरूषों के नाम को भी सुशोभित करते हैं उनको समाप्त किया जा रहा है । अच्छा होता कि मंत्रिमण्डल में कटौती करके विकास के कार्य का सरकार क्रियान्वयन करती और महापुरूषों के नाम से, उनके गौरव में जो जिलों के नामकरण हुये हैं, उनको अमर करती, लेकिन ऐसा नहीं करके, अपनी सुख-सुविधा में भी कटौती नहीं की गई, जम्बोजेट मंत्रिमण्डल में कटौती नहीं की गई और उत्तर प्रदेश की जनता के विकास में कटौती की जा रही है, महापुरूषों के सम्मान में कटौती की जा रही है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिये जो विकास के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था की गई थी, उसमें कटौती की जा रही है । हम धन्यवाद ज्ञापित करते, यदि यह सरकार आर्थिक तंगीहाली से निपटने के लिये कोई कारगर कदम उठाती । मान्यवर, मैं राज्यपाल जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता, यदि ऐसे कोई कदम उठाये गये होते, लेकिन ऐसे कोई उपाय नहीं किये गये, जिनसे उत्तर प्रदेश के विकास की बात को सुनिश्चित करने का रास्ता प्रशस्त होता ।

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम दैवी आपदायें आई, आधे से ज्यादा प्रदेश भयंकर बाढ़ में डूबा रहा और बाढ़ राहत के नाम पर सरकार के मंत्रियों और माननीय विधायकों ने राहत सामग्री को बांटने में कोताही किया । इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे भी प्रमाण हैं कि जब फर्जी रसीदें बनाकर राहत सामग्री का वितरण न करके, उसका उपयोग अपने संवर्धन के लिये किया गया और अपनी जेब भरने के लिये किया गया । इस पर भी जो दैवी आपदा से मारे हुये लोगों के साथ राहत कार्य किये जाने थे, उसमें भी हेराफेरी से यह लोग नहीं बचे । आज पूरे उत्तर प्रदेश में समरसता की बात होती है, लेकिन वह समरसता विषमतामूलक समाज बनाने के लिये बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी, कृपया अपने विचारों को सीमित करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । दलित जो सालों से पिछड़े हुये रहे, उनको भारती संविधान में परमपूज्य बाबा भीमराव अम्बेदकर साहब की लेखनी से आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, यह सरकार समरसता की दुहाई देते हुये, पारदर्शिता की दुहाई देकर आरक्षण का मखौल उड़ा रही है । पूरे प्रदेश में आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं भी इसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, आज चूंकि समय कम है, इसलिये मैं साक्ष्य नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन जब भी आप निर्देश देंगे, मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा ।

मान्यवर, आज आरक्षण व्यवस्था को नकारा जा रहा है, यह इसलिए किया जा रहा है कि खेत में काम करने वाले जो हैं, वह तरक्की न कर सकें और उत्तर प्रदेश और लखनऊ में न आने पायें, उनके घरों में विकास की किरण न जाने पावे, इसलिए उनको सेवाओं में आने से रोका जा रहा है । मान्यवर, इस अभिभाषण में आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है और अगर आरक्षण व्यवस्था के बारे में कुछ होता तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करता । मान्यवर, इसी प्रकार से परम्परागत पेशे वाले जो लोग हैं, जैसे बढ़ई, लुहार, नाई, प्रजापति इनकी बेहतरी के कुछ कदम नहीं उठाये गये हैं और उनकी बेहतरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापन नहीं कर सकता हूं ।

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर खेती करने वाले लोग, किसान, मजदूर दैवी आपदाओं से पीड़ित हैं । किसानों की फसल की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, उनकी फसल बीमा योजना नहीं लागू की गयी है, उनकी खुशहाली के लिए कुछ भी कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आज अन्तिम दिन है, अन्य माननीय सदस्यों को भी चर्चा में भाग लेना है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ठीक है, समाप्त कर रहा हूं । अगर इन सभी की बेहतरी के लिए कदम उठाये गये होते तो मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करता । राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों की बेहतरी के लिए, शिक्षित बेरोजगार लोगों की बेहतरी के लिए, विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था की गयी होती, जो फैक्टरियां बीमार पड़ी हैं, उनके बारे में कोई कदम उठाया गया होता, दलितों

के सम्मान के लिए कोई कदम उठाया गया होता तो मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देता । इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं है, इसलिए जैसा मैंने पहले कहा है कि यह ढपोरशंखी अभिभाषण है, इसलिए मैं धन्यवाद नहीं दे सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

समय कम है और माननीय सदस्यों की इच्छा है कि वह इस चर्चा में अधिक से अधिक भाग लें, तो अगर आप सहमत हों तो दलों के नेताओं को 15 मिनट और अन्य माननीय सदस्यों को 5-5 मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाये ।

* श्री प्रमोद कुमार

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मौजूदा सरकार के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं स्पष्ट कर दूं कि इस सरकार द्वारा, सत्तापक्ष द्वारा प्रस्तुत इस अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का और मेरा दल विरोध करता है । मान्यवर, यह विरोध मैंने रश्मी तौर पर नहीं किया है विरोध इसलिये किया है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण किसी सरकार के लिये, आने वाले वर्ष के लिये एक दिशा निर्देशन होता है । उसमें प्रदेश को एक आश्वासन होता है कि आने वाले दिनों में सरकार क्या करने जा रही है । मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को पूरी तौर पर पढ़ा मुझे इस अभिभाषण में जनहित की जगह राजनीतिक हित ज्यादा दिखायी पड़ता है । इसमें कहीं कोई आशा विश्वास की किरण नहीं है बल्कि यह अधंकार में डूबे हुये, अपराध में डूबे हुये प्रदेश को विनाश की ओर ढकेलने का कल्याण सिंह की सरकार ने प्रयास किया है ।

मान्यवर, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि यह महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है बल्कि मौजूदा सरकार का डाइंग डिक्लेरेशन है, जो मृत्यु पूर्व बयान दिया जाता है वैसे ही यह अभिभाषण न होकर मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ मृत्युपूर्व बयान है । मैं ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितनी जल्दी इस प्रदेश को कल्याण सिंह की सरकार से मुक्ति मिले उतना ही इस प्रदेश का भला होगा अन्यथा जितने दिन यह रहते हैं तबाही, बरबादी में यह प्रदेश डूबा रहेगा । मान्यवर, पहली बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही थी कि प्रदेश को भयमुक्त कर देंगे । यह प्रदेश भय मुक्त हुआ है या भययुक्त आपने किया है यह आपके कार्यकाल के आंकड़े बताते हैं । मैं अपराधों के कुछ आंकड़े जो मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में हुए हैं उनको थोड़ा सा बयान करना चाहता हूं । वर्ष 1997 में 634 डकैतियां हुई हैं इनके समय में 803 हुई हैं, इस प्रकार से 26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी इसमें हुई है । लूट जो पहले 3053 हुई थी वह 3988 हो गयी हैं इस प्रकार से इसमें 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है । हत्यायें पहले 6834 हुई थी जो बढ़कर 7394 हो गयी हैं । इसमें 8 प्रतिशत का इजाफा हुआ है । मान्यवर, बलवा, फिरौती और दहेज हत्याओं में क्रमशः 48, 34, और 24 प्रतिशत का इजाफा हुआ है । (मा० वक्ता को टोकने पर) मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आंकड़े रख रहा हूं, अगर व्यवधान पैदा होगा तो मैं कुछ ऐसे आंकड़े रखूंगा जो बुरे तो नहीं होंगे लेकिन कम से कम वह लोग न बोलें जिनको मेरे आंकड़े बुरे लगेंगे । प्रदेश में 10 घण्टे में 2 हत्याओं का औसत है । अपराध बढ़े हैं । जनता को आप छोड़ दीजिये एक ईमानदार पुलिस अधीक्षक जो अपराधियों पर शिकंजा कस रहा था इसी विधान सभा से सटे हुए राज भवन के सामने पुलिस जीप में पुलिस ड्राइवर के साथ था उसको मारा गया और आप भय मुक्त समाज की बात करते हैं । आप कहते हैं कि मैं आंकड़ों में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विश्वास नहीं करता हूं जब जनता सड़कों पर भयमुक्त होकर चलेगी, ऐसा भयमुक्त वातावरण सरकार बनायेगी । मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार अपने पुलिस अधीक्षक की सुरक्षा नहीं कर सकी वह जनता की क्या सुरक्षा करेगी ?

एक आवाज–

पुलिस अधीक्षक नहीं जेल अधीक्षक ।

श्री प्रमोद कुमार–

लखनऊ जेल का पुलिस अधीक्षक नहीं बल्कि जेल अधीक्षक । मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि जेल अधीक्षक स्वर्गीय तिवारी के संदर्भ में बात कर रहा था ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मैं अपनी बात वापस लेकर जेल अधीक्षक कह दे रहा हूं ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः टोका-टाकी करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया टोका-टाकी न करें । माननीय प्रमोद कुमार जी आप अपनी चर्चा जारी रखें ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, आप भी जरा ध्यान रखें ।

श्री अधिष्ठाता–

जो व्यवधान कर रहे हैं मैं उन्हें मना कर रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं सिर्फ वह कारण बता रहा था जिसकी वजह से इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं । पैमाना क्या होगा, अपराध का पैमाना आपने देख लिया ? किसी प्रदेश को तरक्की और विकास कैसे देंगे जब आप जो कारखाने चल रहे हैं उनके भी निजीकरण के पक्ष में हैं । जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी ट्यूबवेल हैं या सरकारी कारखानें हैं उनकी दशा बहुत खराब है । आप तो कह ही नहीं सकते आप में यह साहस नहीं है कि कल्याण सिंह के राज्य में यह-यह कारखाने खुले हैं और ये-ये कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आपके राज्य में यह-यह कारखानें बन्द हुये । आपके राज्य में किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र तो नहीं स्थापित किया गया लेकिन ऊंचाहार को आपने एन०टी०पी०सी० को सौंपकर चले गये । आप कहते हैं कि प्रदेश में पूंजी निवेश होगा । पूंजी निवेश होगा तो वह बाद में होगा जब जवाब दीजियेगा तो बता दीजियेगा । एक साल कुछ महीने हो गये कितना पूंजीनिवेश आपके प्रदेश में बाहर के लोगों ने किया है, पूंजी निवेश तब होगा जब प्रदेश की स्थिति ठीक होगी, आज अपराध की स्थिति क्या है ? व्यापारी या पूंजीपति आपके प्रदेश को किस काबिल समझता है और दुनिया की नजरों में आप कहां खड़े हैं ?

कोई भी पूंजीपति उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा है । 163 से ज्यादा यूनिटें दिल्ली में बन्द की गई लेकिन कोई नोयडा और गाजियाबाद नहीं आया वह राजस्थान और हरियाणा चले गये । कल्याण सिंह के राज्य में इसलिये नहीं आया कि बिजली का बिल दे देंगे, सेल्स टैक्स दे देंगे लेकिन गुण्डा टैक्स और आहरण टैक्स कहां से देंगे ? इसलिये पूंजीनिवेश नहीं हुआ अगर हुआ होगा तो मैं अपनी गल्ती सुधार

लूंगा बता दीजियेगा कि आपके यहां कितना पूंजीनिवेश हुआ और हरियाणा और राजस्थान में कितना हुआ एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा कि 1989 में जब माननीय हुकुम सिंह जी हमारे साथ हुआ करते थे तब ग्रोथ रेट 6 प्रतिशत थी आज आपके साथ मंत्री हैं तो आज प्रदेश की ग्रोथ रेट कितनी है ? 2.2 प्रतिशत पर आ गया है । 9 सालों में कांग्रेस नहीं रही । इस बीच दो बार आपने अपनी सरकार बनाई और दो सरकारों को आपने समर्थन दिया, इस प्रकार 4 सरकारें आपने बनायी । विकास दर को 6.4 प्रतिशत पर हमने छोड़ा था उसे आज आपने 2.2 प्रतिशत पर पहुंचा दिया है अगर कुछ ज्यादा हो तो बता दीजियेगा ? बिजली के बारे में आपने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगाया लेकिन आपने एक खुशखबरी जरूर सुनायी कि विद्युत बोर्ड को वाणिज्यिक आधार पर चलाया जायेगा । कामर्शिलाइज्ड करेंगे । इससे सब्सीडाईज्ड कौन होते थे ? गांव और किसान होता था । वाणिज्यिक आधार पर करने पर मध्य वर्ग, किसानों और गांवों को ही नुकसान होगा । आप बिजली का रेट बढ़ाने जा रहे हैं ।

मान्यवर, आप कहते हैं कि बड़ी मजबूत सरकार है । अगर मजबूत सरकार थी तो श्री रघुबर दयाल वर्मा जी ने आपको पिकनिक स्पाट पर पिकनिक मनाने नहीं बुलाया था वन नीति पर घोषणा करने के लिये बुलाया था लेकिन आप कहते हैं अगर हमें हटाया गया तो प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराये जायेंगे अर्थात अगर मैं नहीं तो प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं । यह आपका अन्दरूनी मामला है मैं चाहता हूं कि जितने दिन प्रदेश में भाजपा सरकार चले आप मुख्य मंत्री रहें । लेकिन अगर आपके नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव हुये तो हमें उधर आने में कोई नहीं रोक सकता है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या अधिकार था, क्या हक था कि विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर अपने राजनैतिक जीवन के साथ जोड़ दिया ? दूसरे दिन गृह मंत्री भारत सरकार का उत्तर आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने रहेंगे । प्रधान मंत्री दूसरे दिन आने वाले थे लेकिन उनके आगमन की प्रतीक्षा भी नहीं की गई । प्रधान मंत्री जी ने यहां पर आपको सर्टीफिकेट दे दिया कि कल्याण सिंह मुख्य मंत्री बने रहेंगे लेकिन सबको साथ लेकर चलना होगा । एक चर्चा है कि आपको जीवन दान मिला है कुछ शर्तों के साथ शर्तें क्या हैं कुछ समझौता है जो मुझे बताया गया है जो जानकारी हमें है । समझौता यह हुआ है कि तीन जगह के एस०पी० जिनसे मंत्रि मंडल के कुछ लोग परेशान थे बदल दिये जायेंगे ।

मेरी आशंका सही थी तीनों पुलिस अधीक्षक जिनको आपने काफी समय तक रोके रखा था लेकिन आपको बदलने पड़े । दूसरा कई विभागों की जांच हुई थी यह जांच आपने कराई थी उन जांचों की रिपोर्ट आ गई जांच बड़े ईमानदार अधिकारियों से कराई गई लेकिन बाद में कोई कार्यवाही नहीं होने दी गई । मुझे यह भी बताया गया है कि श्री प्रकाश शुक्ला जब मारा गया तो एस०डी०एम० की रिपोर्ट में कई नामी गिरामी लोगों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है । यह भी समझौता था कि जब तक यह लोग कोई गड़बड़ न करें तब तक कोई कार्यवाही न की जाये । जहां यह लोग गड़बड़ करें तब कार्यवाही की जाये । अभी आपने यही कहा कि हम किसी जाति के विरोधी नहीं हैं, धर्म के विरोधी नहीं हैं, ब्राह्मण के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं । मैं गुण्डा विरोधी हूं, मैं असमाजिक तथ्यों का विरोधी हूं । अगर मैं आरोप लगा दूं तो यह होगा कि विरोधी दल के नेता आरोप लगा रहे हैं लेकिन अगर सरकार का कोई आदमी आरोप लगाये और उसके बाद वह मंत्रि-परिषद् का सदस्य रहे तो क्या कहेंगे ? मैं पढ़ रहा हूं उसके बाद आपको भेज दूंगा । अगर गलत निकल जाये तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा । लेकिन अगर सही निकल जाय तो मुख्य मंत्री जी क्या करेंगे ? वह शायद इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उनके लिये कुर्सी महत्वपूर्ण है । मैं एक बात को संज्ञान में लाना चाहता हूं यह पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर की भाषा है । कुछ लोगों के नाम हैं भविष्य में यदि इन अपराधियों द्वारा आपके क्षेत्र में या अन्य थाना क्षेत्रों में जाकर इनके द्वारा अपराध किया जायेगा या इनके नाम प्रकाश में आयेंगे तो जिस थानाध्यक्ष के क्षेत्र का कोई निवासी होगा उस थाने के थाना प्रभारी या थानाध्यक्ष के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, यह मायावती और श्री मुलायम सिंह के शासन काल का नहीं है । 10 अक्टूबर, 1998 की रिपोर्ट है जिसे मैं आपके पास भेज रहा हूं । सूची लम्बी है, मुख्य मंत्री जी उसे पढ़ लेंगे । इस सूची मे उन्नीसवें नम्बर पर जो नाम है उसको आप देख लें, उसे मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं बल्कि आप के पास भेज रहा हूं । यह नाम एक कैबीनेट स्तर के मंत्री का है जिसे अपराधी के रूप में दर्ज किया गया है । मुख्य मंत्री जी उसे आप मंत्रि परिषद् में रखें तो एस०एस०पी० से कह दें कि सूची से उसका नाम हटा दें वरना श्री कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री यह कहना छोड़ दें कि हमारे मंत्रि-परिषद् में कोई अपराधी या माफिया नहीं हैं । मान्यवर, मंत्रि-मण्डल में अपराधी और माफिया के लोग रहेंगे और फिर मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि भय मुक्त समाज होगा और उत्तर प्रदेश में प्रजातंत्र रहेगा तो यह कैसे चलेगा ? इसलिये मुख्य मंत्री जी आप इतना मत बिक जायें कि अपराधियों और माफिया के लोगों को मंत्रिमण्डल में रखें । आप थोड़ी ईमानदारी और राजनीति में गरिमा रखें जैसे कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया था तो चार्जशीट होने पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसी प्रकार श्री मदन लाल खुराना जी अपने पद से हट गये । लेकिन आप सूची में दर्ज मंत्री को हटायेंगे, जिसके साथ तीन-चार विधायक हैं, तो आप कैसे रहेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

ठीक है, आपके निर्देशानुसार मैं समाप्त कर रहा हूं ।

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण का मैं विरोध करते हुये अपने विरोध पक्ष की ओर से अभिभाषण की निन्दा और विरोध करता हूं ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, हमारी सरकार ने इस प्रदेश के लिये, प्रदेश के विकास के लिये और प्रदेश की जनता के लिये जो कार्य किया है और जो किया जा रहा है संभवतः किसी भी पिछली सरकारों द्वारा उतने विकास के कार्य इस प्रदेश के लिये नहीं किये गये हैं । हमारी सरकार की 5 प्रतिबद्धतायें हैं । गांव, गरीब, किसान, झुग्गी-झोपड़ी के इंसान, नारी का सम्मान और बेरोजगार नौजवानों, दलितों शोषित, उपेक्षित लोगों के उत्थान के संबंध में कहना है :–

गांव गरीब किसान का उपकार हो रहा,
झुग्गी झोपड़ी इंसान का उद्धार हो रहा,
नारी के सम्मान और पहचान के लिये,
सरकार का प्रयास बार-बार हो रहा ।
रोजगार दिया जा रहा नौजवान के लिये,
सरकार है कटिबद्ध समाजोत्थान के लिये,
दलितों उपेक्षित शोषितों वंचितों और,
पिछड़ों का, कल्याण व्यस्त है सबके कल्याण के लिये ।

भयमुक्त हुआ प्रदेश है मेरी सरकार में,

अपराधी पस्त हैं सभी मेरी सरकार में,

कुछ भाग गये, कुछ भग रहे प्रदेश छोड़कर,

बाकी जो कुछ बच गये हैं वे कारागार में ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । उसका कारण यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण यहां पर दिया गया है, उसमें प्रदेश की बहुत सी ज्वलंत समस्याओं को अनदेखा किया गया है और उसके समाधान के लिये कोई ठोस कार्यक्रम का जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है । जब प्रदेश में यह सरकार सत्ता में आयी तो इसकी सबसे पहली वरीयता थी कि कानून-व्यवस्था को ठीक करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि भय मुक्त समाज होगा और भयग्रस्त अपराधी होंगे । आज आप किसी भी नागरिक से पूछ लें इस सरकार के आने के बाद भयग्रस्त समाज हो गया है और भयमुक्त अपराधी हो गया है । बिल्कुल उल्टा हो गया है । हमारे अभी एक मित्र ने इसके आंकड़े दिये, मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहता हूं । चाहे अपहरण हो, डकैती हो, लूट हो और बलात्कार हो–इन सारे मामलों में इस सरकार के कार्यकाल में वृद्धि हुई है । आज पूरे प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है । हत्यायें दिन दहाड़े हो रही है । हर दो घण्टे में एक हत्या हो रही है । अपहरणों का तो कहना क्या ?

खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं, अपहरणों की बाढ़ सी आ गई है । इसने वहां पर एक रोग का रूप धारण कर लिया है । जितने भी सम्पन्न व्यक्ति हैं, अपहरण की डर की वजह से उन्होंने बाहर निकलना बन्द कर दिया है और जो व्यक्ति अपहृत हो रहा है वह फिरौती देकर वापस हो रहा है । शर्मनाक बात तो यह है कि इस फिरौती को देने में पुलिस की भूमिका है । इस प्रकार के पचासों मामले हैं । मेरठ जिले के करनावल से बलबीर सिंह को अपहृत किया गया और उसे महीनों तक अपहृत रखा गया और फिर 19 लाख रूपये की फिरौती देकर वह वापस आ गया । इस प्रकार कैसे भय-मुक्त समाज होगा ? आज प्रदेश की जनता इन अपराधियों के रहमों-करम पर जिन्दा है और कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई है । किसी की जान-माल की सुरक्षा करने में यह सरकार बिल्कुल अक्षम सिद्ध हुई है ।

मान्यवर, प्रदेश के विकास की बात की जाती है । सत्ता रूढ़ दल विकास की बात करता है । प्रदेश का विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि गांवों में रहने वाले व्यक्ति का विकास नहीं होगा । परन्तु जब से यह सरकार आई है, इनके सारे क्रिया-कलाप किसान विरोधी रहे हैं । हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और 74 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है । यदि 74 प्रतिशत घाटे का धन्धा करेगा तो इस प्रदेश के विकास की कल्पना तो बिल्कुल ही नहीं की जा सकती है । आज किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में यह सरकार पूरी तरह से असफल रही है । आलू 20 रुपये किलो तक बिका । लेकिन जिसने आलू पैदा किया और जिसने उसे पैदा करने में अपना खून-पसीना बहाया उसे 2 रुपये किलो से ज्यादा नहीं मिला । यह बात चाहे इधर बैठे हुए लोग हों या उधर बैठे हुए लोग हों जानते हैं कि इस मंहगाई में उसे क्या मिला ? उसे दो रुपये किलो के दाम मिले हैं उसको बेचने वाले ने 20 रुपये किलो में बेचा है । फायदा व्यापारियों को हो रहा है क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों और व्यापारियों की सरकार है और उनको सरकार का संरक्षण प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर प्राप्त

है । आप सब जानते हैं कि देश के अन्दर मंहगाई बेतहाशा बढ़ी है पिछले साल चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद हो, रसायनिक खाद हो, यूरिया हो, डी०ए०पी० हो सबके दाम बढ़े हैं, कापी किताबों के दाम बढ़े हैं और इस सदन के अन्दर चर्चा हुई है बच्चों की फीस कई-कई गुना बढ़ गयी । बस का किराया 35–40 प्रतिशत बढ़ गया लेकिन किसान की फसल के दाम में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । गन्ने का दाम बढ़ा लेकिन कितना ? 4 रुपये प्रति क्विंटल । 80 रुपये से 85 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जबकि बस के किराये में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

किसान के इस्तेमाल की चीजों में 50-100 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो उसकी उपज है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है । किसान की कमर तोड़ने का काम यह सरकार कर रही है । डी०ए०पी० और यूरिया के दामों के बारे में यहां पर चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं उस विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा । किसान की जमीन की सिंचाई न हो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर दी कि जो नलकूप राजकीय हैं उन्हें भी ग्राम प्रधानों को दे दिये जाने की व्यवस्था कर दी । यह 29 हजार नलकूप जो कि 3600 करोड़ की सम्पत्ति है 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित नहीं कर पायेंगे और यह भी बेकार हो जायेगा । लघु और सीमान्त कृषक भूखा मरेगा । प्रदेश के अन्दर खाद्यान्न की कमी होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह–

औद्योगीकरण के ऊपर कहना चाहता हूं । आज आर्थिक उदारीकरण का पूरे देश के अन्दर फायदा उठाया जा रहा है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब वे उत्तर दें तो इस बात को बता दें कितना पूंजीनिवेश आज प्रदेश के अन्दर हुआ है ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात सब जगह पूंजीनिवेश हो रहा है । केन्द्र में आपकी सरकार होने के बावजूद आज प्रदेश में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है । दिल्ली से कुछ उद्योगों को हटाया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत । हमने आपसे निवेदन किया था कि इन उद्योगों को बागपत में लोनी क्षेत्र जो दिल्ली से लगा हुआ है वहां पर हजारों एकड़ भूमि बेकार है वहां पर उन उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए । आपने उत्तर दिया था कि आप प्रयास कर रहे हैं । आपने सदन के अन्दर यह विश्वास दिलाया था कि इस बारे में कार्यवाही चल रही है हम उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी उद्योग आप नहीं लगवा सके । सारे के सारे उद्योग पंजाब और हरियाणा में चले गये । बेरोजगारी समाप्त करने के लिए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं हुई न कोई जिक्र ही किया गया । शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है । यह चिन्ता का विषय है कि इन शिक्षित बेरोजगारों को अपना खर्च निकालने के लिए असामाजिक तत्वों के हाथ में पड़कर गलत काम करना पड़ रहा है और यह असामाजिक तत्व इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं । यह सरकार रोजगार देने में सफल नहीं हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं । मेरे दल के दूसरे सदस्य नहीं बोलेंगे । उनका समय भी मुझे दे दें । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में पिछले सत्र के दौरान यहां पर चिन्ता व्यक्त की गयी थी । सभी सदस्य चिन्तित थे । इसको हाउस के अन्दर उठाया था और मान्यवर, आपने इस बात को स्वीकार किया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के अन्दर कहा था कि 5 अक्टूबर को विधायकों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए बैठक करेंगे और बजट को देखते हुए जो भी सम्भव हो

सकेगा करेंगे । मान्यवर, 5 अक्टूबर को बैठक हुई । सभी लोग थे उसमें मंत्रीगण भी थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे विधायक थे बड़े विस्तार से बात रखी गयी थी । मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि कुछ बिन्दु थे जिस पर सारे विधायक एकमत थे । सभी चाहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाय, रेवेन्यू बोर्ड की बेंच की स्थापना की जाय । उत्तराखण्ड और पश्चिमी उ० प्र० में परीक्षार्थियों की परेशानी को देखते हुए आई०ए०एस० और पी०सी०एस० परीक्षा केन्द्र की स्थापना हो । कृषि विश्वविद्यालय और गन्ना अनुसन्धान केन्द्र खोला जाय । कहां खोला जाय ? इस पर मतभेद नहीं था बस सुविधायें होनी चाहिए क्योंकि यह भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है । सभी ने मांग की थी कि इधर बैठे हुए लोग हों या उधर के लोग हों जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित हैं सबने मांग की थी कि पूर्वांचल विकास निधि, उत्तरांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि की तरह पश्चिमांचल विकास निधि के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था ।

(समय 4 बजकर 45 मिनट)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारी मांगों के बारे में कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर रहे हैं वह विचार करेगी और सुझाव देगी उसके बाद मंत्रि-मण्डल फैसला देगी वहीं मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 30 नवम्बर तक समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

30 नवम्बर तक रिपोर्ट देंगे मान्यवर, खेद के साथ सदन के अन्दर कहना पड़ रहा है कि इस समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आयी अब दुबारा सदन बैठ रहा है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की कृपा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को धन आवंटित नहीं हुआ । मान्यवर, हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बिजली की समस्या है । बिजली की समस्या का समाधान विद्युत उत्पादन बढ़ाने से होगा, लेकिन उत्पादन विद्युत का बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया । महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया । समय कम है मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कुछ बातें संक्षेप में कहना चाहता हूं यह सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है । इस सरकार की नीतियां कल्याणकारी नहीं हैं यह तुगलकी निर्णय लेती है यह सरकार राजकीय ट्यूबवेल समाप्त करने का निर्णय ले रही है । पी०डब्लू०डी० के वास्तुविद संवर्ग को समाप्त कर रही है ताकि लोक निर्माण विभाग बिल्डिंग डिजाइन न कर सके । कोई आर्किटेक्ट न बचे.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

[x x x]

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

जो समर पाल जी कह रहे हैं वह अंकित नहीं किया जाएगा ।

श्री सपर पाल सिंह–

[x x x]

* श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं मान्यवर, अभिभाषण में प्रदेश सरकार की नीतियों की तरफ एक रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है मैं औद्योगिक विकास के बारे में कहना चाहूंगा कि माननीय प्रमोद कुमार जी ने कुछ समय पहले चेतावनी दी थी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने की वजह से निवेश नहीं हो रहे हैं मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए "उत्तर प्रदेश राज्य निवेश केन्द्र" स्थापित किया गया है । इसमें एक एन०आर०आई० कमिश्नर को नामित किया गया है जिनके प्रयास से प्रदेश सरकार के प्रयास से 21 प्रस्ताव, निवेश के प्रस्ताव एन०आर०आई० को प्राप्त हुए हैं जिनमें 77.33 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं सीधे विदेशी निवेश हेतु 275 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

यह 30 नवम्बर, 1998 के अन्दर प्राप्त हुए हैं । जिसमें 27 हजार दो सौ बानवे करोड़ रुपये विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावित है जो अपने आप में ऐतिहासिक निवेश होने के प्रस्ताव हैं । इसके आने के बाद उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे नम्बर पर होगा । महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान होगा । पिछले वर्ष तक उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान था । मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति से आश्वस्त होकर ही निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आये हैं और भारी संख्या में उद्यमी और उद्योगपति बहुत तेजी से अपने प्रस्ताव कर रहे हैं । मैं अपने माननीय नेताश्री कल्याण सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो दूसरा सबसे जरूरी मामला है औद्योगीकरण के लिए कानून व्यवस्था के बाद बिजली का उसमें भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड जो एक सफेद हाथी का समूह बनकर उत्तर प्रदेश को खोखला कर रहा था उसको विघटित करने का निर्णय लिया है । यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसके प्रथम चरण को उन्होंने सफलतापूर्वक पार किया है । उन्होंने जो हड़ताल को बिना शर्त वापस लेने के लिए बाध्य किया है उससे सीधा रास्ता निजीकरण का साफ हो गया है और मुझे उम्मीद है कि जैसी कि उन्होंने घोषणा की है कि 24 घण्टे बिजली रहेगी तो उससे बहुत बड़ी क्रान्ति औद्योगिक जगत में आयेगी । मैं इसके लिए उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, नहरों की सफाई के बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले पन्द्रह बीस सालों में ऐसी नहरों की सफाई सिंचाई विभाग द्वारा नहीं हुई है । पूरे का पूरा पैसा जो नहरों की सफाई के लिए सिंचाई विभाग को मिलता था वह ले लेते थे और नहरों की सफाई नहीं होती थी । लेकिन पहली बार वह पैसा उस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्षेत्र में लगा है और नहरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है ऐसा किसान महसूस कर रहे हैं । 660 करोड़ रुपये की चार सिंचाई परियोजनाएं लागू की गयी हैं और इससे चार लाख सतहत्तर हजार अतिरिक्त सिंचन क्षमता बढ़ गयी है । मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा । गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 75 से 85 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है यह एक बहुत ऐतिहासिक कदम है । मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, प्रस्तुत अपने संशोधन पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से विनती के साथ कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण एक तरह से प्रदेश सरकार की नीति वक्तव्य होता है उसकी नीतियों का दस्तावेज होता है । श्रीमन्, अभिभाषण की पुस्तिका को मैंने अद्योपान्त पढ़ा और यह पाया कि आज उत्तर प्रदेश की जो ज्वलन्त समस्यायें हैं जो आम आदमी के जीवन के साथ जुड़े हुए सवाल हैं उनके समाधान की दिशा में कोई सार्थक कदम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है । श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश में व्याप्त क्षेत्रीय असन्तुलन की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । न केवल इस देश में, बल्कि दुनिया में जो राजनैतिक सद्बुद्धि लोग हैं, उन्हें इस बात का इलहाम नहीं था कि इस्पात जैसे मजबूत चहारदीवारी में घिरा हुआ सोवियत गणराज्य क्षेत्रीय असन्तुलन के चलते रातोंरात बगैर एक कतरा खून बहाये विघटित हो गया । उ० प्र में जब से भा०ज०पा० के लोग हुकूमत में आये हैं, उनके द्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने की दिशा में जो घोषणायें की गयी हैं उनको अमलीजामा देने का संकल्प अभिभाषण में नहीं है ।

मान्यवर, 1997-98 और 1998-99 के जो आंकड़े हैं उनको बताना चाहूंगा । पूर्वांचल में 7 करोड़ आबादी प्रदेश की रहती है 29 जनपदों का यह पूर्वी उत्तर प्रदेश है । नियोजन की दृष्टि से सूबे को पांच हिस्से में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी, मध्य, पर्वतीय और बुन्देलखण्ड । सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि इन पांच क्षेत्रों में उनके कार्यक्रम और नीतियों से क्षेत्रीय असन्तुलन को बढ़ावा न मिले । 1997-98 में पूर्वांचल विकास निधि में मात्र 92 करोड़ रु० का वित्तीय प्राविधान पूर्वी उ० प्र० के विकास के लिए किया गया, 1998-99 में अनुकम्पा करके इसे 120 करोड़ कर दिया गया है । वहीं केवल 8–10 जनपदों वाले उत्तरांचल में जहां 59 लाख की आबादी है, 97-98 में वित्तीय प्राविधान 677 करोड़ रु० किया गया और चालू वित्तीय वर्ष में उसे बढ़ाकर 860 करोड़ कर दिया गया । आज प्रदेश की 16 करोड़ की आबादी में 45 फीसदी की भागीदारी पूर्वी उ० प्र० की है । यदि प्रदेश सरकार क्षेत्रीय विषमता दूर करना चाहती है तो उसे प्रदेश के योजना परिव्यय का, आबादी की दृष्टि से 43 प्रतिशत धन पूर्वांचल के विकास पर खर्च करना चाहिए लेकिन सरकार की ऐसी प्रतिबद्धता अभिभाषण में नहीं है ।

मान्यवर, 1962 में जब स्व० जवाहर लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने पूर्वी उ० प्र० के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पटेल आयोग का गठन किया । जिसने अपना प्रतिवेदन योजना आयोग को प्रस्तुत किया । आयोग का प्रतिवेदन योजना आयोग की अल्मारियों की शोभा बढ़ा रहे हैं । उ० प्र० की सरकार का पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, अभिभाषण में कोई संकल्प नहीं है । मान्यवर, इस सरकार की जो नीतियां हैं वह क्षेत्रीय असन्तुलन को बढ़ावा देने वाली हैं ।

मान्यवर, सन् 1980 में जब देश के प्रधानमंत्री स्व० चौधरी चरण सिंह जी थे, उस समय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने स्वीकार किया था कि देश के भीतर विभिन्न हिस्सों में जो क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ रहा है उससे उग्रवाद और पृथकतावाद पनप रहा है । उसने बैंकों की भूमिका को पुनः निर्धारित किया ।

एक नार्म कामर्शियल बैंकों के लिए उसने निर्धारित किया । उसमें यह निश्चित किया गया कि बैंकों में जमा धन का 60 फीसदी धन स्थानीय क्षेत्र में ही ऋण के रूप में देना है । आज हम 1998 के वित्तीय वर्ष के समापन में हैं, आज दुःखद स्थिति यह है कि प्रदेश सरकार की अनेक घोषणाओं के बावजूद भी 31-32 फीसदी से ज्यादा साख जमा अनुपात बैंकों का इस प्रदेश में नहीं बढ़ पा रहा है । मान्यवर, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण यह है कि इस प्रदेश का किसान, मजदूर मेहनतकश आदमी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जो व्यवसायिक बैंकों में जमा करता है वह पैसा यहां से बाहर जाकर देश के महानगरों में खर्च हो रहा है । वर्ष 1993 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कार्यकारी निदेशक, श्री ए०डी० बाज के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई थी जिसने एक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार को दिया था तथा चिन्ता व्यक्त की थी कि ऋण जमा अनुपात सी० डी० रेशियों इम्प्रूव नहीं कर रहा है इसलिये उसने सन् 2000 तक 55 प्रतिशत ऋण जमा अनुपात का लक्ष्य निर्धारित किया था विगत वर्ष उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन में अपना बजट प्रस्तुत करते हुए यह घोषणा की थी कि यदि प्रदेश के व्यवसायिक बैंक ऋण जमा अनुपात में बढ़ोत्तरी नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार खुद अपना बैंक स्थापित करेगी लेकिन मान्यवर, इस सम्मानित सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिया गया वचन भी अब तक क्रियान्वित नहीं हो सका । मैं दुःख का इजहार इस बात के लिए करना चाहता हूं कि मैं देवरिया जनपद से चुनकर आता हूं । चालू वित्तीय वर्ष में वहां के व्यवसायिक बैंक में 616 करोड़ रुपये जमा हुए, 1998 में और वहां के बैंकों ने ऋण दिया मात्र 94 करोड़ रुपया, केवल 15 फीसदी और शेष जमा धन इन बैंकों ने अपने मुख्यालय बम्बई भेज दिया इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीब जिले का पैसा बम्बई जैसे महानगर के विकास पर खर्च हो रहा है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो संकल्प व्यक्त किया था उसको पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और अपनी घोषणा के अनुरूप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस घोषणा को अमलीजामा देने के लिए कहीं कोई संकल्प व्यक्त नहीं किया है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ जहां वार्षिक त्रासदी बन गयी है, सालाना त्रासदी हो गयी है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के अनेक स्थानों पर जाकर यह कहा कि इस वर्ष की बाढ़, इस सदी की सबसे बड़ी बाढ़ है । उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले माह जुलाई, 1998 में उत्तर प्रदेश में आयी बाढ़ को विकराल बनाने के लिए जिम्मेदार है और इस सदी की सबसे बड़ी बाढ़ बनाने में उत्तर प्रदेश की सरकार का सबसे बड़ा योगदान है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन में विगत दिनों मेरे द्वारा संकल्प प्रस्तुत बाढ़ सम्बन्धी चर्चा के दौरान अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ के स्थाई हल की दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार कारगर कदम उठायेगी सन् 1954 में जब इस देश के प्रधान मंत्री स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे तो राष्ट्रीय बाढ़ नीति की घोषणा हुई थी और गंगा आयोग का गठन हुआ था । 1956 में गंगा आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के बाढ़ के सिलसिले में दी थी । गंगा आयोग ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितनी बाढ़ आती है उसकी तीन चौथाई बाढ़ का प्रकोप अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश झेलता है । गंगा आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों के उद्गम स्थल तक जाकर अध्ययन किया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

गंगा आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की बड़ी गण्डक, छोटी गण्डक, घाघरा और राप्ती को गंगा की ट्रिब्यूटरीज बताया और कहा कि इनका उद्गम नेपाल से है, इसलिए नेपाल सीमा के भीतर भालू एक

जगह है, वहां बंधा बनाया जाय, करनाली में बंधा बनाया जाय, पंचेश्वर में बंधा बनाया जाय और जलकुण्डी में एक जलाशय तथा जल-विद्युत परियोजना स्थापित किया जाय । यह सुझाव गंगा आयोग ने दिया । आयोग ने यह भी कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियों में जमा हो रहे सिल्ट को रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो ये नदियां आने वाले 300 वर्षों में सूख जायेंगी । क्योंकि जब तेज प्रवाह से वह पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट लेकर नीचे उतरती है जिसके कारण मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों का पेट छिछला हो गया है और उनकी जल ग्रहण करने की क्षमता कम हो गयी है, इसी कारण वर्षा के समय नदियों में बाढ़ का पानी उफनकर फैल जाता है, इसलिए गंगा आयोग ने कहा कि पंचकेश्वर, भालू और करनाली में बांध बनाया जाय तथा जलकुण्डी में जलाशय स्थापित करके जल विद्युत परियोजना लगायी जाय । उस समय इस परियोजना पर 33 करोड़ रुपये का खर्च आना था लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने 33 करोड़ रुपये न देकर पूर्वी उत्तर प्रदेश को बराबर बाढ़ के हवाले कर दिया ।

आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने इस वर्ष की बाढ़ को इस सदी की सबसे भीषण बाढ़ बनाने का काम किया क्योंकि जिस समय पहाड़ पर अधिक बारिश हो रही थी उसी समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आने की सम्भावना प्रबल हो गयी थी, इस आशंका से सिंचाई विभाग ने प्रदेश सरकार को अवगत कराते हुए यह कहा था कि सारे बांध जर्जर हो चुके हैं, यह भी सूचना दी जा चुकी थी और यह प्रदेश में निर्मित पूर्वांचल के जनपदों में बाढ़ के रोकथाम हेतु बाढ़ आने के पूर्व उनके मरम्मत कार्य आवश्यक है, 100 करोड़ का वित्तीय प्राविधान किया जाय, यदि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय सिंचाई मंत्री इस बाढ़ के प्रति गम्भीर होते तो 100 करोड़ की जगह पूरे प्रदेश में बाढ़ के रोकथाम हेतु मात्र 15 करोड़ रु० का प्राविधान न करते । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार बाढ़ की विभीषिका की सम्भावना से सचेष्ट रही होती तो यह बाढ़ इस सदी की सबसे बड़ी बाढ़ न बनने पाती । इसमें करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ, हजारों लोगों की जानें गयीं । मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पूर्व में घोषणा की थी, उसे क्रियान्वित करने का कोई संकल्प इस अभिभाषण में नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया श्रीवास्तव जी, अब समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं बेरोजगारी का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा । माननीय मुख्य मंत्री जी पूरे प्रदेश में घूम-घूमकर मुनादी कर रहे हैं कि 10 लाख लोग प्रतिवर्ष रोजगार छतरी योजना से लाभान्वित होंगे । इस समय प्रदेश की आबादी 16 करोड़ है और यदि 5 आदमी का एक परिवार मान लिया जाय तो 3 करोड़ 20 लाख परिवार हुए और यदि 3 करोड़ 20 लाख परिवार रोजगार छतरी योजना से लाभान्वित होने की आशा में बैठे रहें, तो वर्तमान विभिन्न दलों से दल बदलकर आये हुए मंत्रीगणों की सरकार, यदि प्रदेश में अनवरत आगामी 32 वर्षों तक निर्विघ्न रूप से चलती रहे तो रोजगार छतरी योजना में इतने परिवार लाभान्वित हो पायेंगे । शर्त मत है वर्तमान आबादी इतने पर तो रुकी रहे इसके लिए मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आज कोई दुल्हा-दुल्हन शादी करें तो माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी आदेश कर दें कि दोनों की वहीं मंडप में ही नसबन्दी कर दी जाय ताकि जनसंख्या में वृद्धि न हो सके तथा वर्तमान आबादी 16 करोड़ पर ठहर जाये । मान्यवर, रोजगार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । रोजगार छतरी योजना की बात कही गयी है, मै जानना चाहता हूं कि इसके द्वारा आप कितने समय में लोगों को रोजगार दे पायेंगे, कितने परिवारों को लाभ पहुंचा पायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि जितने कारगर कदम इस सरकार को उठाने चाहिए वह नहीं उठाये गये हैं ।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने मितव्ययिता की बात कही है । माननीय मुख्य मंत्री जी का विशाल और जम्बू जेट वाला मंत्रि-मण्डल है, इस पर कितना खर्च हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि विगत वर्ष केवल 4 महीनों में 17 करोड़ रुपया इस मंत्रि-मण्डल का खर्च आया है, यही उत्तर प्रदेश सरकार की मितव्ययिता है । विगत दिनों मा० मुख्य मंत्री जी ने आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों का स्थानान्तरण किया, उनका स्थानान्तरण राजनीतिक कारणों से किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के राजकीय कोष पर 5 करोड़ रुपये का भार पड़ा, यह सरकार की मितव्ययिता है । यह सरकार अपने को कल्याणकारी सरकार कहती है और बेपनाह फिजूलखर्ची कर रही है ।

मान्यवर, नहरों की बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । मान्यवर.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[x x x]

श्री जगदीश नारायन राय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, इस सरकार की नीति और नीयति में अन्तर है और महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह स्पष्ट रूप से विभ्रम का दस्तावेज है । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि बजट का 70 प्रतिशत अंश गांवों पर खर्च किया जायेगा, किसान भाइयों और गरीबों के हितार्थ लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि किसानों की 75 प्रतिशत आबादी होने के बावजूद इस प्रदेश के किसान को सरकार द्वारा लालीपाप दिया जाता है, अभिभाषण में 2 शब्द कह दिये जाते हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है । इस सरकार ने पर्यटन नीति और वन नीति बनायी लेकिन सरकार ने आज तक किसान नीति बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की । कृषि नीति बनाने से कृषि में विकास की सम्भावनायें उत्पन्न होंगी । अगर सरकार की कृषि नीति नहीं है तो प्रदेश का विकास कैसे होगा यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं ? अभी हाल ही में नार्वे में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें पूरे विश्व के लोगों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें यह कहा गया है कि भारत में जातिवाद, अन्तर्कलह होने के बावजूद एकता और अखण्डता क्यों बनी हुई है ?

लोगों का कहना है कि चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अधिकांश जनता का समय कृषि में कटता है इसलिए जातीय तनाव और अन्य बातें नहीं होती हैं । दुनिया के लोग हमारे बारे में यह सोचते हैं लेकिन यह सरकार किसानों के हित में कुछ नहीं सोच रही है । इस अभिभाषण में किसानों की तरक्की के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । इस प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां पर नई

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अनुसन्धान की सम्भावनायें उत्पन्न की जा सकती हैं और प्रदेश का विकास किया जा सकता है लेकिन विश्वविद्यालयों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। विश्वविद्यालयों के रख-रखाव और उनकी तरक्की के बारे में इसमें एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार किसी के प्रति जागरूक नहीं है। मान्यवर, इस प्रदेश में जो धन जमा किया जाता है उसके अनुपात में जो ऋण दिये जाते हैं उसका दिन प्रतिदिन अनुपात गिरता जा रहा है। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि प्रदेश का विकास होगा ? धन बैंकों में जमा हो रहा है लेकिन जा कहां रहा है इसको सरकार स्पष्ट करे ? यह धन किस देश और प्रदेश में जा रहा है इसको भी इस अभिभाषण में स्पष्ट नहीं किया गया है ?

मान्यवर, कहा गया है कि पारदर्शी प्रशासन होगा। एक तरफ यह कहा गया है लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में पंचायत व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अर्थात् जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम सभा यह जो 3 इकाइयां हैं उसकी तरफ इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इन संस्थाओं के उत्थान के लिए, इनको अधिकार देने के बारे में इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है इसलिए यह कहना कि यह सरकार पारदर्शी सरकार है, गलत है। यह सरकार दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। यह सरकार सिर्फ बिचौलियों को जो बीच में, किसान और सरकार के बीच में जो दलाली करते हैं उनको मजबूत करने के लिए समय-समय पर राजाज्ञायें जारी करती है और किसान का शोषण हो रहा है। कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का यह दस्तावेज जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को ग्रामीण उन्मुखी और रोजगार उन्मुखी और तमाम क्षेत्रों में उन्मुखी होने के बारे में बताया गया है। लेकिन जहां तक किसी सरकार की सफलता खासतौर पर आम-आदमी के मान-सम्मान और उसकी सुरक्षा पर जुड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह 1991 में भी मुख्य मंत्री थे और एक बात मुझे याद है जो कई मौकों पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही है कि सरकार इकबाल से चलती है। मान्यवर, आपका इकबाल कहां चला गया ? आज प्रदेश में सबसे बड़ी दुगर्ति कानून-व्यवस्था की है। खासतौर से मैं झांसी मण्डल और चित्रकूट मडल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही जंगल राज, माफिया राज तथा अपहरण का एक सिलसिला था, कानून-व्यवस्था ध्वस्त थी लेकिन अब बुन्देलखण्ड के जिलों में भी बड़ी तेजी से अपराधीकरण बढ़ा है। आज नियम 51 पर सरकार की ओर से वक्तव्य भी लगा हुआ है जनपद जालौन के थाना रामपुरा में इसी महीने 10 व्यक्तियों का एक साथ अपहरण हुआ, वह सब माइनर से पानी लगा रहे थे। आज किसान सुरक्षित नहीं है, वह माइनरों से पानी नहीं लगा सकता।

प्रदेश की अधिकांश जनता खेती पर निर्भर है। किसान 4 बजे तक अपने खेतों में पानी लगाते हैं उसके बाद वह घर चले जाते हैं रात भर पानी फालतू बहता रहता है। ऐसा असुरक्षा के कारण है। बहुत सी जमीन कलेवा न हो पाने के कारण सूखी पड़ी रह गयी। किसानों में भय व्याप्त है। जालौन में एक नहीं कई अपहरण हुए।

(5 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सौरभ अपहरण काण्ड, ग्राम जुगरात थाना कुठौंत में दो अपहरण, के लिया थाने में दो अपहरण काण्ड हुए । आपने 12 इन्सपेक्टर, 5 सी०ओ० और 3 अपर पुलिस अधीक्षक हटा दिये । मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जनपद जालौन के एस०पी० को डी०आई०जी० बना दें ताकि वह किसी दूसरे जिले में पहुंच जाये, उनको अच्छी जगह भेज दें ताकि अपहरण की बात दूर हो जाये और जनजीवन राहत महसूस करें । झांसी और चित्रकूट मण्डल में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि लोग शाम के बाद खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, आम आदमी का धन-जीवन सुरक्षित नहीं है । ऐसी स्थिति में विकास की बात करना कोरे वादे हैं । विकास केवल दस्तावेजों में लिखा हुआ है आम-आदमी न उपयोग कर सकता है और न आपकी तरफ से कोई धनराशि की व्यवस्था की गयी है । आपने बुन्देलखण्ड के विकास के लिए पैकेज देने की बात कही थी । यह वित्तीय वर्ष पूरा निकल गया है मार्च में खत्म हो जायेगा लेकिन आपने विकास के लिए कोई पैकेज नहीं दिया है । इस तरह की जो सरकार की ओर से उसकी नीति और नीयत का जो दस्तावेज है वह मात्र झूठ का पुलिन्दा है । इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित शोषित, मजलूम लोगों के सुरक्षा की गारन्टी नहीं है । इसलिए मैं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

* श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । हमारी सरकार गांव गरीब किसान की सरकार है । हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग जो गांव में रहते हैं उनके उत्थान के लिए बजट का 70 प्रतिशत खर्च किया है । किसान सेवा केन्द्र पर खाद की गुणवत्ता के लिए केन्द्र स्थापित किए हैं । किसान मित्र का इस सरकार द्वारा चयन किया गया है ताकि किसान मित्र अपने गांव में रहने वाले किसानों की सहायता कर सके । गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक आश्रय योजना बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत पांच दस रुपये प्रतिदिन वाले व्यक्ति को आश्रय मिल जाता है तथा भाऊ राव देवरस योजना के अन्तर्गत आश्रय उपलब्ध कराया जा रहा है । नारी समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है नारी समाज के उत्थान के लिए प्रत्येक असेवित विकास खण्डों में एक कन्या हाई स्कूल की स्थापना की जाएगी । नारी शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है ।

अभिभावक के रूप में पिता के साथ माता का नाम भी दर्ज हो इसकी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है । कृषि डिप्लोमा धारक जितने बेरोजगार थे उनमें 2,995 कृषि डिप्लोमा धारकों को रोजगार देने का काम किया है । पुलिस बल में लगभग 9,000 सिपाहियों की पारदर्शी नियुक्ति की गयी है और यह दिखा दिया है कि कल्याण सिंह सरकार पारदर्शिता के आधार पर नियुक्ति कर सकती है । जितने भी बी०टी०सी० ट्रेण्ड थे उन सबको नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है । इसके अलावा बी०एड० ट्रेनिंग प्राप्त युवकों को भी प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार देने पर सरकार विचार कर रही है । जनता की सरकार जनता के द्वार आजादी के बाद किसी भी सरकार ने यह काम नहीं किया । श्री कल्याण सिंह जी ने यही किया है कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी जनता के द्वार पर पहुंच कर उनकी समस्याओं का निराकरण करे । प्रत्येक मंगलवार को, माह के पहले मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जा रहा है जिसमें जिले के समस्त विभागों के अधिकारी तहसील पर उपलब्ध होकर सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे तथा दूसरे और तीसरे मंगलवार को थाना दिवस आयोजित किया जा रहा है जहां थानों से सम्बन्धित जितनी समस्यायें हैं उनका निराकरण किया जा रहा है इसी प्रकार पहले और तीसरे मंगलवार को किसान सेवा केन्द्र लगाकर प्रत्येक किसान की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है । यह सरकार गरीब और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मजदूर किसानों की सरकार है। इसका उद्देश्य है कि गरीबों का [illegible] हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है उतना [illegible] तक किसी भी सरकार के समय में भ्रष्टाचार नहीं दिखायी पड़ा फिर चाहे वह डकैती के रूप में हो, चाहे वह बलात्कार के रूप में हो।

मान्यवर, हमारी तहसील में तमाम बलात्कार की घटनायें हुई हैं जिसके साक्ष्य और सबूत हमारे पास हैं तथा रिपोर्ट दर्ज की गयी है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गयी है। मान्यवर, तहसील दिवस के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी कि सभी तहसीलों पर जिलाधिकारी या अन्य अधिकारी वहां गरीब जनता, दलित मजदूरों की समस्यायें सुनेंगे लेकिन जनता के साथ इसमें खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी कोई समस्यायें नहीं सुनी जाती हैं और विकास के कोई कार्य नहीं किये जा रहे हैं। तहसील दिवस पर जनता अपनी समस्यायें लेकर जाती है तो उस पर इस सरकार द्वारा लाठियां चलायी जाती हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि बिजली के सम्बन्ध में भी इस सरकार द्वारा जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है और पूरे प्रदेश में कटिया हटाओ, कनेक्शन पाओ योजना के अन्तर्गत गरीबों, दलित मजदूरों से 600-700 रुपये वसूले गये लेकिन उनको विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। इसी तरह से महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह दर्शाया गया है कि चकरोडों से अतिक्रमण को हटाया गया है परन्तु मान्यवर, यह कोरा साबित हुआ है। आज भी चकरोड खाली नहीं कराये गये हैं दबंग और अपराधी किस्म के लोगों ने उन चकरोडों पर अपने मकान बनवाकर कब्जा किया है। इस तरह से यह अभिभाषण कोरा कागज साबित हो रहा है। मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री छोटे लाल–

मान्यवर, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारी सरकार ने दलितों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के छात्रों के वजीफे को ठीक दुगुना कर दिया है। यह पहली सरकार है, जिसका ध्यान इन वर्गों के लोगों की तरफ गया है। यही नहीं, अभी तक जो सरकारें होती थीं, छात्र जुलाई में एडमीशन लेते थे और उन्हें अप्रैल तथा मई में छात्रवृत्ति दी जाती थी। हमारी सरकार ने यह कर दिया है कि छात्र चाहे वह कक्षा-एक का हो या कक्षा-आठ का हो, जब जुलाई में एडमीशन लेगा तो उसे सितम्बर में छात्रवृत्ति दे दी जायेगी। यह पहली सरकार है जिसे दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए यह कदम उठाया है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने कन्याओं के लिए हर असेवित विकास खण्ड में दो इण्टर कालेज देने का वायदा किया है और एक कालेज को निजी प्रबन्धतन्त्र में 20 लाख रुपये देने का प्राविधान किया है। कक्षा–1 से लेकर कक्षा–5 तक मुफ्त शिक्षा देने का प्राविधान हमारी सरकार ने किया है।

मान्यवर, अभी जहां-जहां पर बाढ़ आयी, उन-उन क्षेत्रों में मुफ्त बीज का वितरण किया गया, लाखों टन बीज का वितरण किया गया। आज किसान खुशहाल है। हमारे विपक्ष के कुछ भाइयों ने कहा कि जब से हमारी सरकार आयी है तब से दैवी आपदायें बढ़ी हैं और कुछ पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी दैवी आपदा के बाद भी, आप देख लें, आलू की बम्पर पैदावार हो रही है, सरसों की बम्पर पैदावार हो रही है, गेहूं की हो रही है, प्याज की हो रही है। यह सब हमारी सरकार की

नेकनामी के कारण हो रहा है । शादी में अभी तक गरीबों को 5 हजार रुपये दिये जाते थे परन्तु हमारी सरकार ने 10 हजार रुपये कर दिया है । आज जितनी भी सड़कें बन रही हैं, वे सभी मानकों के अनुसार बन रही हैं । अभी तक सड़कों और नहरों की खुदाई में कमीशन खाया जाता था परन्तु आज सड़कें मानकों के अनुसार बन रही हैं । चाहे वह लम्बी सड़कें हों या राष्ट्रीय सड़कें हों, वे सब गड्ढा मुक्त हो गयी हैं । गन्ना के मूल्य बढ़ाये गये हैं । पेमेन्ट भी सहज तरीके से बैंकों के माध्यम से कराया जा रहा है । यह हमारी सरकार की विशेषता है । धन्यवाद ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं । इस अवसर पर हम लोग कुछ सुझाव ही देते हैं । हर समय आलोचना नहीं करते हैं । राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार के लिए उसकी दिशा निर्देश होता है । सरकार के कार्यक्रमों का दस्तावेज होता है । सरकार की प्रदेश की जनता के प्रति प्रतिबद्धता होती है । राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की प्रतिबद्धताएं हैं, उनके कार्यक्रम और घोषणाएं हैं । उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे अपना उत्तर देंगे तो इस सम्बन्ध में विस्तार से कहेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि अभी तमाम माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में जो भाषण दिया है अपने वक्तव्य दिये हैं उसमें कहा है कि 27 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है । अगर एक साल की सरकार में निवेश हुआ है तो मुझ जैसे छोटे संसदीय जीवन के कार्यकर्ता यह नहीं समझ पा रहे हैं कि पिछले सालों की तुलना में आज यह ऋण जमा अनुपात 27 प्रतिशत कैसे हो गया जो किसी भी राज्य की तुलना में बद से बदतर स्थिति में है ? आज प्रदेश में वित्तीय संकट किस चौराहे पर होगा ? यह सब इस बात से साफ जाहिर है कि आज आपकी वित्तीय स्थिति क्या है ? आज कर्मचारियों के पी०एफ० से पैसा निकालने पर रोक लगाने के लिए आपको विवश होना पड़ा है । तमाम वेतन वृद्धियों को पी०एफ० में डालने पर विवश होना पड़ा है । तमाम विभाग में लोगों को 5-5 महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है ।

आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं आपकी आर्थिक स्थिति के चलते । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को उनके कहे वाक्य का स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जो उन्होंने पिछली बार कहा था और मेरे एक सुझाव पर उत्तर दिया था । उत्तर प्रदेश के तहसीलों में, जनपदों में, ब्लाकों में, सी०डी० रेशियो नहीं बढ़ा है बैंक के लोग किसानों को लोन देने में आना-कानी कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रदेश में बड़े व्यावसायिक बैंक की स्थापना करके सी०डी० रेशियो बढ़ायेगी । किसानों को ऋण देने की व्यवस्था करेगी । एक वर्ष बीत गया सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की ? आज कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विस्तार से कहा गया । मैं सारी बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं । आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में जितनी चिन्ता सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को हैं हम लोगों को भी उतनी ही चिन्ता है । हमें डर है कि बिहार व अन्य राज्यों की तरह यह आर्थिक दिवालिये की कगार पर न पहुंच जाय । पिछली बार की बात कह रहा हूं स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी कि हम प्रदेश के ऋण जमा अनुपात के लिये अगर बैंक द्वारा लोगों को ऋण नहीं दिया जा रहा है जो हम एक बैंक की स्थापना औद्योगिक बैंक की स्थापना लखनऊ में करेंगे लेकिन क्या हुआ ? आज टास्क फोर्स की बैठकें नहीं हो रही हैं । मैंने आपका कल का बयान पढ़ा आपने कहा कि टास्क फोर्स गठित की जायेगी ।

मैं कहना चाहता हूं कि आप वक्तव्य चाहे कितने दे दें इससे कुछ होने वाला नहीं है । आज बिजली विभाग को निजी क्षेत्र में दिये जाने की व्यवस्था चल रही है । जब यह प्रसंग आया है मैं कहना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि 100-100 मेगावाट के लिये 8 लोगों के आशय पत्र मिल चुके हैं अगर उनको पावर परचेज एग्रीमेंट मिल चुका होता तो उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट के लिये 400 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होता । आज एफ० सी० आई० हो पिकप हो किसी को 400 करोड़ का लोन नहीं दे सकता है । मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब वे अपना उत्तर भाषण दें तो इस बात को भी बतायें कि 4 साल के पूर्व 100 मेगावाट के लिये जो 8 लोगों द्वारा आशय पत्र प्राप्त हुए बिजली उत्पादन के लिये उसके साथ इस साल में कितनी बैठक हुई कि उन्हें पी० पी० ए० दे दिया जाय ताकि उन्हें इसके बाद कोई बैंक ऋण लेने के लिये तैयार हो ? अगर आज ऐसा हो गया होता तो 3200 करोड़ का पूंजी निवेश होता और आप खड़े होकर कह सकते । दिल्ली के सूर्या होटल में या अन्य जगहों पर बैठक कर रहे हैं । यह बैठकें कब तक चलेंगी और कब उनको पी० पी० ए० मिलेगा ? आज मुख्य मंत्री जी बता दें क्या कठिनाई आ रही है ? यह सरकार पी० पी० ए० को क्यों नहीं दे रही है ?

(समय 5 बजकर 45 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं कोई सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी चिन्ता केवल समय की है । आप संक्षेप में कह दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं ऐसी बात कह रहा हूं जिससे मुख्य मंत्री जी को लाभ होगा । उत्तर प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था में नई योजनायें नहीं बनाई गई । उत्तर प्रदेश के खेत खलिहानों में जहां तक पानी पहुंचाने की बात है किसी क्षेत्र को ले लें । श्रीमन् बोर्ड की परीक्षायें शुरू होने जा रही हैं लेकिन बिजली उपलब्ध नहीं है, गांव में बिजली उपलब्ध नहीं है इसके बावजूद धन्यवाद के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य जो इनकी तरफ के हैं उनको बोलना है, बोलने के बाद एहसास करते हैं उन पर दबाव पड़ता है बिजली का संकट है प्रदेश के तमाम जनपद हैं कानपुर शहर अंधेरे में डूबा रहता है लखनऊ शहर के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है । उत्तर प्रदेश की सरकार एक वर्ष में चरमराती व्यवस्था को ठीक करने के लिए 6 माह तीन माह का समय लेती लेकिन एक वर्ष में इनकी कार्यशैली में कोई सुधार परिलक्षित नहीं होता है । वितरण व्यवस्था की स्थिति को देखें वितरण व्यवस्था की स्थिति क्या है ?

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, चीनी का हाल यह है कि चीनी कहीं उपलब्ध नहीं है चीनी का विशेष कोटा त्योहारों पर उपलब्ध नहीं है । चार-पांच महीने से चीनी मुहैया नहीं है । 2000 में एक वर्ष हो गया ।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

एक दो गांव का नाम बता दें जहां चीनी नहीं मिल रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरे क्षेत्र में ही नहीं मिल रही है । आप जांच करा लें ।

(व्यवधान)

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

सब आपसे प्रभावित हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इनके क्षेत्र में खुले आम जहरीली शराब बिक रही है । अगर नहीं बिक रही है तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा । मानवाधिकार के गठन...

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

किसी प्रगतिशील राज्य के लिए दुनिया के किसी मुल्क में जहां ह्यूमैन राइट प्रोटेक्शन की बात हो रही है उस पर प्रश्नचिन्ह लगाएं तो यह उचित नहीं है । आज कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मुख्य मंत्री जी को, ह्यूमैन राइट की स्थापना करेंगे यह खड़े होकर कहना चाहिए था । 6 लाख शिक्षक पद की समानता को लेकर ।

श्री अधिष्ठता–

समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

35 लाख कर्मचारियों को पी० एफ० नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इसी के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर; आपने महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, इस सरकार के मुखिया को बधाई देना चाहता हूं जिस तरह से उन्होंने इस प्रदेश को मजबूत और स्थिर सरकार दी है जिससे इस प्रदेश के गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े समाज का

विकास जो पिछले कई वर्षों से रुक गया था उसे तेजी मिली है और उनके विकास में जो रोड़ा लगा था वह दूर हुआ है । बीच में कुछ दल जो दलितों की राजनीति करते हैं वह कहते हैं कि इस देश के अन्दर प्रदेश के अन्दर मजबूर कमजोर सरकार होनी चाहिए । बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर मजबूत सरकार होगी तो इससे देश के दलितों, गरीबों और मजदूरों का सही रूप में विकास होगा । इसलिए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने देश के अन्दर मजबूत सरकार देकर इस देश के गरीबों, दलितों के प्रति एक कल्याणकारी कार्य किया है । जो पांच प्रतिबद्धताएं रखी है गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नारी समाज का सम्मान, बेरोजगार नौजवान का कल्याण और दलितों, पिछड़ों और शोषितों का कल्याण इससे इस प्रदेश का चहुमुखी एवं सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी एवं कल्याणकारी विकास होगा । इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं । इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है उसे हम करते भी हैं । हमने कहा था कि पूरे प्रदेश का विकास करेंगे और जो विधायक निधि की घोषणा की, जो दलगत भावना से ऊपर उठकर धन की व्यवस्था की है उससे पूरे प्रदेश का विकास होगा । 70 प्रतिशत बजट जो गांव में खर्च किया जायेगा इससे भी विकास होगा । 64 हजार हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है और 1467 करोड़ रुपये से अन्य बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता है । आज गांव के किसानों को काफी सुविधा दी गयी है । आश्रय योजना के अन्तर्गत 5, 10 और 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 40 हजार गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा ।

भाऊराव देवरस योजना में 20 हजार आवास उपलब्ध कराये जायेंगे, इन्दिरा आवास योजना में 61 हजार 9 सौ आवास उपलब्ध कराये जायेंगे । विधवाओं की पेंशन 125 रुपये प्रतिमाह 1 अगस्त, 1998 से कर दी गयी है और नारी का नाम बच्चे की असली अभिभावक होने वाले रजिस्टर में लिखने की व्यवस्था की है इससे नारी का सम्मान और बढ़ेगा । प्रदेश के कुल परिव्यय का 21.2 प्रतिशत यानि 2197 करोड़ का परिव्यय अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आधार पर करने का सम्माननीय कार्य किया है परन्तु उचित यह होगा कि इस धन का पूर्णतः रख-रखाव, क्रियान्वयन आदि समाज कल्याण के सुपुर्द ही किया जाय और भ्रष्ट आचरण करने वाले समाज कल्याण अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाय । जो समूह "ग" पारदर्शी रूप से भर्ती की जा रही है इससे गरीब, मजदूर और पिछड़े लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव हैं....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० राम बाबू हरित–

वह यह महसूस करने लगे हैं कि हमें भी नौकरी मिलेगी और वेतन मिलेगा । मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा । पहले सभी मुख्य मंत्री जनता दरबार लगाया करते थे लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता को सम्मान दिलाने में अग्रिम भूमिका निभाकर जनता दरबार के स्थान पर जनता दर्शन करने का काम किया है इससे प्रदेश की जनता को भी सम्मान मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं आगरा की समस्या की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर आगरा में बैराज बनाया जाय, छात्र छात्राओं के लिए अन्य नये विद्यालय हो, सफाई व्यवस्था ठीक से करायी जाय, स्थायी खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराया जाय, सीवर की सफाई करायी जाय, नल की पुरानी पाइपों को बदलने की व्यवस्था की जाय, अंग्रेजी विद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा शासनादेशानुसार मेधावी छात्रों/छात्राओं को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिये किया जाय। इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

* श्री विजेन्द्र आर्य–

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे कई माननीय सदस्यों ने आंकड़ों के साथ उसके विरोध में विचार प्रकट किये। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि मेरी बातों को गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो लगेगा कि मैं इस सरकार के विरोध में नहीं पक्ष में बोल रहा हूं। माम्यवर, मैं उन दिनों को याद करता हूं जब इस गौरवमयी हाउस की गाथा और इसके गुणगान से प्रभावित होकर के यहां आने के लिये प्रयासरत रहा। मैं यह सुना करता था और देखा करता था कि इस प्रदेश में रहने वाले गरीब, शोषितों, दलितों और पीड़ितों की सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम यह हाउस है। उनकी पीड़ा को दूर करना तो दूर रहा इस हाउस में आकर स्वयं पीड़ित हो गया।

इस अभिभाषण में जहां कानून व्यवस्था को सुधारने की बात है उसमें यह सरकार विफल रही है। मान्यवर, मुजफ्फरनगर जनपद में अपराधों का ग्राफ कई वर्षों से बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद का नाम अपराध की दुनियां में सबसे पहले है। जहां रक्षक भक्षक बन गये हों जहां रक्षक ही उसमें इनवाल्व हो गये हों जो अखबारों के माध्यम से सरकार के संज्ञान में आया होगा। पुलिस के कई अधिकरी अपराधों में लिप्त पाये गये हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो तो उससे सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

सरकार के मुखिया से बहुत अपेक्षायें थीं लेकिन हम जानते हैं कि उनकी मजबूरी है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई ? इस प्रदेश में सरकार का दायित्व होता है कि गरीब, शोषितों, दलितों, पिछड़ों के हितों का संरक्षण करना और उनके विकास की जरूरत की सुविधाओं को मुहैय्या कराना लेकिन इस सरकार की प्रतिबद्धता उसके खिलाफ गई है। शोषितों, दुखियों और दलितों के विकास के लिये कोई कार्य नहीं किया गया है। उल्टे जाति के नाम पर जाति के आधार पर उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया है। विकास के नाम पर बिजली पानी की कोई सुविधायें बढ़ाने की बात इसमें नहीं कही गई है। मैं इस पर अपना विरोध प्रकट करता हूं।

(माननीय मुख्य मंत्री के खड़े होने पर सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

[x x x]

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री प्रमोद कुमार--

[× × ×]

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता--

यह कार्यवाही में अंकित नहीं होगा।

श्री कौकब हमीद--

[× × ×]

(व्यवधान)

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये।)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव--

[× × ×]

(व्यवधान)

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता--

कुछ अंकित नहीं किया जायेगा।

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा, मैंने अनुमति नहीं दी है।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में मुझे आपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

श्रीमन्, राज्यपाल का अभिभाषण, यह कोई बजट नहीं है, बजट भाषण भी नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण होता है किसी भी सरकार का नीति निर्देशक, राज्यपाल का अभिभाषण होता है किसी भी सरकार की दिशा का सूचक, राज्यपाल का अभिभाषण होता है किसी भी सरकार का चिन्तन और इसलिये उसमें वह सारी बातें नहीं आया करती जो बजट में आती हैं, यह बजट के अनुदानों में आती हैं। जब बजट पर चर्चा होगी, बजट के अनुदानों पर चर्चा होगी तो एक ही विषय, एक विभाग के बारे में इस सदन में विस्तार से चर्चा हो जायेगी। मैं यह मानता हूं कि विकास यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बनाया भी नहीं जाना चाहिये। इस सदन में चाहे सत्ता पक्ष में हों चाहे विपक्ष में हों सबको समवेत जिम्मेदारी होती है जनता के हित की चिन्तन करें, उनके दुख व दर्द पर विचार करें और जो समस्यायें जनजीवन की सामने हों उनका निराकरण करें और निदान के लिये एक दूसरे के विचारों को सुनकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायें।

परन्तु, श्रीमन्, मुझे खेद है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका का अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। एक दल ने तो लगातार सदन न चलने देने की कसम खा रखी थी। ऐसा लगता है कि उनके पास सरकार का विरोध करने के लिये कुछ नहीं था और यह मैं मानकर चलता हूं कि समाजवादी पार्टी ने तो

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को एक प्रकार से अपनी स्वीकृति ही प्रदान की है भले ही चाहे विरोध दिखाकर, और भले ही चाहे उसके ऊपर टिप्पणी करके ।

मुझे यह भी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन माननीय सदस्यों ने, नेताओं ने यह विचार व्यक्त किया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन खेद इस बात का है कि अपनी बात वह कहकर चले गये, सरकार का पक्ष भी सुनना चाहिये था । इसका सीधा एक ही निष्कर्ष है कि उन सदस्यों की आलोचनायें निराधार थीं, बेबुनियाद थीं और उनके द्वारा उठाये गये सारे सवालों में खोखलापन था और वह जानते थे कि उनके एक-एक सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा, तर्कों के साथ जवाब दिया जायेगा इसलिये वह हिम्मत नहीं जुटा सके कि सरकार को सुनने की कोशिश करते । मैं श्रीमन् प्रयास करूंगा अपनी बात संक्षेप में कहने का ।

(6 बजकर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, हमने पहले दिन से अपनी सरकार की कुछ प्राथमिकतायें सुनिश्चित की थीं । दुरुस्त कानून व्यवस्था, भयमुक्त समाज, जात-पात, मद मजहब, वर्ग सम्प्रदाय का भेदभाव किये बिना सबकी सुरक्षा की गारन्टी, मां बहनों की इज्जत आबरू अस्मत की सुरक्षा की गारन्टी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में हम गुणात्मक सुधार लाये हैं । उत्तर प्रदेश के 10 बड़े माफिया सरगनाओं की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है । कई बड़े माफिया सरगना पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हुये धराशायी हुये हैं । हर जनपद में टाप 10 की सूची बनाई गई है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही हुई है । इसी प्रकार हर थाने पर वहां के टाप 5 की सूची बनाई गई है, अब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता और आतंक की काली छाया नहीं है, जो मेरी सरकार के आने से पहले थी । मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन किसी भी राज्य के अन्दर कानून व्यवस्था को देखने का मुख्य पैमाना यह होता है कि उस राज्य के अन्दर आतंक रहित वातावरण कितना है ?

ऐटमास्फियर आफ टेरर कितना है ? आज मैं कह सकता हूं कि जब से मैंने सत्ता सभांली है, उत्तर प्रदेश में लगातार आतंक की काली छाया को मिटाने में हमने सफलता पाई है । अभी बसपा के नेता भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं कि आज दलितों के खिलाफ जो भी अपराध हुये हैं, उनमें पिछले वर्ष की तुलना और सुश्री मायावती के शासन की तुलना में 22 प्रतिशत की कमी आई है, यह मैं नहीं, आंकड़े बताते हैं । यह तब की बात है, जब हर घटना की, एक-एक मामले की एफ०आई०आर० दर्ज करने के सख्त निर्देश हैं और यदि किसी ने एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की है तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही भी करते हैं । इस प्रकार हम पहली प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये आगे बढ़े हैं ।

दूसरी प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारे अभियान की है । जिसको भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो ? उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है, शायद ही इतनी कार्यवाही किसी के शासनकाल में हुई होगी । तमाम जांचें कराई है, अभी भी जांचें जारी हैं । इसी प्रकार राजनीति में उच्च शिखर पर बैठे लोग, मंत्रि-मण्डल में बैठने वाले लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके खिलाफ भी सरकार ने जांच कराई है और पता नहीं कब किसके हाथों में हथकड़ियां लग जायें और उनको जेल के सीखचों में बन्द होना पड़े ? भ्रष्टाचार के साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते ।

संतुलित विकास की जहां तक बात है, आज आम आदमी कह रहा है, क्षेत्र का आदमी कह रहा है कि पिछले 20 वर्षों में विकास के नाम पर जिला स्तर पर कभी इतनी धनराशि नहीं दी गई । जितनी भी सरकारें इस जमानें में आई, चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो और चाहे राष्ट्रपति शासन रहा हो, पिछले एक वर्ष के जमाने में उससे ज्यादा धनराशि दी गई है । इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के इतिहास में समय से वित्तीय स्वीकृतियां जारी की है । पिछले वर्ष जुलाई में बजट पारित हुआ था, सितम्बर में हमने स्वीकृतियां जारी कर दीं ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस वर्ष का बजट 24 मार्च तक पारित हो जायेगा और मेरा प्रयास होगा कि अप्रैल के महीने में वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो जायं ताकि समय से पैसा मिले । पिछली सरकारों का यह रवैया रहा है कि वित्तीय स्वीकृतियां फरवरी–मार्च के महीने में जारी हुआ करती थीं, मैंने ऐसी भी फाइलें देखी हैं, जिसमें 31 मार्च की रात 12 बजे तक वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुई हैं और कागज पर काम दिखाये जाते थे । इस बार हमने इसके लिये टाइम टेबिल बनाया है और हम विकास की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहे हैं ।

सामाजिक समरसता हमारी चौथी प्रतिबद्धता है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यही प्रदेश है, जहां हमसे पहली वाली सरकार के समय गांव-गांव में लाठियां चल रही थीं, हर जगह सामाजिक तनाव, बिखराव आ चुका था और ऐसा लगता था कि पूरे प्रदेश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो जायेगी । लेकिन मैं आज यह कहने की स्थिति में हूं कि ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र जो भी हो, हम सामाजिक समरसता कायम करने में कामयाब हुये हैं हम सामाजिक भाई चारा कायम करने में कामयाब हुये हैं । समाज कमजोर हुआ तो प्रदेश और देश कमजोर हो जायेगा । कुछ ताकते ऐसी हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जातिवाद की राजनीति करती हैं, विभिन्न जातियों को आपस में लड़ाती रहती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में कहीं पर भी जातिगत संघर्ष नहीं हुये हैं, उनकी तो राजनीति फेल हो गयी है, और उनके पेट में दर्द हो रहा है, हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता की प्रतिबद्धता को पूरा किया है, कहीं पर कोई दंगा नहीं हुआ है, 16 महीने बीत गये हैं, कहीं पर कोई दंगा नहीं हुआ है । कुछ ताकते और पार्टियां हैं, जिन्होंने लगातार साम्प्रदायिक भावना को उभारा है, उनके मनसूबों को हमने विफल किया है, कहीं पर भी किसी के मन में मन मुटाव की भावना नहीं है । यहीं पर मैं लखनऊ की सफलता का उल्लेख करना चाहता हूं, शिया और सुन्नी का मसला 22 सालों से लटका हुआ था, न जाने कब से कितनी सरकारें आयी और चली गयी, लेकिन इस मसले को कोई हल नहीं कर पाया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो और चाहे सुश्री मायावती की सरकार रही हो । मायावती की सरकार के समय में दो-दो मुसलमानों ने आत्म हत्यायें की हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो पायी है ।

हमारी यह ऐतिहासिक उपलब्धि रही है, हमने उनकी समस्या को हल किया है । शिया और सुन्नी की खाई को पाटा है । श्रीमन् जब कोई सवाल करता है कि आपकी सफलता का राज क्या है ? तो मैं सीधे उत्तर देता हूं कि दूसरी सरकारों ने इनको सियासत की नजर से देखा है, वोट की राजनीति की नजर से देखा है, मैंने सियासत की नजर से नहीं देखा है, राजनीति नजर से नहीं देखा है, हमने यह नहीं देखा है कि इससे कितने वोट हम लेंगे ? इसीलिये हम कामयाब हो गये । हमने मजहबी जजबातों की कद्र की है, हमने वोट की राजनीति नही की है, यह हमारी ऐतिहासिक उब्लब्धि है ।

श्रीमन् इस समय वह हैं नहीं, खरे खरे उत्तर सुनने की हिम्मत उनमें नहीं है, न तो कांग्रेस में है, न तो बसपा में है और न ही समाजवादी पार्टी में है। हमने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है, श्रीमन् होते तो बताता। एक साल में यह मामूली उपलब्धि है, जो उत्तर प्रदेश देश में खाद्यानों के मामले में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है, चीनी उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है, पर्यटन के क्षेत्र में और दुग्ध के क्षेत्र में पूरे देश में नम्बर एक पर आ गया है। सरकार टेक्नालोजी के मामले में भी आगे बढ़ी है। अनेक प्रदेश टेक्नालोजी के मामले में हमसे आगे थे, हमारा प्रदेश 8वें , 9वें स्थान पर था। मुझे यह कहने में खुशी है कि एक वर्ष में टेक्नालोजी के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में द्वितीय स्थान पर आ गया है। यह हमारा संकल्प है, इसी वित्तीय वर्ष में टेक्नालोजी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर ला देंगे। इसी प्रकार से हमने कुछ अन्य क्षेत्रों में भी कार्य किये हैं। विशेष रूप से मैं 5 क्षेत्रों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। हमारी सरकार ईमानदारी के साथ प्रतिबद्धता के साथ गांव, गरीब और किसान का उत्थान करने के लिये प्रतिबद्ध है। दूसरे हमारी सरकार झुग्गी, झोपड़ी के इंसान के उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है। तीसरे हमारी सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिये प्रतिबद्ध है। श्रीमन् चौथे नम्बर पर हमारी सरकार सम्पूर्ण नारी समाज को सम्मान, उसकी पहचान और उसको समुचित स्थान देने के लिये प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार वंचित, शोशित और पीड़ित लोगों के उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है।

श्रीमन्, जहां तक हमारे कार्यक्षेत्रों की बात है तो यह हमारे 5 कार्यक्षेत्र हैं। यह हमारे कार्य की निष्ठायें हैं जिनको संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा। जहां तक गांव के गरीब किसान का प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 1996–97 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये राज्य सरकार की ओर से केवल 20 करोड़ रुपये दिये जाते थे। इतने बड़े प्रदेश के लिये जहां एक लाख, बारह हजार, पांच सौ सरसठ गांव हैं उनके विकास के लिये केवल 20 करोड़ रुपये दिये जाते थे। संविधान के अनुच्छेद 73–74 में संशोधन हुआ और उसमें डिवैल्यूयेशन की धनराशि के हस्तान्तरण को स्वीकार किया गया। 1997–98 में ग्रामीण निकायों के लिये 255 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार से 98–99 में यह धनराशि 300 करोड़ रुपये, ग्रामीण निकायों को जा रही है जिससे गांव, गरीब किसान का उत्थान होगा। श्रीमन्, हमने ग्रामीण विकास और खेती के विकास के लिये योजना का 70 प्रतिशत परिव्यय निश्चित किया है। हमने गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। 32 लाख गन्ना किसानों को 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ पहुंचाया है और इतना ही लाभ फिर पहुंचा रहे हैं। गन्ने के भुगतान में सरकार ने 6200 करोड़ रुपये का भुगतान पिछली बार किया है। अब भी गन्ने के मूल्य के भुगतान की प्रगति संतोषजनक है। हम गन्ना किसानों के भुगतान को सुनिश्चित करेंगे और किसी अवशेष को रहने नहीं देंगे। 2,41,25,262 किसानों को किसान बहियां बांटी गयीं हैं।

किसान बही किसानों का कानूनी दस्तावेज है अब उसकी जमीन के मामले में खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है। विभिन्न बैंकों से ऋण लेने में, अदालतों में जमानत लेने में किसान बही को कानूनी मान्यता दी है नहीं तो पहले पत्रों की नकल लेने के लिये किसान परेशान रहता था। किसान के उत्थान के लिये 835 करोड़ 71 लाख रुपये के अल्पकालीन ऋण, 917 करोड़ रुपये के मध्य कालीन ऋण और 451 करोड़, 65 लाख रुपये के दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था की है। यह सरकार हमारे गांव के गरीब किसान के ऋण विकास, उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है। श्रीमन्, यह सरकार झुग्गी-झोपड़ी के इंसान के प्रति प्रतिबद्ध है। इस चालू वित्तीय वर्ष में 12 लाख मकान बनायें जायेंगे। उनको छत देंगे। लोगों के लिये इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। हमने हिन्दुस्तान में पहली बार ऐसे बेघर लोगों को घर देने के लिये एक प्रभावी योजना चलायी है जिसमें 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये रोज उनसे लेकर हम लोगों को मकान देंगे। यह हमारी प्रतिबद्धता झुग्गी-झोपड़ी वाले इंसानों के लिये है। श्रीमन्, दो-दो, तीन-तीन बिन्दु रखूंगा, विस्तार से बजट जब आयेगा तो सबके सामने बात आ जायेगी। बेरोजगार

नौजवान, कम से कम माननीय सदस्य ने यह माना कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये रोजगार छतरी योजना बनाया है । भर्तियों की ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, भर्तियो में एक पारदर्शी प्रणाली, श्रीमन्, 9 हजार कांस्टेबिलों की भर्ती हो गयी कहीं से चिड़िया भी नहीं चहकी । उत्तर प्रदेश में वर्ष 1984 से कृषि डिप्लोमा होल्डर बेकार पड़े थे । 1984 से कितनी सरकारें आयी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की आयी लेकिन किसी ने रोजगार नहीं दिया । आज उत्तर प्रदेश की धरती पर एक भी कृषि डिप्लोमा होल्डर नहीं है जिसको नौकरी न दे दी गयी हो, बिना पैसे और सिफारिश के । इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अन्दर 13 हजार बी०टी०सी० ट्रेंड थे । 10–12 साल से घूम रहे थे आज उत्तर प्रदेश की धरती पर एक भी बी०टी०सी० ट्रेंड नहीं है जिसको सरकार ने नौकरी न दे दी हो अभी हाल में 27 हजार अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं और निकट भविष्य में जो बी०एड० और एल०टी० हैं उनमें से सेलेक्शन हो रहा है ।

एक अचम्भा हुआ है "समूह ग" की परीक्षा, दुनिया में सबसे बड़ी परीक्षा थी । 13 लाख परीक्षार्थी उनके लिए एक दिन, एक समय, शान्ति से परीक्षा हो गयी और मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री के नाते मैं और सरकार के नाते से हमारे सभी मंत्रिमण्डल के सहयोगी और विधायकगण के लिए एक कड़ी कसौटी थी । यह परीक्षायें कैसे हो गयी ? कई बार लोग लिख रहे थे कि यह हो ही नहीं सकता, और हो गया और लोगों ने कहा कि यह एक अचम्भा हुआ है । प्रणाली पारदर्शी, कोई सिफारिश नहीं । पहली बार उत्तर प्रदेश के नौजवान को यह लगा कि बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिल सकती है, केवल योग्यता के आधार पर । यह सन्देश चला गया और हर छात्र ने समझ लिया है । मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि हमारी सरकार आयेगी तो हम नकल पर से प्रतिबंध हटा लेंगे । श्रीमन्, पहली बात तो उनकी सरकार आयेगी नहीं और छात्रों को अब यह मालूम हो गया है कि योग्यता से ही नौकरी मिलेगी । दूसरा लाभ यह होगा कि हमारे इस काम से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में परिवर्तन आयेगा । जो व्यक्ति रिश्वत देकर नौकरी में आयेगा, जिसका जन्म भ्रष्टाचार से होगा फिर उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा ? पहली बार हमने पारदर्शी प्रणाली ला करके उन्हें आगे बढ़ाया है ।

"नारी शक्ति की पहिचान और उसका उत्थान" इसके लिए 62 करोड़ रुपये की योजना बनाकर महिलाओं के उत्थान की योजना चलायी जा रही है । हिन्दुस्तान के अन्दर पहली बार हमारी सरकार ने कानून बनाया है कि वल्दियत में पिताजी के नाम के साथ मां का नाम भी लिखा जायेगा । हमारी सरकार ने कानून बनाया है कि मृतक का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, विधवा को भी उतना ही अधिकार मिलेगा । चार-चार बेटों की मां एक-एक रोटी और धोती के लिए तरसती थी । आज हमने कानून बना दिया कि पति की मृत्यु के पश्चात् उसकी जमीन और जायदाद में उसका वही हिस्सा होगा जो बेटों का होता है, हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है । कई बार नारी परित्यक्त कर दी जाती हैं वह नर्क जैसी जिन्दगी जीने के लिए मजबूर हैं । अभी भी कानून था कि किसी भी परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता देने के लिए न्यायालय अधिकतम 500 रुपये की धनराशि स्वीकृत कर सकता था । कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि परित्यक्ताओं के साथ न्याय किया जाएगा और हमने 500 रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये महीने देने का फैसला किया है । जो हमारी प्रतिबद्धताएं थीं, उनको पूरा करने की हमने कोशिश की है । प्रमोद जी होते तो हम उनकी बातों का उत्तर देते । प्रदेश के विकास पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है । उसका समाधान किये जाने के लिए दोनों को प्रयास करना चाहिए । जब हम नेता विरोधी दल थे उस वक्त भी उस कुर्सी पर खड़े होकर हमने यही कहा था कि विकास राजनैतिक मुद्दा नहीं हो सकता है और उस समय हमने अपने भाषण में सकारात्मक सुझाव दिए थे, अनावश्यक आलोचना नहीं की थी । वाकआउट करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता । आज प्रदेश के पिछड़ेपन के कई कारण हैं उसका मुख्य कारण है

पिछले कई वर्षों से राजनैतिक अस्थिरता । मुझे खुशी है कि हम उत्तर प्रदेश को राजनैतिक स्थिरता प्रदान करने में सफल हुए हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी । विकास का रोड़ा जो राजनैतिक अस्थिरता होती है, उसका निराकरण हमने किया है । उत्तर प्रदेश को हमने राजनैतिक स्थिरता प्रदान की है । एक और कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या इसलिए हम जनसंख्या नियंत्रण नीति ला रहे हैं । यह कोई जातिगत, धर्म या वर्ग का प्रश्न नहीं है इससे कोई विमत नहीं हो सकता है । जनसंख्या वृद्धि किसी दल का विषय नहीं है जनसंख्या वृद्धि एक राष्ट्रीय मुद्दा है । यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगायी गई तो आगे की पीढ़ियों के लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे । उत्तर प्रदेश की आबादी पहले दुनिया के देशों से छठे नम्बर पर थी आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि दुनिया के 122 देशों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़े देश के रूप में चौथे नम्बर पर आ गया है । यह विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है । इसका निराकरण करना होगा । हम निरक्षरता को दूर कर साक्षारता की दर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं । चौथा कारण इस प्रदेश के पिछड़ेपन का है पिछले 18–20 सालों से प्रदेश में वित्तीय कुप्रबन्धन की स्थिति/अनाप-शनाप खड़े और अनुत्पादक व्यय बढ़ते चले गए उत्पादक मदों के खर्चे घटते चले गए इसकी चिन्ता किसी ने नहीं की । अतिरिक्त संसाधन जुटाने की किसी ने कोशिश नहीं की । मुझे याद है जब हमारी सरकार थी उस वक्त हम योजना आयोग के पास गए थे कुछ वित्तीय सहायता लेने उन्होंने कहा था कि इसके लिए आपको कम से कम 600 करोड़ अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने पड़ेंगे । मुझे खुशी है कि उस वक्त हमने 600 करोड़ की जगह 900 करोड़ से भी ज्यादा अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए । अतिरिक्त संसाधन जुटाने की तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया । श्रीमन्, हम फिर वादा करके आये हैं कि 1350 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटा देंगे । मैं आप सभी के सहयोग से बताना चाहता हूं कि इससे भी अधिक संसाधन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जुटाने का प्रयास करेंगे । श्रीमन्, विकास करना है तो पांच चीजों पर हमें विचार करके योजना बनानी होगी । श्रीमन्, विकास दर के साथ हम चार चीजें जोड़ना चाहते हैं । विकास दर हमें कब उपलब्ध होगी । यह तभी उपलब्ध होगी जब हमारी साक्षारता दर बढ़े । तो साक्षारता दर तब बढ़ेगी जब हमारी जन्मदर घटेगी और यह कब घटेगी जब हम मृत्यु दर को घटा लेंगे ? इस प्रकार साक्षारता दर को बढ़ाना, जन्मदर को घटाना, मृत्युदर को घटाना और इनके आधार पर हम रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं । इसलिए हमें इन चार चीजों को बढ़ाना होगा तभी हमारी विकास दर बढ़ सकती है ।

श्रीमन्, इन क्षेत्रों, इन बिन्दुओं पर हमारी सरकार ने चिंतन किया है । बजट में इन बिन्दुओं पर सदन में विस्तार से चर्चा होगी । ये प्रमुख कारण हमने बताये हैं ।

श्रीमन्, आखिरी कारण जिससे उत्तर प्रदेश का विकास पिछड़ा है, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्षों से यहां लगातार अनियोजित नियोजन रहा । जैसे एक योजना चालू की गयी और वह चार कदम बढ़ी लेकिन उसके बाद बन्द कर दी गयी । इसी प्रकार दूसरी योजना चालू किया और दो कदम आगे बढ़े लेकिन बाद में बन्द कर दी गयी, इससे जो पैसा इन योजनाओं पर लगा वह बेकार हो गया । इस प्रकार अनप्लान्ड प्लानिंग हुई । श्रीमन्, यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि प्रदेश के अन्दर पिछले 20 वर्षों से नियोजित नहीं हो पाया । डेवलपमेंट की प्लानिंग प्लान्ड नहीं की जा सकी, अनप्लान्ड रही ।

श्रीमन्, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में यह पहली सरकार है जिसने संकल्प दिया है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करेंगे और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेंगे । सरकार प्रमुख क्षेत्रों में बाकायदा नीतियां बनाकर अमल करेगी और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करेगी । श्रीमन्, हमने दो संकल्प लिये हैं । एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है और दूसरा संकल्प है समता, शोषण मुक्त, समता मुक्त, ममतामय परस्पर पूरक, पोषक, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी और सुदृढ़ समाज के

सपने को साकार हम करेंगे और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं । श्रीमन्, हम भेदभाव नहीं रहने देंगे और आपस में एक दूसरे को लड़ने नहीं देंगे ।

श्रीमन्, हमने उद्योग नीति की घोषणा कर दिया है इससे पूंजी निवेश आकर्षित हो रहा है । हमने मार्ग नीति, पर्यटन नीति, खनिज नीति, निर्यात नीति की घोषणा कर दिया है । श्रीमन्, बहुत थोड़े समय में और इसी सत्र के अन्त तक प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश की सर्वांगीण कृषि नीति हम घोषित कर देंगे । आपके सामने ऊर्जा नीति आने वाली है । उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं । कैबिनेट से उसका अनुमोदन हो गया है । इसी सत्र में हम ऊर्जा सुधार बिल को लायेंगे और ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार करके दिखायेंगे । जल नीति पर विचार चल रहा है, फिल्म उद्योग नीति लगभग बनकर तैयार हो गई है, जनसंख्या नियंत्रण नीति को भी तैयार किया जा रहा है, इनफारमेशन टैक्नोलाजी की पालिसी भी लगभग तैयार हो चुकी है । सूचना प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है । उत्तर प्रदेश में सूचना पाने के अधिकार को यदि सबसे पहले किसी ने मान्यता दी है तो इस सरकार ने दी है । लोकतंत्र में अगर जनता को सूचना पाने का अधिकार नहीं होगा तो किसको होगा ? उसकी प्रतिपूर्ति के लिये इनफारमेशन टैक्नोलाजी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और उसे हम ला रहे हैं । जो सवाल यहां पर उठाये गये हैं, उन पर संक्षेप में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी यहां नहीं बैठे हैं । उन्होंने कहा कि इधर बैठे रहो और यह सरकार बनी रहे तो बहुत जल्दी ही हम विपक्ष से सत्ता पक्ष में आने वाले हैं ।

मुंगेरी लाल के हंसीन सपने, वह देख रहे हैं । अब तो कांग्रेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है । एक शब्द प्रयोग किया गया कि राज्यपाल जी का अभिभाषण इस सरकार का डाईंग डेक्लेयरेशन है । यह डाईंग डेक्लेयरेशन नहीं है, यह सजीव घोषणायें हैं, यह हमारी प्रतिबद्धताओं का चित्रण है । हां, इतना जरूर है कि हम उनको पूरा करेंगे और हम इधर रहेंगे । मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि राज्यपाल का अभिभाषण तो डाईंग डेक्लेयरेशन नहीं है परन्तु कांग्रेस डाईंग कैडर वाली पार्टी बन जायेगी । पार्टी में नहीं कहूंगा । लोक सभा के चुनाव में आपने देख लिया होगा । कितना जोर लगा दिया परन्तु एक भी सीट जनता ने नहीं दी ? इधर कुछ राज्यों के परिणामों से फिर से मुंगेरी लाल के हंसीन सपने देख रहे हैं । आज विपक्ष है कहां ? आज विपक्ष के पास क्या मुद्दा है ? विपक्ष मुद्दा विहीन है, नीति विहिन है और सिद्धान्त विहीन है । मेरा सम्पूर्ण विपक्ष पर आरोप है कि उसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, मेरा सम्पूर्ण विपक्ष पर आरोप है कि उनका संसदीय परम्पराओं पर विश्वास नहीं है, मेरा सम्पूर्ण विपक्ष पर आरोप है कि वह जनता के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील नहीं है, मेरा सम्पूर्ण विपक्ष पर आरोप है कि वह जन समस्याओं पर चर्चा करना नहीं चाहती है और सदन में जिस काम करने के लिये चुनकर उन्हें भेजा गया है वह काम नहीं करेंगे और श्रीमन्, सम्मानित पीठ का भी वह बारबार–उल्लंघन करेंगे । लोक तंत्र चलता है मर्यादाओं के आधार पर, लोकतंत्र चलता है स्वस्थ्य परम्पराओं के आधार पर । आज हम कह सकते हैं, 3-4 दिन से हम देख रहे हैं, सम्पूर्ण विपक्ष ने लोकतंत्र की सारी मान्यताओं और संसदीय परम्पराओं की बहुत ही निर्मम और क्रूरता के साथ हत्या की है, जनता इनको माफ नहीं करेगी । आज आम जनता इनके कृत्यों को देख रही है ।

मान्यवर, बिजली की बात आई थी । मैं कुछ बिन्दुओं को छूं रहा हूं । यह पहली सरकार है, जिसके रहते हुए विद्युत उत्पादन की विभिन्न चरणों की परियोजनायें प्रस्तावित हैं । पहली, 566 मेगावाट की रोजा परियोजना, फिर 800 मेगावाट की जवाहरपुर योजना प्रस्तावित है । फिर 2000 मेगावाट परतापुर की बड़ी परियोजना है । उसके बाद 1000 मेगावाट की आनपारा–सी है जिसका टेण्डर हो गया है और यह प्रस्तावित है । श्रीमन्, यह जो रोजा, जवाहरपुर, परतापुर आनपारा–सी कही गयी है यह सब तापीय परियोजनाएं हैं जिनको कुल उत्पादन क्षमता 4366 मेगावाट की होगी । जलीय परियोजनाएं विष्णु प्रयाग की 400 मेगावाट की प्रस्तावित है, श्रीनगर की 330 मेगावाट की प्रस्तावित है । 64 मेगावाट

की 22 लघु जल विद्युत परियोजनाएं और 80 मेगावाट की छोटी विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं । 304 मेगावाट की मनेरी नाली की परियोजना है 420 मेगावाट की लखवाड़ 82 परियोजना और टेढ़ीपरियोजना 1000 मेगावाट की प्रस्तावित है और जलीय परियोजनाए हैं । इनकी उत्पादन क्षमता 2598 मेगावाट होगी । श्रीमन्, इसी तरह तरलीय ईंधन पर आधारित 1055 मेगावाट प्रस्तावित है । जिस पी० पी० ए० की चर्चा कर रहे थे । उस बारे में कहना चाहूंगा कि हम आगे बढ़ गये हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नेफटा फ्यूल प्रोजेक्ट तैयार करें । 50 मेगावाट बिजली उत्पादन कोयले और कचरे से 15 मेगावाट बिजली पैदा करने की परियोजना बना रहे हैं । इस तरह से जो बिजली हमने बताई है सबको मिलाकर महायोग पड़ेगा 8084 मेगावाट बिजली के उत्पादन की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं ।

मुझे याद है कि 91-92 में हमारी सरका थी । आनपारा–बी परियोजना हम ही चालू करके गये थे जहां पर आज शत् प्रतिशत् प्लान्ट लोड फैक्टर का उत्पादन हो रहा है । मुझे कभी-कभी लगता है अगर हमने उस परियोजना को उस समय चालू न कर दिया होता, स्वीकृति न दे दी होती तो आज प्रदेश में बिजली की संकट गहरा रहा होता । मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 91-92 में जब हमारी सरकार थी तब आनपारा–बी परियोजना हमने चालू की थी और आज जब हमारी ही सरकार आई है फिर से हम नई-नई योजनाएं और परियोजनाएं चालू कर रहे हैं । 91 के बाद और हमारे आने से पहले किसी ने नहीं किया । जो हमारी अभी आलोचना कर रहे थे यदि वे इस समय होते तो बात उनकी समझ में आती । श्रीमन्, एक सवाल यहां उठा था कि पूंजी निवेश के बारे में । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि विरासत में जैसा प्रदेश हमको मिला है एक साल तो हमको उत्तर प्रदेश को जैसे पटरी से उतरी हुई गाड़ी को पटरी पर लाने में लगा है इसलिये कहा है टेक आफ ईयर । विकास वर्ष के रूप में हमने घोषित किया है । अब वायु मण्डल बन गया है पूंजी निवेश के लिये लोग तैयार हो रहे हैं । श्रीमन्, उद्योग एक दिन में नहीं लग जाता है उसके लिये कुछ समय लगता है लेकिन हमने जो प्रयास किये हैं उससे औद्योगिक वायुमण्डल का सृजन किया है उसके आधार पर आशय पत्र प्राप्त होते चले जा रहे हैं ।

नवम्बर 1998 तक 247 इच्छा पत्र पूंजी निवेश के प्राप्त हो चुके हैं । कुल 3500 करोड़ रुपये के इच्छा पत्र और आशय पत्र प्राप्त हो चुके हैं । अभी हम इस दिशा में पूरे हिन्दुस्तान में बहुत पीछे थे । हमारे द्वारा जो वायुमण्डल तैयार किया गया है औद्योगीकरण के वायुमण्डल का जो सृजन किया गया है उद्योग नीति की घोषणा होने के बाद, निर्यात नीति की घोषणा होने के बाद, सड़क नीति की घोषणा होने के बाद यह प्रदेश अभी तक एक ही प्रदेश महाराष्ट्र पहले स्थान पर है परन्तु अब हमारा प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है । हमारी कोशिश होगी कि हम अपने प्रदेश को हिन्दुस्तान के प्रथम स्थान पर ले आयें । पूंजी निवेश के लिये 275 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इसमें 27,292 करोड़ का पूंजी निवेश होगा । तकनीकी सहयोग के लिये 211 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस आधार पर यह आलोचना करना गलत है कि उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश के अवसर नहीं हैं । एक बात मैं स्वीकार करता हूं कि हमारा सी० डी० रेशियो चिन्ताजनक है उसके लिये हमने एक कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें विचार विमर्श हो रहा है बैंक के लोगों से बातचीत हो रही है । जहां पर सी० डी० रेशियों 60 प्रतिशत था वहां पर ही 51-52 प्रतिशत हो गया है । सी० डी० रेशियो बढ़ाने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हम प्रयास कर रहे हैं ।

(समय 6 बजकर 45 मिनट)

एक बात आई थी माननीय सदस्य बोल रहे थे उत्तरांचल की तुलना पूर्वांचल से कर रहे थे । उत्तरांचल का पूरा बजट है बुंदेलखण्ड और पूर्वांचल में जो विकास निधियां दे रहे हैं सामान्य बजट में जो पैसा देंगे यह उसके अलावा है । दोनों को जोड़कर बोलते तो आलोचना का मौका नहीं मिलता । यह जानबूझकर आलोचना करने के कारण बात कही गई । श्रीमन्, मैंने कोशिश की है मुख्य-मुख्य बिन्दुओं

को स्पर्श करने की । बजट आएगा तो बहुत विस्तार से चर्चा होगी छोटी-मोटी शंकायें होगी उसका निवारण हो जाएगा । इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति और सम्मानित सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी के द्वारा प्रस्तुत और राजधारी जी द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जब मैंने आपकी अनुज्ञा से इस सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था....

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के अपने आसन पर आने पर सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा शेम-शेम की आवाजें)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हमारे विद्वान विपक्ष के द्वारा कुछ सार्थक चर्चा की जाएगी ऐसा मैं समझता था, लेकिन मुझे खेद है कि या तो विधि की विडम्बना या कोई कुत्सित षडयंत्र...

श्री अध्यक्ष–

इसके पूर्व कि माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी अपना उत्तर भाषण दें, संशोधन माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया था दूसरे संशोधन में दूसरे माननीय सदस्यों का नाम जोड़ा गया था । माननीय नेता विपक्ष सदन की सेवा से निलम्बित हैं इसलिए उत्तर भाषण देने के लिए उपलब्ध नहीं हैं इसलिए कोई दूसरे माननीय सदस्य को उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं है इसलिए मैं लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी को अपने उत्तर देने के लिए आवाहन कर रहा हूं ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

जब मैंने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो मुझे आशा थी कि विद्वान विपक्ष के लोग राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से उपयोगी सुझाव दे लेकिन मुझे खेद है तो यह विधि की विडम्बना है या कोई कुत्सित षडयंत्र, जिसके कारण किसी विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर नहीं बोला और अपने को विरत रखने का प्रयास किया । सबसे बड़ा विपक्ष तथा इस सदन में माननीय नेता विरोधी दल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर आंशिक भाषण दिया मैं भी उनको आंशिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं । उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया । मा० नेता विरोधी दल तथा स० प० विधायकों ने कुछ दो विषयों को उठाकर सदन को डिस्टर्ब करके सदन में उठाने का प्रयास किया अगर यही विषय वह राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से रखते तो ठीक रहता । मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

मैं माननीय विपक्ष के नेताओं द्वारा, प्रमुख नेताओं के द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव आने चाहिए थे वह संशोधन प्रस्ताव कार्यसूची में स्थान नहीं पाये । कुछ माननीय सदस्यों ने उधार लेकर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की । उनको हक था कि संशोधन के प्रस्ताव को रखते और इसके माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना करते सुझाव लेकिन उन्होंने ऐसा न करके उधार लेकर सरकार की नीतियों की आलोचना करने का प्रयास किया है । मान्यवर, जिस समय विपक्ष ने बहिष्कार किया था मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों की गिनती कर रहा था तो यह सौभाग्य कह लीजिये कि तेरहवीं विधान सभा में चर्चा के समय कुल 13 सदस्य उपस्थित थे और वह भी माननीय मुख्य मंत्री जी जब समर्थन पर बोलने के लिए खड़े हुए तो वह सुनने के बजाय सदन का परित्याग कर चले गये । उन्होंने

लोकतंत्र की परम्पराओं को तोड़ा है । उन्होंने जो सरकार की नीतियों की आलोचना की है, उसके विपरीत पर सच का सामना वह नहीं कर पाये और बहिर्गमन करके चले गये । वह सुनने का साहस नहीं जुटा पाये । अगर मैं यह कहूं कि मौनम् स्वीकृतिम लक्षणम् तो यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल ने मौन रहकर सरकार की नीतियों का समर्थन किया है ।

मान्यवर, जिन बिन्दुओं पर विपक्ष के लोग उपद्रव कर रहे थे उन बिन्दुओं पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से विचार रखे जा सकते थे लेकिन सदन का व्यवस्थित नहीं रखा गया और उन्होंने मान्य परम्पराओं को तोड़ने का काम किया । उनके पास चार दिन का समय था इस अवसर को गवांकर उन्होंने सदन को अव्यवस्थित किया और लोकतंत्र की परम्पराओं को तोड़ने का काम किया । माननीय बसपा नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दलितों की समस्याओं पर अपनी बात कही लेकिन उन्होंने कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया । उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही लेकिन उनका भाषण आलोचनात्मक भाषण था उसमें कोई सुझाव नहीं था । दलितों और पिछड़ों की बात कही गयी है लेकिन दलित की पुत्री की शादी में पांच हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये सहायता करने का निर्णय इसी सरकार का था । अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति दो गुनी करने का काम इस सरकार ने किया है । और इसमें भ्रष्टाचार न हो बिचौलिये न हो इसके लिए चैक सुविधा का काम इसी सरकार ने किया था । अच्छा होता कि वे इस कार्य के लिए सरकार का समर्थन करते । उन्होंने यह भी कहा कि आय वृद्धि के कोई श्रोत नहीं जुटाये गये हैं । यह तो वही हुआ कि चित भी मेरी और पट्ट भी मेरी । जब संसाधन जुटाने के लिए नये कर लगाये जाते हैं तो वे इसका विरोध करते हैं और जब संसाधन न जुटायें तब भी इसका विरोध करते हैं तो यह नीति हानिकारक है । माननीय प्रमोद तिवारी जी का भी भाषण मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था . उन्होंने अपराध के आंकड़े दिया । उन्होंने सरकार की इस घोषणा पर ध्यान नहीं दिया कि अधिकारियों को यह आदेश दिये गये हैं कि जो भी एफ० आई० आर० थाने में आती है उसको दर्ज किया जाय और अगर वह दर्ज नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । इससे आंकड़ों में वृद्धि हुई होगी ।

मान्यवर, शिया सुन्नी विवाद का निपटारा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न था ? सामाजिक समरसता का प्रश्न था, उस समस्या के निपटारे का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया । दंगामुक्त प्रदेश की जो बात है हमारे विपक्ष के भाइयों ने अपराध के आंकड़े देते समय बधाई नहीं दी दंगा मुक्त प्रदेश करने पर, हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ । रोजगार की बात माननीय प्रमोद जी ने कही कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है । समूह "ग" की परीक्षा बेरोजगार कृषि डिप्लोमाधारियों की शत-प्रतिशत नियुक्ति हजारों लोगों की पुलिस में भर्ती, कर्मचारियों-शिक्षकों की भर्ती मान्यवर, इस सरकार की ही देन है । सुनिश्चित रोजगार योजना आदि अन्य योजनाओं में 356 करोड़ रु० से 445 लाख मानव दिवस सृजित करके रोजगार देने का काम किया गया है । यही नहीं 21835 युवक युवतियों का प्रशिक्षित कर रोजगार देने का काम किया गया है . डवाकरा योजना में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से समूह गठित करके प्रति समूह 25 हजार 200 रु० की कार्यशील पूंजी देकर उनके उन्नयन एवं जीविका देने का काम किया गया है । यह सब इस सरकार की ही देन है । अच्छा होता कि महामहिम जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखते समय सरकार की कुछ उपलब्धियों को जो मैंने सूत्र रूप में गिनाया था, विपक्ष ने उसे छुआ तक नहीं, उनके बारे में वे कुछ कहते । विधायक निधि इस सरकार की ही देन है । 25 लाख रु० अवमुक्त कर जिलों में पहुंच गया है विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये हैं । सरकारी सेवाओं में मोती को पारदर्शी बनाने का काम इस सरकार की ही देन है । विद्युत नियात्मक आयोग का गठन इस सरकार की ही देन है । 70 फीसदी धन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए का जो प्राविधान किया गया है वह इस सरकार की ही देन है । चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना, वल्दियत में पिता के नाम के साथ मां के नाम को लिखे जाने की पहल इस सरकार की ही

देन है विधवा को सम्पत्ति पर अधिकार देने का कार्य भी इस सरकार ने किया है। सड़क विकास निधि की स्थापना इस सरकार की ही देन है।

पेंशन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, पेंशन के भुगतान के लिए पेंशन अदालतों का लगाया जाना इस सरकार की ही पहल है। लेकिन इन सब बधाई देने का विपक्ष के साथियों ने साहस नहीं जुटाया। मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में सरकार के विषय को रख दिया है, मैं धन्यवाद देने की औपचारिकता निभा रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों ने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के– विपक्ष के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय सुबाषचन्द्र श्रीवास्तव जी, माननीय जगदम्बिका पाल जी, माननीय राम पाल सिंह जी माननीय पूर्णमासी पंकज और माननीय जगदीश नारायण जी ने इसमें भाग लिया विशेषतया नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी का भी मैं आप सभी माननीय सदस्यों को आपकी तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं वे कृपया वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पारित करने की एक नयी मिसाल कायम करने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। (मेजों की थमथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष द्वारा कुछ संशोधन रखे गये हैं। कई माननीय सदस्य जिन्होंने संशोधन रखे हैं वे सदन की सेवा से निलम्बित कर दिये गये हैं। माननीय सुबाषचन्द्र श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता, मैं बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि संशोधन प्रस्तुत हुए थे इसलिए संशोधन पर पहले मतदान होगा और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होगा।

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसे यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किये हुये माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल को एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 9 फरवरी, 1999 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 फरवरी, 1999 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं–पहली सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया की

केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री अकबर हुसैन की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना डा० राम बाबू हरित की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवी सूचना श्री कमलेश कुमार की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री बिन्दु लाल की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री मतेश चन्द्र सोनकर की केवल ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई है, श्री राम जग जी की सूचना अस्वीकृत हुई है।

जनपद जालौन के थाना रामपुरा क्षेत्र से 10 किसानों का डकैतों द्वारा फिरौती वसूलने व हत्या के उद्देश्य से सामूहिक अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्य ने नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी है।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री दल बहादुर कोरी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हुकुम सिंह–

1 कि जनपद जालौन के थाना रामपुरा क्षेत्र के ग्राम जायघा के पास खेतों में सिंचाई कर रहे किसानों का डकैतों द्वारा अपहरण कर लिया गया तथा एक दर्जन से अधिक किसानों को खेतों से पकड़कर भयंकर मारपीट करके घायल कर दिया गया। घटना की सूचना दिनांक 2-12-1998 को थाना रामपुरा से जिला मुख्यालय को समय 12 बजे दिन में सेट से दी गयी परन्तु पुलिस अधीक्षक, जालौन ने घटना को दबाने की नीयत से सूचना प्राप्त होने का समय 23.40 बजे दर्शाया। सेट पर सूचना प्राप्ति के दस्तावेज पर भी काट-पीट की गयी।

2–घटना की जिम्मेदारी से बचने के लिये पुलिस अधीक्षक दिनांक 2-12-1998 को समय सायंकाल करीब 4 बजे लखनऊ के लिये रवाना हो गये और यह दर्शित किया कि घटना की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी पुलिस ने डकैतों से अपहृतों को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की।

3–अपहृतों को उनके परिवार वालों ने फिरौती देकर छुड़वाया था तथा दो अपहृतों के परिवार फिरौती की रकम नहीं जुटा सके जिससे डकैतों ने इन अपहृतों की हत्या कर दी। जनपद के थाना रामपुरा नदीगांव, कैलिया, माधोगढ़, कुठौंद, सिरसाकलार स्थानों पर अक्षम तथा संदिग्ध भूमिका वाले थानाध्यक्षों की राजनैतिक दबाव से तैनाती की गयी है। इन क्षेत्रों में डकैत स्वच्छन्द विचरण करके निरन्तर ग्रामीणों का अपहरण कर रहे हैं। किसान फसलों में खाद व पानी लगाने नहीं जा पा रहे हैं। छः माह में करीब 30 व्यक्तियों के अपहरण किये जा चुके हैं। जनपद में भय एवं असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है।

नोटः–1 यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत् है :–

(1) दिनांक 1-12-98 की रात्रि में 10.30 बजे से 11 बजे के मध्य थाना रामपुरा क्षेत्र के ग्राम जायघा के पास खेतों में सिंचाई कर रहे 10 किसानों का अपहरण किया गया और कुछ किसानों के साथ मारपीट की गयी थी यह सत्य है। प्रश्नगत घटना की सूचना दिनांक 2-12-98 को दिन में 11 बजे थाना रामपुरा के शिव शंकर पुत्र रामदास (अपहृत किसान) द्वारा दी गयी। इस पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 207/98 धारा 364/323 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया यह कहना सही नहीं है कि जिला मुख्यालय को 12 बजे दिन में कोई सूचना दी गयी। तथ्य यह है कि दिनांक 2-12-98 को घटना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण थाना रामपुरा ने आर०टी० सन्देश एन०आर०–2 जी०आर० 170 जिला नियन्त्रण कक्ष में रात्रि 23.40 बजे नोट किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस घटना को दबाने की नीयत होने की बात कहना इसलिए तथ्यहीन हो जाती है कि स्थानीय पुलिस द्वारा इस प्रकरण में तात्कालिक पुलिस कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी और न ही आर०टी० सेट पर सूचना प्राप्ति के दस्तावेज पर कोई काटपीट की गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

(2) यह कहना सही नहीं है कि घटना की जिम्मेदारी से बचने के लिए पुलिस अधीक्षक दिनांक 2-12-98 को सायं 4 बजे लगभग लखनऊ के लिए रवाना हो गये। वास्तविकता यह है कि पुलिस अधीक्षक, जालौन को उ० प्र० अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, लखनऊ के सम्मन दिनांक 2-12-98 जो उन्हें 2-12-98 को ही प्राप्त हुआ था में उन्हें श्री हरिओम नीखरा पुत्र श्री शिव शंकर गुप्ता 104/2 रामनगर उरई के प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी आख्या सहित दिनांक 3-12-98 को पूर्वाह्न में उपस्थित होने का आदेश प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जालौन ने लखनऊ प्रस्थान करने से पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी से अनुमति प्राप्त कर ली थी। मा० आयोग के समक्ष पेशी के उपरान्त जनपद मुख्यालय लौटने के बाद पुलिस अधीक्षक जालौन ने थाना रामपुरा के लिए प्रस्थान किया था एवं वहीं कैम्प करके इस अभियोग से सम्बन्धित पुलिस कार्यवाही का पर्यवेक्षण किया था। इसके बाद भी माह दिसम्बर में अधिकांश समय थाना रामपुरा क्षेत्र में ही इन कपड़ों की बरामदगी के सम्बन्ध में जनपद जालौन के बीहड़ क्षेत्र में कार्यरत रहे। अतएव यह कहना सत्य नहीं है कि पुलिस अधीक्षक ने यह दर्शित किया कि घटना की जिम्मेदारी उनकी नहीं है।

(3) स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तों की तलाश एवं अपहृतों की बरामदगी के लिए तत्काल कार्यवाही आरम्भ कर दी थी तथा इस हेतु पुलिस फोर्स भी रवाना हो गयी थी। यह जनपद जालौन के पुलिस द्वारा किये गये समग्र प्रयासों, बीहड़ क्षेत्र में पुलिस एवं पी०ए०सी० द्वारा करायी गयी कॉम्बिंग एवं अभियुक्त गिरोह पर बनाये गये पुलिस दबाव का ही परिणाम है कि पहले दिन तीन अपहृत छोड़ने के बाद 4 अन्य अपहृत भी बदमाशों के चंगुल से मुक्त हुए हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कुछ अपहृतों को उनके परिवार वालों ने फिरौती देकर छुड़वाया था। यह कहना भी सच नहीं है कि जनपद के थाना रामपुरा नदीगांव, कैंलिया, माधोगढ़, कुठौंद व सिरसाकलार थाना पर अक्षम तथा संदिग्ध भूमिका वाले थानाध्यक्षों की राजनैतिक दबाव से तैनाती की गयी है वास्तविकता यह है कि जो थानाध्यक्ष इन थानों पर नियुक्त किये गये हैं उनमें से किसी की भी सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं है और इनकी पूर्वतया प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही तैनाती की गयी है जो जनपद में उपलब्ध उन निरीक्षकों में से श्रेष्ठ पाये गये हैं। डकैतों के रोकथाम के लिए पुलिस एवं पी०ए०सी० द्वारा निरन्तर कांम्बिग/पेट्रोलिंग की जा रही है, किसान अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी विद्यालयों में सामान्य रूप से पढ़ने जा रहे हैं। विगत छः माह में करीब 30 व्यक्तियों के अपहरण किये जाने की बात भी सत्य नहीं है और यह कहना भी सही नहीं है कि जनपद में भय और असुरक्षा का वातावरण बना

हुआ है । उपरोक्त घटना के अतिरिक्त जनपद में छः माह में लड़कियों के अपहरण के मामलों को छोड़कर सात अन्य घटनाओं के मामले पंजीकृत हुए हैं जिसमें दो बच्चों सहित कुल आठ व्यक्तियों का अपहरण किया गया, जिनमें से दोनों की सकुशल बरामदगी सहित चार अपहृतों को बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है ।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मा० विधायक जी द्वारा नियम–51 के तहत दी गयी सूचना में लगाये गये आरोप सही नहीं हैं ।]

श्री श्रीरामपाल–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह 10 किसानों का सामूहिक अपहरण हुआ है । मान्यवर, सरकार की तो यह घोषणा रही है कि अगर कोई अपराध होता है तो थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है या उस जिले के एस०पी० की जिम्मेदारी होती है तो इसका कोई वर्गीकरण होगा कि एक आदमी मरेगा तो उसकी जिम्मेदारी थानेदार की होगी, ज्यादा आदमी के साथ दुर्घटना हुई, हत्या हुई, अपहरण हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जिले के एस० पी० की होगी तो यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए । तो यह जो 10 लोगों का अपहरण हुआ है इसकी जिम्मेदारी थानाध्यक्ष की है । यह सन्तराम सेंगर वहीं के विधायक हैं, यह बैठे हुए हैं यह 8 अपहृत फिरौती देकर छूटे हैं तो इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी एस०पी० की बनती है कि नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह जो घटना हुई है यह 1-12-98 को साढ़े 10 बजे और 11 बजे की बीच की घटना हुई है और 2-12-98 को इसकी एफ०आई०आर० हुई है । जो अपहृत आदमी थे उसने छूटकर एफ०आई०आर० दर्ज करायी है । इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है और वह अपना काम कर रहा है ।

जनपद–महराजगंज के थाना–बृजमनगंज एवं फरेन्दा की पुलिस द्वारा ग्राम–बन्जरहा तथा श्रीरामपुर टोले में नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने तथा महराजगंज महाविद्यालय के छात्रों पर लाठीचार्ज एवं दर्जनों मुकदमें दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद मणि त्रिपाठी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, दिनांक 18/19-1-99 की रात्रि में थाना बृजमनगंज के कान्सटेबिल सुग्रीव कुमार एवं कान्सटेबिल राम वदन यादव की ड्यूटी ईद की नमाज तथा रात्रि गश्त हेतु क्षेत्र में लगायी गयी थी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हुकुम सिंह–

[उक्त दोनों कान्सटेबिल रात्रि में जब श्री रामपुर गांव के पास ड्यूटीरत थे तो गांव के समीप चार लड़के क्रमशः हरिचरन, कुमार चन्द्र, राम सुमेर एवं एक अन्य संदिग्ध अवस्था में दिखायी पड़े । पूछतांछ के बाद उक्त कान्सटेबिल द्वय ने उन्हें छोड़ दिया ।

दिनांक 28-1-99 को कान्सटेबिल सुग्रीव कुमार थाना बृजमनगंज के रवानगी कराकर ग्राम अवरहिया निवासी श्री रमाशंकर राय के घर पर उनकी लड़की सुनीता राय की बरामदगी के सम्बन्ध में उन्हें सूचना देने जा रहा था । ग्राम–श्रीरामपुर के आगे अवरहिया जाने वाले रास्ते के मोड़ पर पहुंचने पर उसने देखा कि हरिचरन पुत्र प्यारे चौहान ग्राम–बन्जरहा टोला अपनी साइकिल के फ्रेम में हरा साखू का बोटा डालकर अवैध रूप से जंगल से काट कर ले जा रहा था । कान्सटेबिल को देखते हीं लकड़ी का बोटा वहीं फेंक कर हरिचरन भाग गया । कान्सटेबिल श्री सुग्रीव कुमार उक्त लकड़ी के बोटे को महन्त बढ़ई के दरवाजे पर रखकर ग्राम–अवरहिया सूचना देने चला गया ।

उक्त सूचना देने के पश्चात् जब वह आरक्षी महन्त बढ़ई के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां पर हरिचरन चौहान अपने भाई मंगरू चौहान तथा श्री रामपुर के कुमार चन्द्र, राम सुमेर यादव, राम नरायन बढ़ई, बलिकरन लोहार, सुरेश पासी और तमाम औरत मर्द के साथ फरसा, लाठी एवं डण्डा लेकर खड़े हुए थे । उपरोक्त आरक्षी के पहुंचते ही उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से लाठी डण्डा एवं फरसा और लात मुक्कों से मारने लगे । कुमार चन्द्र ने आरक्षी के सिर पर फरसे से वार किया जिससे उसे गम्भीर चोट आयी है । घटना में आरक्षी की घड़ी पर्स में रु० 2500 एक सोने की अंगूठी तथा एक सोने की जंजीर वहीं गिर गयी थी, जिसे उन लोगों ने गायब कर दिया । इस घटना को गांव के बहुत से लोगों ने देखा भी है । गम्भीर घायल अवस्था में सुग्रीव कुमार को गांव वाले उठाकर थाने लाये जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया । आरक्षी सुग्रीव कुमार द्वारा उपरोक्त घटना के आधार पर थाना–बृजमनगंज पर मु०अ०सं० 11/99 धारा 147/148/149/307/333/353/379 भा०द०वि० एवं 7 क्रि०ला० एमेन्डमेन्ट एक्ट पंजीकृत कराया गया है । दौरान विवेचना नामित सात अभियुक्तों में से मंगरू चौहान, राम सुमेर, राम नरायन एवं कुमार चन्द्र को 29-1-99 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । शेष हरिचरन चौहान, सुरेश पासी एवं बलिकरन लोहार की गिरफ्तारी शेष है जिसके लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । इनमें से नामजद अभियुक्त मंगरू चौहान प्राइमरी स्कूल का अध्यापक भी है । मंगरू चौहान की आम शोहरत अच्छी नहीं है ।

उपरोक्त अध्यापक मंगरू चौहान की सहानुभूति में प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री श्री रामवृक्ष मिश्र द्वारा एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक महराजगंज को दिया गया । जिसमें यह आरोप लगाया गया कि क्षेत्राधिकारी फरेन्दा थाना फरेन्दा एवं बृजमगंज की फोर्स के साथ श्री रामपुर टोला गये एवं किसानों एवं महिलाओं पर मारपीट करायी गई तथा मंगरू चौहान को 28–1–99 को स्कूल से पकड़ कर लाया गया एवं थाने में रात भर मारा गया ।

शिकायती-पत्र की जांच अवर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज से कराई गई जिसमें मंगरू चौहान की 28–1–99 की गिरफ्तारी असत्य पाई गई । सभी गिरफ्तारियां 29–1–99 को की गई । मंगरू चौहान को मारने पीटने एवं महिलाओं के साथ ग्राम में अभद्रता/मारपीट की घटना का भी कोई सबूत न मिला । जांच में गिरफ्तारी हेतु मात्र थानाध्यक्ष बृजमनगंज के मय फोर्स ग्राम जाना पाया गया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस प्रकार जांच में लगाये गये आरोप असत्य पाये गये । तथा सुग्रीव कुमार के ऊपर हुए प्राणघातक हमले एवं उसकी घड़ी चैन एवं मुद्रा की लूट की घटना सत्य पाई गई ।

सुरक्षात्मक दृष्टि से सुग्रीण कुमार का स्थानान्तरण पुलिस लाइन कर दिया गया है । वर्तमान में मौके की स्थिति सामान्य है ।

दिनांक 10–12–98 को जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय महाराजगंज के छात्र संघ कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी मुसालुद्दीन खां अपने साथियों के साथ महाराजंगज नगर के मऊ तिराहे पर आने जाने वाली जनता एवं वाहनों से अवैध चन्दा वसूल रहे थे । जिसका नागरिकों/ड्राइवरों ने विरोधस्वरूप क्षेत्राधिकारी सदर श्री राम बोध से शिकायत की । क्षेत्राधिकारी द्वारा उक्त छात्रों को हिदायत दी गई कि इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही न करें । इसी बात को लेकर दिनांक 11–12–98 को उक्त छात्र मुसालुद्दीन खां ने महाविद्यालय के छात्रों को गुमराह करके महाविद्यालय के गेट के सामने रास्ता जाम करा दिया ।

उक्त जाम की सूचना पाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम छुड़ाने तथा रास्ता खुलवाने का प्रयास करने लगे । छात्रों द्वारा पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुये भारी पथराव, आगजनी तथा अवैध शस्त्रों से फायरिंग की गई जिसमें तीन रोडवेज बसें और कई पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई । छात्रों के उग्र प्रदर्शन एवं पथराव से अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर एक उपनिरीक्षक, एक मुख्य आरक्षी एवं दो आरक्षियों को चोटें आई ।

इस घटना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा हल्के बल का प्रयोग करते हुये पथराव कर रहे उक्त छात्र मुसालुद्दीन खां सहित 8 अन्य छात्रों को पकड़ लिया गया और 50–60 अन्य छात्र मौके से भाग गये । गिरफ्तार छात्रों एवं भागे हुये छात्रों के विरुद्ध थाना महाराजंगज पर अप० सं०–443/98, धारा 147/148/149/336/307/427/341/435/332/353 भा०दं०वि० एवं 7 क्रि ला० एमेन्डमेंट तथा 3/4 प्रिवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना प्रचलित है । इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा पुलिस अधीक्षक, महाराजंगज को दिनांक 14-12-98 को एक शिकायती पत्र दिया गया जिसमें पुलिस के द्वारा महाराजगंज के प्रांगण में घुस कर मारने पीटने तथा -तोड़-फोड़ करने का आरोप लगाया गया जो जांच में पेशबंदी में अभियुक्तों द्वारा किया जाना एवं तथ्यविहीन घटनाओं पर आधारित पाया गया । पुलिस द्वारा काफी परेशान हो जाने, सरकारी गाड़ियों को छात्रों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिये जाने एवं अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी को चोटे आ जाने के फलस्वरूप स्थिति के नियंत्रण करने के उद्देश्य से मजबूरन हल्का बल प्रयोग करके अपरिहार्य परिस्थितियों में ही छात्रों की गिरफ्तारी की गई है । वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है ।]

जनपद मथुरा के मांट ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम बहादीन में प्राइमरी पाठशाला के नवीन भवन का निर्माण चयनित स्थल पर न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, माननीय श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनपद मथुरा के ब्लाक ...

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बालेश्वर त्यागी–

[मांट, ग्राम बहादीन में सन् 1962 में संचालित प्राइमरी पाठशाला का निर्माण न कराकर प्रधानाध्यापक एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की मिली भगत से अन्यत्र स्थान पर प्राथमिक पाठशाला का निर्माण कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ।

इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बे) उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त की गई आख्या के अनुसार प्राइमरी पाठशाला वहादीन ब्लाक मांट में भवन जर्जर/ध्वस्त होने के कारण भवन के निर्माण हेतु रु० 1,35,000.00 की स्वीकृति दी गई थी । उक्त धनराशि ग्राम प्रधान एवं प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, वहादीन के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी गई थी । ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय भवन खसरा नं० 7 में बनकर पूर्ण हो चुका हैं और यह भूमि शिक्षा विभाग के पक्ष में रजिस्ट्री हो चुकी है । शासनादेश संख्या बी०आई०पी० 17/15–5–99–318/98, दिनांक 4–2–99 द्वारा उक्त विद्यालय भवन में छात्रों को शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु जिलाधिकारी/बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा को निर्देश दे दिये गये हैं ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं । कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 4 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

17 फरवरी, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(ता०प्र०सं०–13 का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ 12 पर)

अनुपूरक सामग्री

जनपद प्रतापगढ़ में बाबा बेलखरनाथ धाम (दीवानगंज) के नाम से नये विकास खण्ड के सृजन का प्रस्ताव शासन को दिनांक 12–6–98 का प्राप्त हुआ था । जिस पर जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा उक्त प्रस्तावित विकास खण्ड में सम्मिलित की जाने वाली 9 (नौ) न्याय पंचायतों का विवरण उपलब्ध कराया गया । जिसमें विकास खण्ड शिवगढ़ की पांच न्याय पंचायतें क्रमशः सांगापट्टी, करनपुरखूझी, कँमांजीतपुर सरायगनई एवं दिलीपपुर, विकास खण्ड मगरौरा की तीन न्याय पंचायतें क्रमशः पूरे पाण्डेय, फेनहा एवं आसलपुर तथा विकास खण्ड पट्टी की एक न्याय पंचायत चन्दुआपट्टी को सम्मिलित कर बाबा बेलखरनाथ धाम के नाम से प्रस्तावित विकास खण्ड का सृजन किया जाना था ।

उक्त प्रस्तावित नये विकास खण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम दीवानगंज की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर 1,03,091 है । जहां तक नये विकास खण्डों के सृजन/पुनर्गठन का प्रश्न है उसका आधार मैदानी क्षेत्रों में 75,000 से 1,00,000 का मानक तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 35,000 से 50,000 का मानक निर्धारित किया गया है ।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में ग्राम्य विकास अनुभाग–3 की पत्रावली संख्या 29 बी/97 में दिनांक 18–12–97 को शासन द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों को देखते हुये तथा भारत सरकार द्वारा इस हेतु अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिये जाने के कारण इस समय नये विकास खण्ड का सृजन उचित न होगा । तदनुसार लिये गये नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में नये विकास खण्डों के सृजन की कार्यवाही स्थगित रखी गई है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(अता०प्र०सं०–17 का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ 20 पर)

संलग्नक–1

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 2रे बुध के लिये निर्धारित श्री तेजभान सिंह सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर का संलग्नक

सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

मुसाफिर खाना

(बैंक आफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)

दिनांक 27–1–99

सेवा में,

अध्यक्ष,

सुल्तानपुर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,

प्रधान कार्यालय, सुल्तानपुर,

जनपद–सुल्तानपुर ।

विषय :–शाखा सैंठा से सन्दर्भित शिकायत ।

उपरोक्त क्रम में श्री लल्लन सिंह निवासी ग्राम चन्दईपुर सैंठा सुल्तानपुर द्वारा शाखा के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच हमारे द्वारा की गई । मौके पर पुराना इंजन पाया गया जिसको उन्होंने अपने गांव के गंगाचरण बढ़ई से खरीदा था । जिसे उन्होंने अपने लिखित बयान में भी स्वीकार किया है । पुराना इंजन क्रय करने के कारण शाखा द्वारा आर०सी०जारी की गई है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक–2

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 2रे बुध के लिये निर्धारित श्री तेजभान सिंह सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर का संलग्नक ।

उपरोक्त प्रश्न प्राप्त होने पर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, द्वितीय सुल्तानपुर द्वारा जांच कराई गई तो तथ्य इस प्रकार पाये गये :–

वर्ष 96–97 में राज्य योजना के अन्तर्गत सीमान्त सामान्य कृषक की श्रेणी में श्री लल्लन सिंह पुत्र श्री राम बहादुर सिंह ग्राम चन्दईपुर, तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर ने विकास खण्ड गौरीगंज से फ्री बोरिंग कराकर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुल्तानपुर शाखा सैंठा से दिनांक 25–1–97 को डीजल नलकूप (पम्पसेट) लगाने का ऋण मु० 20,000/– (रु० बीस हजार मात्र) प्राप्त किया । दिनांक 23-1-98 को सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, द्वितीय सुल्तानपुर ने स्थलीय जांच आख्या में मौके पर फील्ड मास्टर, 8 हा० पावर इंजन नं० 63253 तथा पंखा उपलब्ध पाया । श्री लल्लन सिंह ने स्थलीय जांच में लिखित रूप से अवगत कराया कि उसने श्री राम औतार पुत्र श्री गंगा चरण ग्राम लड़ियापुर परगना अमेठी, तहसील गौरीगंज से मु० 17050/– (रु० सत्रह हजार पचास) में क्रय करके अपनी फ्री बोरिंग में पम्प हाउस हौज व ठीहा आदि कार्य शेष बचे ऋण के रूपये से बनाकर लगा रखा है । जिससे सिंचाई करते हैं । स्थलीय जांच में श्री लल्लन सिंह ने बताया कि ऋण की वसूली मु० 20710/– प्लस व्याज जमा करने की नोटिस ज०वि० आकार पत्र–69 क्र०सं०–117634 दिनांक 15–11–97 को तहसीलदार से उसे प्राप्त हुआ है ।

सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा से सम्पर्क किया गया तो ज्ञात हुआ कि उनके अधिकारियों को स्थलीय जांच के समय ऋणी द्वारा एक पुराना डीजल इंजन क्रय कर मौके पर सत्यापित मिला था परन्तु कोई बिल/बाउचर बैंक को उपलब्ध नहीं कराया गया । इस आधार पर ऋण का दुरुपयोग उनके द्वारा पाया गया था । बैंक अधिकारियों ने इसी आधार पर प्रश्नगत आर०सी० जारी करना बताया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(अता०प्र०सं०–183 का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ 76 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के दूसरे बुधवार हेतु निर्धारित श्री छोटेलाल [illegible] द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 183 का विवरण :–

ग्राम पंचायत–जासू विकास खण्ड मेहदर, जिला–हरदोई, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्षवार कराये गये कार्य ।

क्र० सं०		
		वर्ष 1995–96
1		पिजरांवा से०मा० पर हाटदार पुलिया का निर्माण
2	(क)	माडर रोड को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग (मिट्टी का कार्य) रजबहा से अलीजान के खेत तक (पुलिया तक)
	(ख)	इसराज के मकान (पिजरांवा) से माइनर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण (मिट्टी का कार्य)
3		ग्राम पिजरांवा में ननकू के मकान से दयाराम के मकान तक पड़ंजा सो० का कार्य ।
4		ग्राम मोहद्दीपुर के अंगनू के मकान से रत्तू के मकान तक पड़ंजा सो० का कार्य ।
		वर्ष 96–97
1		पिजराला प्रा०पा० भवन से पिजरावा ग्राम तक से०मा० का निर्माण (मि० का कार्य)
2		पिजरांवा सम्पर्क मार्ग में राम आसरे के खेत से फेक्का के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण (मि० का कार्य)
3		ग्राम पिजरांवा में (पिकुआ के पेंड़ से बाबू के खेत तक मिट्टी का कार्य)
4		ग्राम पिजरांवा में बाबू के मकान से माइनर तक मिट्टी का कार्य ।
5		ग्राम जासू में चुन्नी के मकान से देशराज के मकान तक खण्डंजा निर्माण ।
6		ग्राम जासू में नोखे के मकान से हवोज के मकान तक खण्डंजा निर्माण ।
7		माडर रोड को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग में अलीजान के खेत से माडर रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण (मिट्टी का कार्य)
		वर्ष 97–98
1		ग्राम जासू में अगनू के मकान से छठवा के मकान तक खण्डंजा का निर्माण ।
2		ग्राम जासू में मुख्य खण्डंजा मार्ग से जगजीवन के मकान तक पडंजा से० का निर्माण ।
3		(ग्राम पिजरांवा में) काकी के खेत से सुखलाल के खेत तक पिजरावा जाने हेतु से०मा० का निर्माण (मि० का कार्य) ।
4		ग्राम जासू में मैकू के दरवाजे से नाला पुलिया तक से०मा० का निर्माण (मि० का कार्य)
5		ग्राम पिजरांवा में रघुवीर के मकान से आम के पेड़ तक मिट्टी का कार्य ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 98–99

1 ग्राम जामू में रामदीन के खेत (तिराहा से) से जासू तक से०मा० मरम्मत का कार्य ।

2 ग्राम पिजरांवा से बंदरहिया तक से०मा० (महुआ के पेड से) का निर्माण ।

रोट :–कार्य प्रगति में है । 20 मी० गैप है भूमि विवाद के कारण बताया गया ।

3 ग्राम पिजरांवा में सालिग के मकान से छावनी कूप तक सो० का कार्य ।

(नाली न होने से कार्य क्षतिग्रस्त हो चुका है ।) ।

4 ग्राम जासू में मैकू मुराऊ के मकान से भैयालाल/काशी के मकान तक पड़ंजा नि० (मजदूरी केवल) ।

5 ग्राम जासू में कदारू के मकान से सफीक के मकान तक पडंजा सो० निर्माण (मजदूरी केवल) ।

6 ग्राम जासू में अहमद की चक्की से जमील के मकान तक पड़ंजा सो० का नि० (मजदूरी केवल) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 127 विधान सभा (216)–1999–813–कम्प्यूटर/आफसेट ।